खण्ड-227, अंक-4
सोमवार, 14 फाल्गुन, शक संवत् 1883
(5 मार्च, 1962 ई0)

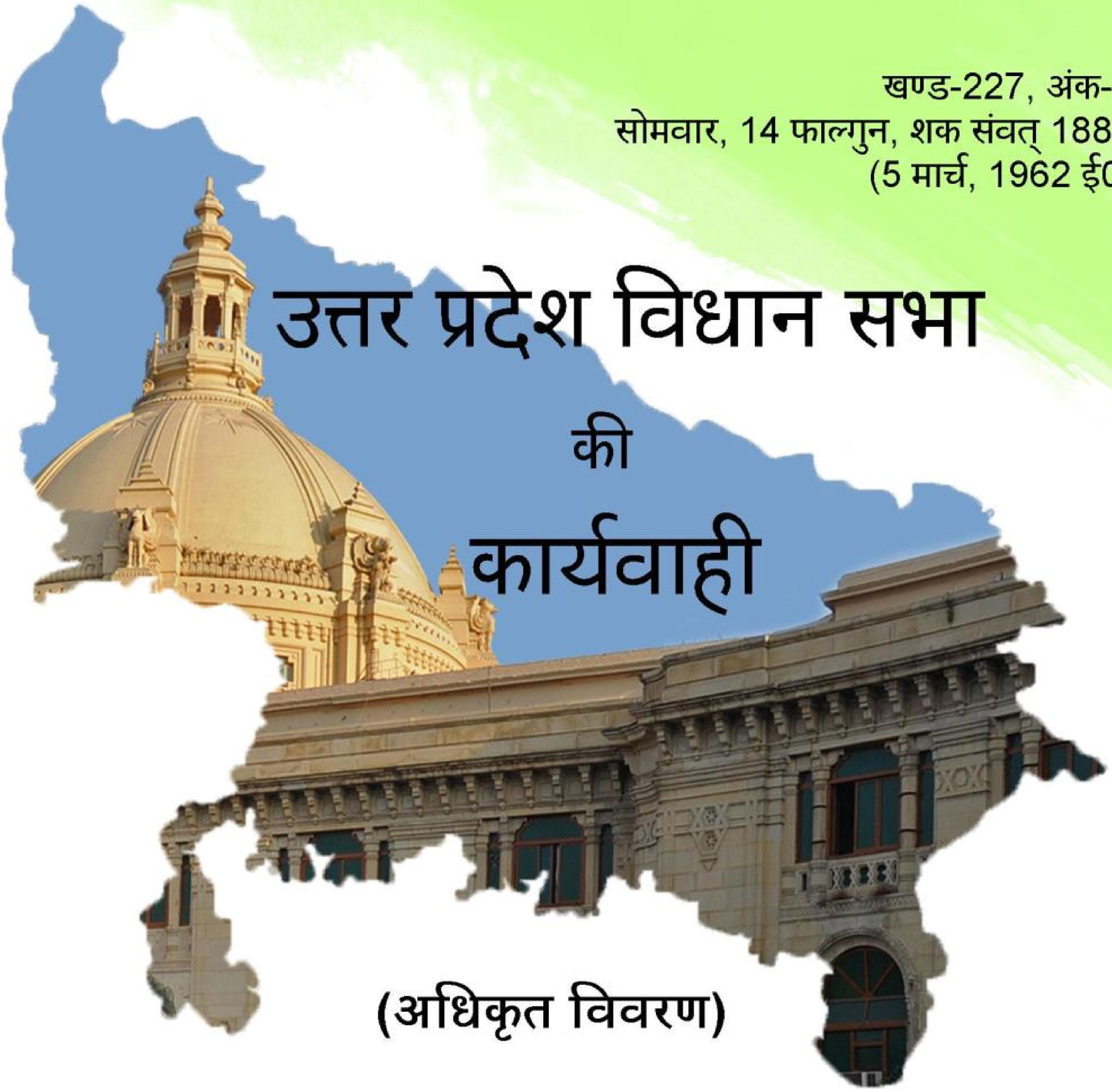

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 227 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२०३–२०७
प्रश्नोत्तर	२०७–२३९
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का १९६१–६२ का अनुपूरक वित्तीय लेखा (उपस्थापित किया गया) ..	२३९
द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति का चतुर्थ कार्य-लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन (उपस्थापित किया गया) ..	२३९
भावी कार्य-क्रम के विषय में जानकारी	२३९–२४०
उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर धुर-धारा का निर्णय न होने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	२४०–२४२
१९६२–६३ के लिए लेखानुदान का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	२४२–२४७
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६२ (विचारोपरांत पारित)	२४७–२७९
नत्थियां	२८०–२८६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ५ मार्च, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५६

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण प्रभाकर, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीदत्त गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री धनुधारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
अम्बिकाप्रसाद, श्री
चितरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति शुक्ल, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बहराइच)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोसई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेरराम, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

प्रभुदयाल, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूवनेशभूषण शर्मा, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री

रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंहचौहान जैन, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप शर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विमललक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रसन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहम्मद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखबनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखलालदास, श्री
सुखदाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री

सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—स्वशासन मंत्री, श्री चतुर्भुज शर्मा, श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी तथा वित्त मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ५ मार्च, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लूमामाऊ तथा बलरामपुर में आम चुनाव के सम्बन्ध में झगड़े

**१—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अभी हाल ही में होने वाले आम चुनाव के दौरान में हरदोई व बलरामपुर के झगड़ों में कितने आदमी मारे गये व कितने आदमी जख्मी तथा गिरफ्तार हुये ?

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—हाल में हुए आम चुनाव के दौरान में तो नहीं परन्तु चुनाव से कुछ दिन पहले लूमामाऊ (हरदोई) में हुई घटनाओं के सिलसिले में ३ व्यक्ति मारे गये व १३ घायल हुए । बलरामपुर में चुनाव के दौरान में दो व्यक्ति मारे गए व १० घायल हुए । उपरोक्त घटनाओं के सिलसिले में हरदोई में ७२ तथा बलरामपुर में अभी तक १६ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि झगड़े किन-किन पार्टियों में हुए थे और किस-किस पार्टी के कितने-कितने आदमी मारे गये ?

श्री नवलकिशोर—हरदोई में जो झगड़ा हुआ यह तो भारतीय जनसंघ और कांग्रेस के वहां दो कैम्प्स लगे हुए थे उनमें आपस में हुआ । लेकिन किस पार्टी के कितने-कितने व्यक्ति मारे गये यह ठीक तौर से नहीं बतलाया जा सकता । इसका वेरीफिकेशन किया जा रहा है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—हरदोई का जो झगड़ा हुआ उसमें जांच कराई गयी, तो जांच की रिपोर्ट इस विषय में क्या कहती है, कौनसा दल ऐग्रेसिव हुआ था ?

श्री नवलकिशोर—इसका भी इंवेस्टिगेशन चल रहा है । जहां तक कि अपराध का संबंध है चूंकि एस० ओ० ने ५ फायर किये थे पिस्टल से उसकी इंक्वायरी ए० डी० एम० (जे०) कर रहे हैं । उनकी रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—हरदोई और बलरामपुर में कांग्रेस तथा जनसंघ कार्यकर्ताओं में काफी झगड़ा हुआ तो दोनों पार्टियों के कितने-कितने आदमी गिफ्तार किये गये ?

श्री नवलकिशोर---मैंने निवेदन किया कि हरदोई में अभी तक ७२ आदमी गिरफ्तार हुए और बलरामपुर में १६ व्यक्ति अपराध के सिलसिले में और २३ व्यक्ति करफ्यू को डिफायन्स में गिरफ्तार हुए। ये किन-किन पार्टियों के हैं इसका ब्यौरा देना संभव नहीं है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---हरदोई और बलरामपुर में जो लोग मारे गये उनके मारे जाने में किस प्रकार का हथियार इस्तेमाल किया गया ?

श्री नवलकिशोर---हरदोई में जब गोली चली तो वे लोग गोली से मारे गये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---बलरामपुर में जो झगड़ा हुआ उसकी जांच कराई गयी थी, तो उस जांच की पूरी रिपोर्ट किसके पास है ?

श्री नवलकिशोर---मैंने निवेदन किया कि वह अभी इंवेस्टिगेशन में है।

श्री लक्ष्मणराव खरम---बलरामपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता को छुरा भोंका गया था और जनसंघ के कैम्प द्वारा हमला किया गया था, क्या यह बात सही है ?

श्री नवलकिशोर---वाकयात यह हैं कि जिस समय वहां वोट पड़ रहे थे तो कुछ स्त्री वोटरों की भीड़ हुई। जो वहां कांग्रेस के एजेंट थे वे चाहते थे कि उनकी ओर की स्त्रियां पहले खड़ी कर दी जायं और जनसंघ वालों ने कोशिश की कि उनकी ओर की स्त्रियां पहले खड़ी कर दी जायं। उनमें झगड़ा हुआ। उस बीच में दो व्यक्तियों के छुरा भोंक दिया गया। वे दोनों व्यक्ति किस पार्टी से संबंधित हैं उसका पूरी तौर से वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---हरदोई और बलरामपुर की घटनाओं के बारे में जो जांच हो रही है वह जांच किस अधिकारी के द्वारा की जा रही है ?

श्री नवलकिशोर---हरदोई की जांच सर्किल इंसपेक्टर कर रहे हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

मथुरा नगरपालिका में कथित गबन

*१---श्री सूरकिशोर (जिला एटा) (अनुपस्थित)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मथुरा नगरपालिका के आय-व्यय विभाग में वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में गबन हुआ है ? यदि हां, तो उपर्युक्त गबन में नगरपालिका, मथुरा द्वारा कितने कर्मचारी सेवाओं से पृथक किये गये थे ?

स्वशासन राज्य मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---जी नहीं। दूसरा प्रश्न उठता ही नहीं है।

केन्द्रीय स्वायत्त शासन परिषद् का त्रिवेन्द्रम सम्मेलन

*२---श्री वीरसेन (जिला मेरठ)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अक्तूबर, १९६१ में हुए स्वायत्त शासन मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के कौन-कौन अधिकारी कब गये थे तथा कब वापस आये ?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—केन्द्रीय स्वायत्त शासन परिषद् की सातवीं बैठक त्रिवेन्द्रम में १२ से १४ अक्तूबर सन् १९६१ तक हुई । उसी के साथ-साथ राज्य सरकारों के नगर नियोजन विभागों के मंत्रियों का सम्मेलन भी १४ व १५ अक्तूबर को त्रिवेन्द्रम में हुआ । उक्त बैठकों में भाग लेने के लिये राज्य सरकार की ओर से सचिव, स्वायत्त शासन तथा उसी विभाग के अनुसचिव जो इस कार्य को करते हैं गये थे । इसके अलावा राज्य टाउन प्लानिंग विभाग की ओर से नगर एवं ग्राम नियोजक भी इसमें गये थे ।

राज्य सरकार ने इस अवसर पर त्रिवेन्द्रम में आयोजित टाउन प्लानिंग प्रदर्शनी में भी भाग लिया था इसके लिये नगर नियोजन विभाग के एक अधिशासी अभियंता प्रदर्शनी का सामान लेकर भेजे गये थे ।

नगर नियोजन के विषय पर ता० २० से २७ अक्तूबर, १९६१ तक एक सेमीनार इंस्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर्स, दिल्ली द्वारा मद्रास में आयोजित किया गया था । त्रिवेन्द्रम से लौटते समय उक्त अफसरों को उस सेमिनार में भाग लेने की आज्ञा भी सरकार ने दी थी । परन्तु सचिव व अनुसचिव केवल कुछ समय ही उसमें भाग ले सके ।

उक्त अफसरों के लखनऊ से चलने व लौटने की तारीखें निम्नलिखित हैं—

अधिकारी का पद तथा नाम	लखनऊ से प्रस्थान	आगमन
१—सचिव, स्वायत्त शासन, श्री जयनारायण तिवारी	७–१०–६१	२५–१०–६१
२—अनुसचिव, स्वायत्त शासन, श्री प्रयागदत्त चतुर्वेदी	७–१०–६१	२७–१०–६१
३—नगर एवं ग्राम नियोजक, टाउन प्लानिंग विभाग, श्री लोकनाथ तिवारी	७–१०–६२	३०–१०–६१
४—आर्किटेक्ट प्लानर टाउन प्लानिंग विभाग, श्री नरेन्द्रस्वरूप जौहरी	७–१०–६१	२७–१०–६१

श्री वीरसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि त्रिवेन्द्रम में जो प्लानिंग की प्रदर्शनी हुई वह किन तिथियों में हुई और उसमें किन-किन अधिकारियों ने भाग लिया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह बतलाया गया कि १४ और १५ तारीख को वहां सम्मेलन था । उसके बाद उसी में वह प्रदर्शनी हुई और वह काफी दिनों तक चलती रही ।

श्री वीरसेन—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि किस तिथि तक यह प्रदर्शनी चलती रही और उसमें अभियंता के अलावा किसी और अधिकारी ने भाग लिया या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जैसा कि बतलाया गया, प्रदर्शनी में जितने एग्जिबिट्स गये थे वह तो हमारे अधिकारी ने रखे । बाकी उसमें देखने के लिये जो अधिकारी और प्रतिनिधि यहां से गये थे उन सभी ने उन्हें देखा होगा । एक आदमी जो एग्जिबिट्स ले गया था वही खासतौर से उसके लिये जिम्मेदार था ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्वायत्त शासन मंत्रियों के सम्मेलन में किन-किन महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---एक नहीं, बल्कि बहुत से विषय थे । जैसे, टाउन प्लानिंग में किस तरह से काम होना चाहिये, कौन-सी दिक्कतें हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, खर्चे में कमी किस प्रकार की जा सकती है । लोगों की हेल्थ में किस तरह इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है । नगर नियोजन भी होना चाहिये या नहीं । ऐसे बहुत से विषय थे ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या इस पर भी विचार हुआ था कि राज्य प्रदेशीय सरकार की दूसरी योजना में मकान बनाने के लिये जो द्रव्य खर्च नहीं हुआ था, उसे किस प्रकार से खर्च किया जाय ?

श्री अध्यक्ष---यह मूल प्रश्न में नहीं आ सकता है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रदेशीय सरकार का जो टाउन प्लान है उसके संबंध में सरकार ने कार्यवाही करने के लिये सोचा है ?

श्री अध्यक्ष---यह बाद की बात है, सम्मेलन से संबंधित नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सम्मेलन से लौटने के बाद अधिकारियों ने कोई रिपोर्ट दी है ? यदि हां, तो उसका संक्षिप्त क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---अलग से रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है । वहां पर प्रोसीडिंग्स लिखी जाती हैं और वे सब जगह भेजी जाती हैं ।

किसुखा केन्द्र संबंधित साधन सहकारी समिति के सदस्य

*३---श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में अप्रैल सन् १९६० से अप्रैल, १९६१ तक सेंटर किसुखा पर कितने सदस्य साधन सहकारी समिति के बनाये गये हैं और उनको उनकी पास बुकें दे दी गई हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा उप मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---कुल २२ सदस्य बनाये गये । इनमें से १० को उनकी पास बुकें दे दी गई हैं । शेष १२ सदस्यों को अभी तक नहीं दी जा सकीं क्योंकि उन्होंने पास बुक का २० नये पैसे निर्धारित मूल्य अदा नहीं किया है ।

श्री टीकाराम---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन २२ सदस्यों ने इस दौरान में कोई कर्जा भी लिया ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री टीकाराम---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २० नये पैसे मांगने कोई गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमान्, इसकी भी जानकारी नहीं है, नोटिस की आवश्यकता है ।

हिलवाड़ी ग्राम से सुपरवाइजर का तबादला करने की मांग

*४---आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)---क्या सहकारिता मंत्री को ग्राम हिलवाड़ी, विकास क्षेत्र, बड़ौत, जिला मेरठ की जनता की ओर से एक सामूहिक प्रार्थना-पत्र मिला है कि कोआपरेटिव सोसाइटी के स्थानीय सुपरवाइजर का आचरण निन्दनीय है जिसके खिलाफ जनता में रोष है ?

*५---क्या यह भी सही है कि मेरठ के उच्च अधिकारियों की ओर से इस व्यक्ति को स्थानान्तरित करने के आदेश दिये जा चुके थे और उसे निवृत्त करने के लिये दूसरा सुपरवाइजर हिलवाड़ी चला गया था, तबादला रुकवा दिया गया और वह नया सुपरवाइजर पुनः वापस भेज दिया गया और पुराना सुपरवाइजर ज्यों का त्यों बना हुआ है ?

*६—यदि हां, तो क्या सरकार इसके कारण बतायेगी और जनता की भावनाओं का आदर करते हुये पूर्वोक्त सुपरवाइजर को तुरन्त स्थानान्तरित कर देगी ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)—निर्धारित समय के भीतर सूचना एकत्र करना संभव न हो सका।

डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन के मंत्रियों की नियुक्ति

*७—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशनों के मंत्रियों की नियुक्तियां किसके द्वारा होती हैं ?

*८—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९६१ से ३१ अक्तूबर, १९६१ तक किन-किन डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशनों के मंत्रियों को हटाया गया और किन-किन कारणों से हटाया गया ?

*९—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशनों के मंत्रियों की नियुक्तियां १ जनवरी, १९६१ से ३१ अक्तूबर सन् १९६१ के बीच की गईं ? क्या उसकी सूची सरकार सदन के समक्ष पेश करने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—निर्धारित समय के भीतर सूचना एकत्र करना सम्भव न हो सका।

श्री रामचन्द्र विकल—अध्यक्ष महोदय, मेरे तीन प्रश्न हैं। इनका जवाब अलग-अलग होना चाहिये। तीनों के सामने ब्रैकिट खींचकर जवाब देना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—यही तो आप तीनों का एक ही जवाब पा रहे हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—श्रीमन्, प्रश्न ७ के लिये किसी सूचना की आवश्यकता नहीं है। सवालों को जान बूझ कर टाला जा रहा है। अगर आज सरकार तैयार नहीं है तो यह बता दे कि वह कब जवाब देगी।

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, इस समय सूचना तैयार नहीं हो सकी।

श्री अध्यक्ष—अगर इस समय सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी तो जब हो जाय सदन को दीजिये।

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, जब उपलब्ध हो जायगी सदन को दे देंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि सहकारी मंत्रियों की नियुक्ति किस के द्वारा होती है और इसकी सूचना सरकार को कहां से प्राप्त करना है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, तीनों प्रश्न संबंधित थे। जहां तक मंत्रियों की नियुक्ति का सम्बन्ध है, इसकी सूचना विभाग से लेनी होती है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्.....

श्री अध्यक्ष—उनका कहना यह है कि मंत्रियों की नियुक्ति जहां से होती है वहां से उनको पूछना पड़ता है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं ?

श्री अध्यक्ष—इससे क्या मतलब है ? मैं अपनी राय थोड़े ही जाहिर करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सूचना किस तारीख को विभाग से मंगाई गई थी और उसका क्या उत्तर मिला ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रश्न पहुंचने के तुरन्त बाद ही सूचना के लिए पत्र भेज दिया गया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तारीख पूछ रहा हूं ?

श्री रामस्वरूप यादव—किस दिन भेजा गया था यह तो इतनी जल्दी बताना सम्भव नहीं है। स्थगन स्वीकार हो नहीं सकता था नहीं तो माननीय अध्यक्ष महोदय से स्थगन लेकर फिर दोबारा जवाब दिया जा सकता था। लेकिन स्थगन स्वीकार होना सम्भव नहीं था इसलिए ऐसा उत्तर दिया गया।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री सदन की जानकारी के लिए स्पष्ट करेंगे कि नवम्बर से लेकर आज तक सूचना देने में सरकार को क्या कठिनाई हुई ?

श्री अध्यक्ष—सूचना उनके पास नहीं आयी।

कानपुर नगरमहापालिका कर्मचारियों का वेतन वृद्धि संबंधी प्रस्ताव

*१०—**श्री उमाशंकर शुक्ल** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार २१ अगस्त, १९६१ के अल्पसूचित प्रश्न संख्या १२ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेगी कि शासन द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि कर देने के बाद जब महापालिका कानपुर में अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों की आर्थिक कठिनाई देख कर अपनी क्षमता के अनुसार वेतन वृद्धि की सिफारिश सरकार से की थी तो उसे स्वीकार करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिन कारणों से नगरमहापालिका कानपुर का उसके निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन में स्थाई वृद्धि करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था वह पहले ही बताये जा चुके हैं, इसके अतिरिक्त वेतन में स्थाई वृद्धि करने का प्रश्न ऐसा है जिस पर किसी एक स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अलग से विचार करना कठिन है।

हाल में एक प्रस्ताव वहां के निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों को एक्स ग्रेशिया अनुदान देने के लिए आया था जिसको सरकार ने कुछ संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया है इसके अनुसार ५० रुपया प्रतिमास तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इसी वित्तीय वर्ष में महापालिका की स्वीकृति से १५ रुपया तक का अनुग्रह दान (एक्स ग्रेशिया पेमेन्ट) दिया जा सकता है।

[५ मार्च, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ के अनुदान के व्यय में गड़बड़ी

*१—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री दिनांक १० अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि यह अनुदान अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ द्वारा बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में किन भवनों एवं सड़कों पर व्यय किया गया ? क्या उसकी तालिका नाम एवं व्यय सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—जी हां। कार्य विवरण एवं उस पर किये गये व्यय की एक तालिका† संलग्न है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि तालिका में जो काम दिये गये हैं वे सभी काम बाढ़पीड़ित क्षेत्र के नहीं हैं बल्कि और स्थानों के हैं ?

---

†तालिका छापी नहीं गई।

श्री चतुर्भुज शर्मा—काम तो बहुत हैं। मेरे खयाल में उसी के हैं सब। बहुत लम्बी तालिका है। जिला परिषद् ने जो विभिन्न काम करवाये हैं वह काम उसमें दिये गये हैं।

ग्रामीण गृह निर्माण योजना

*२—**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—क्या सरकार ने देहाती इलाकों में अल्प आय वालों को मकान बनाने के सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

श्री गनेशीलाल चौधरी—जी हां। भारत सरकार ने ग्रामीण गृह निर्माण की एक योजना चालू की है जिसका लक्ष्य ग्रामों का विकास तथा ग्रामीण गृह समस्या को सुलझाना है। यह योजना केवल अल्प आयु वालों के लिए ही नहीं है बल्कि वे सभी ग्रामीण इससे लाभ उठा सकते हैं जो एक पूरी बस्ती का पुन:निर्माण करना चाहें। राज्य सरकार ने इस योजना को इस प्रदेश में १९५८ से चलाया है।

इस योजना की †पुस्तक तथा इसके अन्तर्गत इस प्रदेशीय सरकार द्वारा बनाई गई †नियमावली सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो सरकार ने योजना चलायी है इसके अन्तर्गत पूरे गांव के लोग बस्ती बनाना चाहते हैं उसके लिए व्यवस्था है, यदि व्यक्तिगत तरीके से लोग अपने मकान बनाना चाहते हों तो उसके लिए सरकार ने क्या प्राविधान रखा है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह योजना तो उन लोगों के लिए है जहां सब लोग मकान बनानें के लिए तैयार हैं और नये प्लान के तरीके से बनाना चाहते हैं उनको इस तरह की ग्रांट दी जायगी लेकिन वैसे जो अभी तक नगरों में मकान बनाने के लिए कर्जा देने की स्कीम बनी है उस पर विचार हो रहा है कि वह गांवों में भी चालू की जाय या न की जाय।

श्री राजनारायण—क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि इस योजना के अन्तर्गत देहातों में हरिजन बस्तियों का पुर्ननिर्माण भी आता है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह योजना तो ग्रामों के लिए है कि जो ग्राम आदर्श बनना चाहें वह बनें। अलाहिदा से हरिजनों के लिए स्वीपर्स क्वार्टर्स बनाने के लिए हरिजन कल्याण विभाग से अलग योजना है। उनके लिए दूसरी स्कीम है। यह स्कीम तो पूरे गांव के लिए है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह योजना प्रान्त के किसी विशिष्ट स्थान पर लागू करने के लिए सोची गई है या सारे प्रदेश में हर जगह लागू करने की बात सोची गई है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सभी जिलों में लागू करने की सोची गई है। जो जिले और जो गांव तैयार हों इसके लिए उनके लिए है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत अल्प आय से क्या तात्पर्य है, किसको अल्प आय समझा जायगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिनकी आमदनी कम हो और यह तो अलग अलग गांव की स्थिति पर निर्भर है। पूरब के जिलों के लोग ज्यादा गरीब समझे जा सकते हैं, पश्चिमी जिलों में कुछ जरा आमदनी ज्यादा होगी।

श्री ऊदल—माननीय मंत्री जी ने कहा कि व्यक्तिगत तरीके से भी लोगों को रुपया देने के लिए सोचा जा रहा है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि व्यक्तिगत तरीके से लोगों को मकान बनाने के लिए रुपया देने के बारे में कब तक रूल्स में परिवर्तन हो जायगा?

---

†छापी नहीं गई।

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने यह कहा था कि जिस तरह से कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज से रुपया देने की कस्बों में स्कीम है, उस तरह से यह नहीं है। यह योजना पूरे गांव के लिए है। एक छोटा गांव या बड़ा गांव जो पूरा तैयार हो उसके लिए है। लेकिन व्यक्तिगत तरीके से गांव वालों को भी मकान बनाने के लिए कर्जा दिया जा सके उसी बेसिस पर जिस पर कस्बों में दिया जाता है, इस पर विचार हो रहा है कि वह योजना चालू की जाय।

*३-४—श्री ऊदल—[हटा दिये गये।]

ग्राम पंचायतों के चुनाव में काम करने वाले अध्यापकों को भत्ता न मिलने की शिकायत

*५—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के कितने जिलों में अब तक गत ग्राम पंचायतों के चुनाव में काम करने वाले अध्यापकों को भत्ता नहीं दिया गया, तथा इस प्रकार अब तक भत्ता न देने का क्या कारण है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी इस बात का उत्तर देने का कष्ट करेंगे कि जब ३१-८-६१ को यह प्रश्न सरकार के पास पहुंच गया था तो फिर नवम्बर के सेशन में भी उत्तर नहीं दिया और अब तक भी उत्तर न मिलने का कारण क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कुछ जिलों से सूचना आयी कुछ से नहीं आ सकी और जब तक सभी जिलों से सूचना न आ जाय तब तक उत्तर नहीं दिया जा सकता है, इसलिए कुछ देर हो गई।

श्री मदन पाण्डेय—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सूचना एकत्र करने में तो समय लग रहा है, लेकिन जब तक सूचना एकत्र हो रही है तब तक जिन अध्यापकों का भत्ता बाकी है उनको देने का आदेश सरकार की तरफ से दिया जा चुका है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, आदेश है और बहुत-सी जगह दे भी दिया गया है, कहीं-कहीं दिया जा रहा है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—उत्तर देने के लिए सूचना विभागों को कब भेजी गई और देर होने पर कोई रिमाइन्डर उनको दिया गया या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो उसी समय भेज दिया गया था। अब कब तक उत्तर आ सकेगा यह तो बताया नहीं जा सकता।

ग्राम सभा रामपुर-मथुरा द्वारा दिये गये ठेके

*६—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी, सीतापुर के अर्ध-शासकीय पत्र संख्या १ ८—१५२१-४५३—२८ पंच०—१९६०, दिनांक २७ सितम्बर, १९६० में जो प्रश्नकर्ता को प्राप्त हुआ है वित्तीय वर्ष १९५६-५७ से वित्तीय वर्ष १९५९-६० तक ग्राम सभा, रामपुर-मथुरा (जिला सीतापुर) द्वारा जो ठेके दिये गये उन ठेकों की अवधि प्रति वर्ष किस तारीख से किस तारीख तक की रही है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—वर्ष १९५६-५७ से वर्ष १९५९-६० तक ग्राम सभा, रामपुर-मथुरा, जिला सीतापुर द्वारा दिये गये ठेकों की अवधि प्रति वर्ष १ अक्तूबर से लेकर ३० सितम्बर तक की रही।

*७--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा ने वित्तीय वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ में कौन-कौन से ठेके नीलाम किये और ठेके की अवधि क्या निश्चित की है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--वर्ष १९६०-६१ में चमड़े और हड्डी तथा वर्ष १९६१-६२ में चमड़े का ठेका नीलाम किया गया है। इन ठेकों की अवधि १ अक्तूबर से लेकर ३० सितम्बर तक की है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५६-५७ और १९५९-६० में जो ठेके दिये गये वह किन चीजों के ठेके रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह ठेके चमड़े, हड्डी और शोरे के रहे हैं ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९-६० में केवल चमड़े का ही ठेका दिये जाने का क्या कारण था और चीजों के ठेके क्यों नहीं दिये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--उसी के लिये ठेका देने की जरूरत होगी। और के लिये गांव सभा ने इजाजत नहीं दी होगी ।

इलाहाबाद में राममन्दिर के सामने से नाला तथा ढरहरिया ग्राम से सड़क निकालने की प्रार्थना

*८--श्री कैलाशनारायण गुप्त (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद नगरमहापालिका की सीमा में स्ट्रेची रोड स्थित राममन्दिर के सामने जो एक बड़ा नाला है क्या उसके पानी के निकास का कोई प्रबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले के पानी के निकास के लिये इलाहाबाद महापालिका को आदेश देगी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--स्ट्रेची रोड स्थित राममन्दिर के सामने कोई बड़ा नाला नहीं है। वर्षा के पानी के निकास के लिए कच्ची नाली है जो हर साल वर्षा आरम्भ होने के पहिले खोद दी जाती है और उससे अधिकांश पानी कानपुर रोड नाले में होता हुआ गंगा नदी में चला जाता है और शेष एलगिन रोड और स्ट्रेची रोड के सीवर लाइन से निस्सारित होता है।

*९--श्री कैलाशनारायण गुप्त--क्या यह सही है कि वर्षा ऋतु में इलाहाबाद महापालिका में स्थित ढरहरिया ग्राम गंगा की बाढ़ से प्रत्येक वर्ष (marooned) हो जाता है जैसा कि इस वर्ष भी हो गया है और ग्राम वासियों को अपने घर नावों इत्यादि पर भेजने की सुविधा सरकार को करनी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार महापालिका द्वारा इस तथ्य की जांच करवा कर कार्यान्वित करावयेगी कि उक्त ढरहरिया ग्राम में पश्चिम की ओर से एक सड़क चाहे वह कच्ची ही क्यों न हो निकाल कर उक्त ग्राम के लिये एक (all weather) रास्ता बन जाय ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--जी हां। कथित ग्राम को चैथम लाइन की पक्की सड़क से आने के लिए प्रत्येक ऋतु में काम आने वाली प्रस्तावित सड़क बनाने के प्रश्न पर महापालिका विचार करेगी।

श्री कैलाशनारायण गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस वर्ष जो स्ट्रेची रोड के सामने नाला था वह महापालिका द्वारा खोदा नहीं गया और वहां पर बहुत पानी जमा था और क्या यह भी उनको पता है कि जिस सीवर लाइन का जिक्र है वह अभी तक चालू नहीं हुई है तो इसका क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री कैलाशनारायण गुप्त---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि यह इकौरिया ग्राम को जो सड़क है इसके लिये वहां पर बहुत दिनों से आन्दोलन चल रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में महापालिका क्या कर रही है इसको सरकार बताने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---महापालिका जमीन लेने के लिये तथा उसी सम्बन्ध के अन्य मामलों पर विचार कर रही है।

अल्मोड़ा जिला परिषद् द्वारा प्रस्तावित पुलों का निर्माण न हो सकना

*१०---श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि भूतपूर्व मंत्री श्री विचित्रनारायण शर्मा ने २२ मार्च, १९६० को सदन में उल्लेख किया था कि पुलों के लिये उनके पास रुपया है मगर कोई सदस्य नहीं मांगता, जिस पर प्रश्नकर्ता ने उसी दिन ६ पुलों के लिये मांग-पत्र उन्हें दिया और इनमें से ५ पुलों की सिफारिश अध्यक्ष, अन्तरिम जिला परिषद्, अल्मोड़ा ने मय प्लान व १,७५,१०० रुपये के एस्टीमेट के की थी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---जी हां ।

*११---श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या १० मार्च, १९६१ को १,७५,८०० रु० पुलों के बनाने के लिये सरकार ने अनुदान दिया और राजाज्ञा में श्रमदान देने का कोई जिक्र नहीं किया पर इतने पर भी पुलों के बारे में फिर अन्तरिम जिला परिषद्, अल्मोड़ा से राय मांगी गई जब कि ये पुल परिषद् द्वारा तृतीय योजना में शामिल हैं ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---जी हां।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो माननीय विचित्रनारायण जी शर्मा पहले मंत्री थे तो उन्होंने चैलेंज करते हुए इस हाउस में कहा था कि उनके पास लाखों रुपया है कोई मांगे तो भेजें। तो इस पर प्रश्नकर्ता ने पुलों की उनको एक लिस्ट दी थी तो उसको जिलाधीश से जांच कराने के लिये भेजा गया था और जिलाधीश ने उन पर प्रायोरिटी फिक्स करके भेजा कि इन पुलों को पहले लिया जाय तो फिर अन्तरिम जिला परिषद् को यह प्रश्न क्यों भेजा गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह बात नहीं है कि विचित्रनारायण जी ने कोई चैलेंज दिया था। उन्होंने केवल इतना कहा था कि उन्होंने जिला मजिस्ट्रेटों से कहा है कि वे ऐसी जगह ग्रान्ट दे सकते हैं जहां पर पुल बनाने की जरूरत हो चाहे वह कच्ची सड़क हों या पक्की हों। लेकिन इसका किसी ने फायदा नहीं उठाया। जहां तक ग्रान्ट का सम्बन्ध है इसमें यह चीज थी कि चूंकि ग्रान्ट अन्तरिम जिला परिषद् को दी जाती है इसलिये अन्तरिम जिला परिषद् अपने तरीके से जहां पर वह खर्च करना मुनासिब समझती है वहां पर खर्च करती है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यहां से आवेदन-पत्र देने पर सरकार ने अपनी तरफ से कहा था कि जिलाधीश अपनी तरफ से इस्टीमेट बना कर भेजें। तो वह इस्टीमेट और प्लान सरकार की आज्ञा पर प्रायरिटी फिक्स होने के बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा आये थे। तो क्या वजह थी कि रुपया देने के बाद उन पुलों का बनाना शुरू नहीं किया गया और अन्तरिम जिला परिषद् को कह दिया गया कि वह जो पुल चाहे बना ले।

श्री चतुर्भुज शर्मा---प्रस्ताव जिला मैजिस्ट्रेटों से भी मांगे गये थे और इसके अलावा माननीय सदस्यों ने भी प्रस्ताव दिये थे। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया था कि वह ग्रान्ट अन्तरिम जिला परिषद् को दी गयी थी और उसे खर्च करने में डिस्क्रीशन (निर्णय) उन्हीं का था क्योंकि उनको भी अपना कुछ धन उसमें लगाना पड़ता है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जिन ६ पुलों के लिये पहले रुपया दिया गया था उनको इसलिये नहीं लिया गया कि वे पुल माननीय गोविन्दसिंह जी विष्ट द्वारा प्रस्तावित थे और जिनको वहां के कांग्रेस के नेता नहीं चाहते थे और इसलिये वह बदले गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह बात नहीं है। बात यह है कि चूंकि यह ग्रांट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दी गई थी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ऊपर ही यह था कि वह किसी भी पुल के लिये उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिये उन्होंने जहां उसे मुनासिब समझा खर्च किया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने जिन पुलों के लिये रुपया खर्च किया वह प्लान के बाहर के हैं और प्रश्नकर्ता ने जिन पुलों के लिये प्रस्ताव किया था वह प्लान में मन्जूर-शुदा थे, तो क्या माननीय मन्त्री जी इस वर्ष के वित्तीय अनुदान में से उन पुलों को बनवाने की कृपा करेंगे जिनको प्रश्न-कर्ता ने प्रस्तावित किया था ताकि भूतपूर्व मन्त्री जी के वचन का पालन हो सके ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने तो यह कहा था कि यह रुपया पुलों के लिये है और इसलिये तमाम जिलाधीशों से उन्होंने दरख्वास्त की थी कि उसके इस्तेमाल के लिये वे अपने प्लान दें। चूंकि उस समय जिला बोर्ड जिलाधीशों के अंडर में थे इसलिये जहां-जहां से मांग आई उन-उन जिला बोर्डों को रुपया दिया गया और उन्होंने जैसा मुनासिब समझा उसे खर्च किया।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—क्या यह भी कहा गया था कि कई सालों से वह ग्रांट लैप्स हो रही है, कोई रुपया मांगता नहीं, और उन दरख्वास्तों के बाद भी नहीं मांगता, तो इसको देखते हुये जिन पुलों के लिये जिलाधीशों की सिफारिश आई थी उनको क्यों नहीं मन्जूर किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैं तो कह चुका हूं कि यह ग्रांट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दी जाती है। अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चाहे इसे प्लान के पुलों पर खर्च करे अथवा प्लान के बाहर के। हो सकता है कि कोई दूसरे पुल उन्होंने लिये हों, लेकिन चूंकि रेस्पांसिबिलिटी जिला बोर्ड की है इसलिये उसका डिस्क्रिशन है कि वह चाहे जैसे उसे खर्च करे।

महापालिकाओं के लखनऊ सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्ताव

*१२—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की पांच महापालिकाओं के नगर प्रमुख तथा उपनगर प्रमुखों का सम्मेलन हाल में लखनऊ में हुआ था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

*१३—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस सम्मेलन के कौन-कौन से प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन आये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर सामान्य विचार-विमर्श किया गया था और विभिन्न सदस्यों एवं अधिकारियों ने भिन्न-भिन्न विचार प्रकट किये थे। उक्त विचार-विमर्श के प्रकाश में अब शासन इन विषयों पर आगे विचार कर रहा है। इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

(१) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत महापालिकाओं की आवास गृह, गन्दी बस्तियों के सुधार की योजनायें तथा जल वितरण व जल निकासी की योजनायें।

(२) लखनऊ, आगरा, वाराणसी तथा इलाहाबाद शहरों में स्वायत्त शासन अभियन्ताओं के निरीक्षण में छोटी रिसर्च यूनिट्स की स्थापना।

(३) महापालिका के लेखे की जांच।

(४) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के संशोधन के विषय में सुझाव।

*१४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या मन्त्री जी सम्मेलन में शामिल हुये थे और उन्होंने कोई सुझाव भी दिये थे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। उन्होंने भी सम्मेलन में अपने विचार प्रकट किये थे। जहां तक नगर महापालिका अधिनियम में संशोधन करने का प्रश्न है, उन्होंने सम्मेलन में यह स्पष्ट कर दिया था कि वर्तमान सत्र में कोई विधेयक लाना तो सम्भव न होगा, पर इस सम्बन्ध में जितने भी सुझाव सरकार के पास आये हैं उन पर विचार कर लिया जायेगा जिसमें आगे चल कर अधिक विलम्ब न हो।

*१५—श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—[४थे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ११५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन, जिला हरदोई की पूंजी

*१६—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में डी० सी० डी० एफ० (डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन) की कुल कितने की पूंजी है और किन-किन कार्यों में कितना-कितना रुपया लगा हुआ है?

*१७—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५९-६० और ६०-६१ में डी० सी० डी० एफ० को भिन्न-भिन्न रोजगारों में जो वह कर रही है, अलग-अलग कितना लाभ और हानि हुआ और कितना रुपया उधार में बकाया किन-किन व्यक्तियों पर पड़ा है?

*१८—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डी० सी० डी० एफ० हरदोई का हिसाब कब आडिट हुआ उसमें मुख्य-मुख्य आपत्तियां क्या हैं?

श्री संगमप्रसाद—निर्धारित समय के भीतर सूचना एकत्र करना सम्भव न हो सका।

सहकारी विभाग के निरीक्षकों को वेतन वृद्धि न मिलना

*१९—श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी विभाग के निरीक्षकों में कितने-कितने व्यक्तियों को कितने-कितने वर्ष से वेतन वृद्धि नहीं दी गई है?

*२०—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी विभाग के कितने निरीक्षकों की छुट्टी के प्रार्थना-पत्र एक वर्ष से लेकर पांच वर्ष तक से अधिकारियों के पास विचाराधीन पड़े हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—कुछ जिलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है अतः इस सम्बन्ध में सूचना देना इस समय सम्भव नहीं है।

श्री नागेश्वरप्रसाद—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सूचना एकत्र करने में कितना समय लगेगा?

श्री रामस्वरूप यादव—दो महीने तो लग जायंगे।

*२१-२३—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—[५वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ६५-६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गोरखपुर नगर का मास्टर प्लान

*२४—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर नगर के विकास हेतु, जो मास्टर प्लान बना है, वह क्या है और उसको कार्यान्वित करने में कुल कितने रुपये के व्यय का अनुमान है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—गोरखपुर शहर का मास्टर प्लान अभी तैयार नहीं हुआ है। इसलिये उसमें क्या है यह बताना सम्भव नहीं है। मास्टर प्लान कार्यान्वित करने में जो खर्चा होगा उसका भी इस समय अनुमान नहीं किया जा सकता।

स्थानीय निकायों के कम्पाउण्डरों को वेतन-वृद्धि न मिलना

*२५—श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली) तथा श्री बाबूराम (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ अप्रैल, १९६० से जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा कम्पाउन्डरों के वेतन में वृद्धि की गई है वह वेतन वृद्धि अन्तरिम जिला परिषदों व नगर-पालिकाओं के कम्पाउन्डरों को नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्या सरकार इन निकायों को ऐसा आदेश देगी कि उनके कम्पाउन्डरों को भी बढ़ा हुआ वेतन मिल सके?

श्री गनेशीलाल चौधरी—स्वास्थ्य विभाग द्वारा कम्पाउन्डरों को दी गई वेतन वृद्धि अन्तरिम जिला परिषदों व नगरपालिकाओं के कम्पाउन्डरों को नहीं दी गई है। उनकी वेतन वृद्धि का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री नत्थूसिंह—क्या सरकार इस प्रश्न पर आने वाले बजट के पहले विचार समाप्त कर लेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कोशिश की जायेगी कि यह हो जाय।

श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब उन कम्पाउन्डर्स को सिविल सर्जन के ही प्रशासन में रहना पड़ता है और वही काम करना पड़ता है जो कि सरकारी अस्पताल के कम्पाउन्डर्स को करना पड़ता है, तो क्या कारण है कि उनको यह वृद्धि नहीं दी गई?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सर्विसेज में कुछ अन्तर तो है ही। वह लोकल बाडीज की सर्विसेज हैं और उसमें कुछ दिक्कत तो पड़ती ही हैं?

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि लोकल बाडीज के अन्य सभी कर्मचारियों को वह वेतन वृद्धि दी गई है, केवल कम्पाउन्डर्स को नहीं दी गई है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—हां, कुछ को दी गई है और उसी प्रश्न पर विचार हो रहा है।

श्री बाबूराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन कम्पाउन्डर्स को वह वेतन वृद्धि उसी समय से दी जायेगी जब से कि सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले कम्पाउन्डर्स को दी गई है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—विचार यह किया जा रहा है कि लोकल बाडीज के कर्मचारियों को जैसी वृद्धि दी गई है उसी हिसाब से दी जाय या दूसरी तरह की, जैसा कि आप चाहते हैं। इसी प्रश्न पर अभी विचार हो रहा है।

लखनऊ नगर महापालिका के आय-व्यय के हिसाब में अव्यवस्था

*२६—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार का ध्यान लखनऊ कारपोरेशन के गत वर्ष के आय-व्ययक के हिसाब के सम्बन्ध में अभी हाल ही में प्रकाशित उस आडिट रिपोर्ट

की ओर आकर्षित हुआ है जिसमें कि उसकी कड़ी आलोचना करते हुये चीफ आडिटर ने लिखा है कि:—

"The accounts of the Lucknow Corporation are being maintained in a hopeless manner. Most of the account books and records of the Corporation were in a state of utter neglect. The expenditure incurred by the Corporation exceeded the revenue receipts by Rs.17,55,190. The actual revenue receipts during the year fell short by about Rs.16,00,000."

यदि हां, तो उसने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—जी हां।

कथित अव्यवस्था को सुधारने के लिये नगरमहापालिका निम्नलिखित उपाय कर रही है—

(१) वर्तमान साधनों से आय बढ़ाने के हेतु पर्यवेक्षण (supervision) को सुदृढ़ तथा (leakage) को रोकने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(२) कतिपय मदों के अन्तर्गत अधिकांश अवशेष धनराशि की वसूलयाबी के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(३) नगरमहापालिका के समक्ष आय बढ़ने के हेतु नये टैक्स लगाने के प्रस्ताव अगले वार्षिक बजट में रक्खे जायेंगे।

जोशी खोला-पटोड़ी-हल्द्वानी पेय जल योजना का कार्यान्वयन न होना

*२७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि जोशी-खोला पटोड़ी-हल्द्वानी पेय जल योजना, जिला नैनीताल की सिंचाई विभाग द्वारा परिचालित किये जाने के बाद भी अभी तक जोशी खोला-हल्द्वानी ग्रामवासियों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है तथा वे पेय जल के न मिलने के कारण अत्यन्त कष्ट का अनुभव कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त दोनों ग्रामों में पेय जल दिये जाने हेतु वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—जोशी-खोला-पटोड़ी-हल्द्वानी ग्रामवासियों को पेय जल योजना के चालू हो जाने पर पीने का पानी सुचारु रूप से मिलने लगा है तथा इन ग्रामों में पेय जल की कोई कठिनाई नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार इस बात की कृपया जांच करायेगी कि आज भी उन तीनों गांवों में पानी नहीं पहुंचा है और जो सूचना सरकार को दी गई है वह गलत है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय सदस्य ने सूचना दी है तो मैं अवश्य इसकी जांच करा लूंगा।

श्री प्रतापसिंह—उत्तर में जो यह बतलाया गया है कि पानी मिलने लगा है, तो क्या मन्त्री जी कृपाकर बतलायेंगे कि किस तारीख से पानी सुचारु रूप से दिया जाने लगा है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने कह दिया है कि वे फिर से इसकी जांच करायेंगे।

पीलीभीत-माधो-टांडा सड़क पर माला नदी के पुल की मरम्मत

*२८—श्री मुनीन्द्रपालसिंह (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पीलीभीत-माधो-टांडा रोड पर माला नदी का पुल कितने समय से टूटा हुआ है और उसकी मरम्मत जिला परिषद द्वारा क्यों नहीं की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उक्त पुल करीब तीन वर्ष से टूट गया। समय-समय पर इसकी अस्थाई मरम्मत परिषद द्वारा होती रही। सन् १९५८ में परिषद् ने इस पुल की मरम्मत के लिये ५,२१५ रुपये का संकल्प स्वीकार किया था। परन्तु साल के स्लीपर न मिल सकने के कारण कार्य सम्पन्न न हो सका। बाद में परिषद् ने यह निर्णय लिया कि इस पुल की मरम्मत सार्वजनिक निर्माण विभाग की परामर्श से कराई जाय। तदनुसार इस पुल की मरम्मत के लिये १४,७९७ रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई। टेंडर आ गये हैं और मरम्मत का कार्य शीघ्र शुरू होने वाला है।

श्री बालाजी विद्यालय, हाथरस के रजिस्ट्रेशन का रुपया गलत मद में जमा हो जाना

*२९—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री बालाजी विद्यालय, हाथरस के रजिस्ट्रेशन के लिये जनवरी, १९६० में रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज के यहां ५० रुपये (पचास रुपये) फीस का जमा किया गया था किन्तु रजिस्ट्रेशन न होने के कारण दोबारा उतनी ही रकम दूसरे हेड में जमा कराने पर रजिस्ट्रेशन हो सका ? पहिला जमा किया हुआ रुपया वापस करने के लिये अनेक आवेदन-पत्र देने पर भी वह रुपया अभी तक क्यों वापस नहीं दिया जा सका ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। इस संस्था का रजिस्ट्रेशन दोबारा सही हेड में फीस जमा कराने पर हो सका। पहला गलत हेड में जमा किया हुआ रुपया इसे वापस किया जा चुका है।

*३०—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन पिछले दस वर्षों के बीच गलत हेड्स में रजिस्ट्रेशन में कितना रुपया ऐसा जमा है जिसकी अदायगी अभी तक नहीं हो सकी है ? सरकार को इस सम्बन्ध में वापसी की क्या नीति है और इस प्रकार के कितने मामले अब तक विचाराधीन हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस समय २५ मामलों में कुल १,२५० रुपये जो गलत हेड में जमा हैं, वापस करना शेष है। वापसी की प्रक्रिया (procedure) यह है कि निबन्धक, सहकारी समितियां वापसी का आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार फार्म्स एवं सोसाइटीज से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद सम्बन्धित संस्था को रुपया वापस कर देते हैं।

*३१—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—सरकार उक्त जमा रकमों की वापसी के लिये क्या सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था करा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—निबन्धक, सहकारी समितियां, रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसाइटीज तथा सम्बन्धित संस्थाओं से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं। आवश्यक सूचना प्राप्त हो जाने पर वे सम्बन्धित संस्थाओं को रुपया वापस कर देंगे।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संस्थाओं को उनका रुपया वापस कराने में कितना समय और लग जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—आज तक की स्थिति यह है कि ३२ संस्थाओं को रुपया वापस हो चुका है और जो बाकी ९ हैं उनको भी जल्द वापस कर दिया जायगा।

कमलसागर बीज भंडार, जिला आजमगढ़ द्वारा खाद के वितरण में अनियमितता

*३२—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**—क्या सहकारिता मन्त्री बताने की करेंगे कि कमलसागर बीज भंडार, जिला आजमगढ़ द्वारा १९५५ में कितनी बोरी खाद प्राप्त करने के लिये जिला कोआपरेटिव फेडरेशन, आजमगढ़ के पास प्रार्थना-पत्र भेजा गया और कितनी उसे प्राप्त हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव—कोई प्रार्थना-पत्र नहीं भेजा। बीज भंडार से कथित वर्ष में ३४ और १८ बोरे खाद के दो अलग-अलग तकावी बांड जिला कार्यालय में स्वीकृति के लिये अवश्य भेजे थे। इनमें से ३४ बोरे की तकावी बांड स्वीकृत हुई थी और बीज भंडार को मिल गई थी।

*३३—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**—क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त खाद के सम्बन्ध में बिना खाद दिये ही बांड किसानों से भरा लिया गया और बाद में खाद नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—खाद देने से पहिले ही सम्बन्धित व्यक्तियों से तकावी बांड भरवा लेना प्रचलित प्रणाली है। बांड भराने के बाद खाद हर व्यक्ति को दी गई।

*३४—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**—क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांड से किसानों का नाम निकालने के लिये ३ अगस्त, १९५५ एवं १९ अगस्त, १९५५ को क्रमशः सम्बन्धित कोआपरेटिव सुपरवाइजर और कोआपरेटिव इंस्पेक्टर ने जिला कोआपरेटिव अधिकारी को पत्र लिखने पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और सम्बन्धित किसानों से खाद का रुपया वसूल कर लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिला कोआपरेटिव अधिकारी को कोई पत्र नहीं लिखा गया। उन किसानों से कोई वसूली नहीं हुई है जिन्हें खाद नहीं मिली थी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सहकारिता मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किन-किन किसानों को यह खाद दी गई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्री रामस्वरूप पांडेय, श्री भगवान मिश्र, श्री राजपति और श्री शहाबुद्दीन।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—इन किसानों से खाद की कीमत की वसूली हुई है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—श्रीमन्, इनको खाद नहीं मिली है। जो नाम बताये गये इनसे पहले कागज पर बांड भरा लिया और खाद नहीं दी गई और इंस्पेक्टर ने इन्हीं के बारे में लिखा है कि खाद नहीं दी गई।

श्री अध्यक्ष—माननीय सहकारिता मन्त्री, क्या खाद नहीं दी गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—कुछ अनियमिततायें जरूर हुई हैं और उनका पता इस प्रकार के बाद चला। इस समय बताना मुश्किल है कि इन्हीं व्यक्तियों के सम्बन्ध में अनियमिततायें हुई, लेकिन स्थिति यह है कि जिसको खाद नहीं दी गई उससे रुपया वसूल नहीं किया गया।

मानिकपुर घाट की आय का बटवारा

*३५—**श्री गयाप्रसाद** (जिला प्रतापगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रतापगढ़ के अन्तर्गत टाउन एरिया, मानिकपुर का गंगा घाट जिला इलाहाबाद द्वारा नीलाम किया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—जी हां, इसका कारण यह है कि शासन द्वारा बहुत पहले यह निर्णय लिया जा चुका है कि २ जिलों के मध्य में पड़ने वाले घाटों का बटवारा इस प्रकार से किया जाय कि दोनों जिलों को घाटों से करीब-करीब बराबर आय प्राप्त हो। इसी निर्णय के आधार पर शासन ने ऐसे घाटों का जो इलाहाबाद और प्रतापगढ़ जिलों के मध्य में पड़ते थे इस प्रकार बंटवारा किया कि कुछ घाटों को नीलाम करने की स्वीकृति जिला परिषद्, प्रतापगढ़ को दी गई और कुछ को जिला परिषद्, इलाहाबाद को जिसमें से मानिकपुर का घाट एक है।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस घाट के बारे में इलाहाबाद और प्रतापगढ़ का जो बंटवारा हुआ है उसमें प्रतापगढ़ को काम मिलता है लिहाजा पुनः बिचार करके नीलाम किया जाय और बंटवारा किया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसा संभव नहीं है, ऐसी कोई शिकायत जिला बोर्ड के जरिये से नहीं आयी कि किसी को कम पड़ता है। सन् ३९ में एक दफा चर्चा हुई थी, उस समय भी मालूम कर लिया गया कि ठीक-ठीक पड़ता है। लेकिन अगर बहुत बड़ा फर्क होगा तो इस पर बिचार होगा।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मानिकपुर घाट से जो आमदनी सन् १९६०-६१ में हुई वह कितनी थी और उसका इलाहाबाद और प्रतापगढ़ में किस प्रकार से बंटवारा हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

ताड़ी सहकारी संघ में घाटा

*३६—**श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ताड़ी कोआपरेटिव परगना पन्द्रह तहसील व जिला वाराणसी में कितने रुपये की पूंजी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—ताड़ी सहकारी संघ की कुल पूंजी (total assets) उसके विघटन के पूर्व वर्ष में ८,३८९ रु० २ आना १ पाई थी।

*३७—**श्री ऊदल**—क्या सरकार को पता है कि उक्त कोआपरेटिव की सारी पूंजी को चेयरमैन व सेक्रेटरी कोआपरेटिव ने गबन कर लिया है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*३८—**श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त कोआपरेटिव में कितने मेम्बर थे और कितने रुपये का शेयर लोगों ने खरीदा था ?

श्री रामस्वरूप यादव—उक्त संघ के कुल ३३ मेम्बर थे और इन सब ने कुल ५,७३४रु० ६९ नये पैसे के हिस्से खरीदे थे।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो विघटन सहकारी संघ का हो गया उसके पहले जो पूंजी ८,३८९ रु० २ आने थी वह इस वक्त है ? अगर है तो किस जगह है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस सोसाइटी के काम में सदस्यों ने दिलचस्पी नहीं ली थी, इसलिये १,२५३ रुपये १० आने की हानि हुई थी। कुछ रुपया बाकी था, उसमें से कुछ वसूल हो गया है, कुछ नहीं हुआ।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस संघ की कुल पूंजी ५,७३४ रुपये की थी जो शेयर लोगों ने खरीदे थे, और आखिर में ८,३८९ रुपये २ आने हुई तो कहां घाटा हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव—असेट्स में तो पूंजी के साथ और सामान भी आता है और कई बातें आती हैं, लेकिन विघटन के समय १,२५३ रुपये १० आने की हानि हुई थी और रुपया बाकी है, जो वसूल नहीं हो सका।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी पुनः इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि सोसाइटी के कुछ जिम्मेदार लोगों ने इसकी पूंजी को खा लिया ?

श्री रामस्वरूप यादव---चेयरमैन और सेक्रेटरी पर रुपया बाकी था। सेक्रेटरी ने अदा कर दिया, चेयरमैन पर अब भी बाकी है। और यदि माननीय सदस्य आवश्यक समझते हैं तो फिर इस विषय को दिखवा लिया जायगा।

यू० पी० जेल सहकारी समिति लिमिटेड, लखनऊ में गबन

*३९---श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या दिनांक १८ फरवरी, १९६१ का प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र उन्हें यू० पी० जेल्स सहकारी समिति लिमिटेड लखनऊ में हुए गबन के बारे में Annexures के सहित मिला था? अगर हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां। इस पत्र की मुख्य-मुख्य बातों का विवरण संलग्न है। चूंकि समिति से संबंधित गबन का मामला इस समय अदालत में चल रहा है इसलिये उस संबंध में अभी किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना वांछनीय नहीं समझा गया।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २८०-२८१ पर)

*४०---श्री गोविन्द सिंह विष्ट---क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० जेल्स कोआपरेटिव समिति लिमिटेड, लखनऊ का १९५९ या १९६० में कोई विशेष आडिट किया गया? अगर हां, तो संबंधित रिपोर्ट में कौन-कौन अपराधी पाये गये तथा सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, सहकारी वर्ष १९५८-५९ के हिसाब का विशेष आडिट हुआ था। इस आडिट रिपोर्ट के अनुसार अपराधी पाये गये व्यक्तियों के नाम तथा उस संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २८०-२८१ पर)

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो उन्होंने विवरण दिया है इस के अनुसार ५ आदमी अभियुक्त पाये गये हैं। इनमें से एक मेगी साहब हैं जो एफ० आई० आर० में नामांकित थे और एक सक्सेना साहब भी जिन पर पुलिस ने मुकदमा चलाया? मेगी साहब पर मुकदमा न चला कर उनको पी० ए० टु आई० जी० (प्रिजन्स) यू० पी० बना दिया गया?

श्री रामस्वरूप यादव---यह मुझे पता नहीं कि किसको पी० ए० टु आई० जी० बना दिया गया। जिनके खिलाफ शहादत मिलती है उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। किन-किन के खिलाफ कार्यवाही हो रही है उनके नाम तो उपलब्ध नहीं हैं। कुछ मुकदमों में सजा भी हो चुकी है।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, इस विवरण के आखिर में जो उन्होंने लिखा है कि सक्सेना पर ३०० रुपया जुर्माना और तीन वर्ष का कठोर कारावास हुआ तो क्या यह सही है कि ट्रायल कोर्ट से उन्हीं मैजिस्ट्रेट ने सक्सेना के फैसले में लिखा है कि मेगी को भी इस मुकदमें में गवाह नहीं बल्कि मुलजिम बनकर आना चाहिये था तब ऐसी स्थिति में क्या वजह है कि कोआपरेटिव विभाग ने अब तक मुकदमा नहीं चलाया?

श्री रामस्वरूप यादव---जजमेन्ट की कापी मेरे सामने नहीं है इसलिये मैं अभी कुछ कह नहीं सकता।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी उस जजमेन्ट की कापी मंगाकर पुनः जांच करायेंगे और फिर से मुकदमा कायम कराने की कृपा करेंगे?

श्री राम स्वरूप यादव—फैसला तो देख ही लूंगा और अगर आवश्यक हुआ तो कार्यवाही की जायगी लेकिन दोबारा जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री प्रताप सिंह—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कितने रुपये का गबन हुआ था ?

श्री रामस्वरूप यादव—डिटेल्स तो उत्तर में दे दिये गये हैं ।

मोहान सहकारी संघ संबंधित गबन का मुकदमा

*४१—**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के अन्तर्गत ग्राम मोहान, तहसील, हसनगंज के सीड स्टोर में कितने रुपये के गबन से संबंधित केस चल रहा है और कितने दिनों से ?

श्री मंगलाप्रसाद—मोहान सहकारी संघ, जिला उन्नाव का २१,८९९ रुपये १ आना ३ पाई का गबन का केस २३-४-५७ से चल रहा है ।

बदायूं नगरपालिका के अवक्रमण के लिये प्रार्थना-पत्र

*४२—**श्री टीकाराम**—क्या सरकार अगस्त, सन् १९६१ में कमिश्नर रुहेलखन्ड ने जो बदायूं म्युनिसिपैलिटी का मुआइना किया उसमें सड़कों और म्युनिसिपैलिटी के प्रबन्ध की दशा कैसी पायी इससे सदन को अवगत करायेगी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—अगस्त, १९६१ के बदायूं के Monsoon tour के दौरान में कमिश्नर रुहेलखन्ड ने बदायूं नगरपालिका का कोई formal निरीक्षण नहीं किया और न उन्होंने सड़कों तथा म्युनिसिपैलिटी के प्रबन्ध के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

*४३—**श्री टीकाराम**—क्या यह सही है कि म्युनिसिपैलिटी बदायूं के खिलाफ उसको सुपरसीड कराने का कोई प्रार्थना-पत्र कमिश्नर रूहेलखन्ड के पास सन् १९६१ में आया है ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गनेशी लाल चौधरी—जी हां । उस प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि कमिश्नर महोदय ने जिलाधीश बदायूं को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी है ।

श्री टीकाराम—क्या सरकार बतायेगी कि कमिश्नर रूहेलखन्ड ने अगस्त में दौरा नहीं किया और मानसून में दौरा किया तो मैं पूछता हूं कि किस मास में दौरा किया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कमिश्नर साहब बदायूं गये थे लेकिन उन्होंने म्युनिसिपैलिटी का निरीक्षण करने के लिये दौरा नहीं किया था, गये वह अगस्त में ही थे ।

श्री टीकाराम—दौरा और वजह से किया लेकिन क्या मंत्री जी बतायेंगे कि म्युनिसिपैलिटी के वाकयात भी उनके सामने आये थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इनफार्मल तरीके पर कमिश्नर साहब के सामने कुछ बातें आयी थीं । वहां पर कुछ इन्क्रोचमेन्ट वगैरह जो थे उनको उन्होंने देखा था और म्युनिसिपैलिटी के मेम्बरान से बातचीत की थी ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं म्यूनिसिपैलिटी के खिलाफ उसको सुपरसीड कराने का जो प्रार्थना-पत्र कमिश्नर रुहेलखन्ड के पास गया था उस में सुपरसीड कराने का क्या आधार या शिकायतें थीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—शिकायतें यहीं हैं कि म्युनिसिपैलिटी ठीक काम नहीं कर रही है, हां की सड़कें बड़ी खराब है वगैरह ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कमिश्नर साहब ने इनफार्मल तौर से सदस्यों से बातचीत की और कुछ जानकारी हासिल की और एक दरख्वास्त भी पहुंची, और इन बातों में क्या कमिश्नर ने कोई सत्यता प्राप्त की है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्रस्ताव उन्होंने जिलाधिकारी के पास जांच के लिये भेज दिया है। सत्य की जांच हो रही है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या यह सही है कि इनके खिलाफ अभी भी अभियोग हैं कि रुपये का गोलमाल है और कुछ ऐसे लोगों के वेतन ड्रा किये गये हैं जो नौकरी पर नहीं थे या उनको वेतन नहीं दिया जा सकता था। यदि हां, तो इस विषय में कमिश्नर को कौन-कौन बातें सच मिलीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—नोटिस की आवश्यकता है।

चेयरमैन, टाउन एरिया, बेवर के खिलाफ शिकायतें

*४४—**श्री रामदीन** (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि जिला मैनपुरी के टाउन एरिया बेवर में चेयरमैन के खिलाफ जांच करने के बारे में प्रार्थना-पत्र सरकार तथा जिला अधिकारियों के पास सन् १९५३ से अब तक जनता की तरफ से भेजे गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

*४५—**श्री रामदीन** (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रार्थना-पत्रों पर सरकार या जिलाधीश के क्या आदेश हुए ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—समय समय पर जो भी शिकायतें प्राप्त हुई उन पर जांच करने के उपरान्त यथोचित कार्यवाही की गई। अधिकांश शिकायतें निराधार पाई गईं और उन पर कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया।

ग्राम सभा फीरोजपुर की सीमा में परिवर्तन

*४६—**श्री मूलचन्द** (जिला सीतापुर), (अनुपस्थित), **श्री मोतीलाल अवस्थी, श्री बालकराम** (जिला शाहजहांपुर), **श्री रूम सिंह** (जिला शाहजहांपुर) तथा **श्री टीका राम**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील सिधौली जिला सीतापुर के ग्राम सभा फीरोजपुर ब्लाक पहला में राजकीय गजट २५ जून, १९५५ ई० के पृष्ठ नं० १११२ भाग ३ में यह घोषित किया गया था कि ग्राम सभा संख्या नं० २५९ में फीरोजपुर, बेहटी मानशाह, मुबारकपुर खुर्द बजवापुर ग्राम सम्मिलित किये गये हैं और उसी के अनुसार सन् १९५६ तथा १९६१ ई० में पंचायत के आम चुनाव भी कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्या अब सरकार उनकी निश्चित रूप-रेखा में कोई परिवर्तन कराने का विचार कर रही है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—जी हां। उत्तर प्रदेश गजट दिनांक जून २५, १९५५ में प्रकाशित विज्ञप्ति का संशोधन दिनांक दिसम्बर १७, १९५५ के गजट में किया जा चुका है।

*४७—**श्री मूलचन्द** (अनुपस्थित), **श्री मोतीलाल अवस्थी, श्री बालकराम, श्री रूमसिंह** तथा **श्री टीकाराम**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त ग्राम सभा फीरोजपुर में सम्मिलित ग्राम मुबारकपुर खुर्द को पृथक करके पड़ोसी ग्राम सभा नियामतपुर लवरहा में सम्मिलित किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप दोनों ग्राम सभाओं (फिरोजपुर तथा नियामतपुर लवरहा) का पुनः चुनाव कराने का विचार है ? यदि हां, तो किस नियम के अनुसार और क्या सरकार उस नियम या आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—वांछित परिवर्तन किया जा चुका है। निर्वाचन निदेशक, पंचायत द्वारा पंचायतराज अधिनियम की धारा १२-ख के अधीन पुनः चुनाव के आदेश दिये जा चुके हैं। उक्त आदेश की प्रति मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २८२ पर)

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या फीरोजपुर तथा नियामतपुर लवरहा में चुनाव कराया जा चुका है और यदि हां तो किस तारीख को ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—फिर से चुनाव होने के आदेश १३ जून को दिये गये आशा है कि शायद हो गया हो।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या यह लाजिमी नहीं है कि मंत्री जी शायद न कह कर निश्चित रूप से उत्तर दें ?

श्री अध्यक्ष—मंत्री जी शायद शब्द कहने के बजाय सूचना मांग लेते तो अधिक अच्छा था।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरी आपत्ति है कि सरकार को निश्चित रूप से उत्तर देना चाहिये। सूचना डिटेल के लिये मांगी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष—आप बहस कर रहे हैं। उनके पास सूचना अभी नहीं आई है।

अन्तरिम जिला परिषद्, जौनपर के कार्यमुक्त अध्यापकों का प्राविडेण्ट फण्ड तथा बीमा का धन

*४८—**श्री नागेश्वरप्रसाद**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अन्तरिम जिला परिषद्, जौनपुर के कितने कार्यमुक्त अध्यापकों का प्राविडेन्ट फंड और बीमा का धन एक वर्ष से अधिक कार्यमुक्त हो जाने के बाद भी अब तक नहीं मिला है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—३१ मार्च सन् १९६१ तक अन्तरिम जिला परिषद्, जौनपुर के ऐसे २४७ कार्यमुक्त अध्यापकों के प्राविडेन्ट फन्ड तथा बीमे के धन का पूरा भुगतान नहीं किया जा सका।

*४९—**श्री नागेश्वरप्रसाद**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त धन कितने कितने वर्ष तथा कितने-कितने अध्यापकों का बाकी है और प्राविडेन्ट फंड तथा बीमा का यह धन अलग-अलग कितना-कितना बकाया में है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—इन २४७ कार्यमुक्त अध्यापकों को ३१ मार्च, १९५४ तक का प्राविडेन्ट फंड और बीमें का धन दिया जा चुका है इसके बाद की रकम देना बाकी है।

इन अध्यापकों के बीमे का बाकी धन तो १४,०९३ रु० ७६ न० पैसा है, परन्तु प्राविडेन्ट फंड की बाकी रकम इस समय बताना सम्भव नहीं है क्योंकि इन अध्यापकों का प्राविडेन्ट फंड का व्योरा अपूर्ण है।

श्री नागेश्वरप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रावीडेंट फंड का व्योरा तैयार न होने का क्या कारण है और उसे तैयार कराने के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अध्यापकों के वेतन में परिवर्तन हुआ जिसके कारण हिसाब लगाने में देर हुई।

नोट:—तारांकित प्रश्न ४९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

सहकारी समिति, ग्राम मिढ़ा में कथित गबन

*५०—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम मिढ़ा, तहसील व जिला बलिया की सहकारी समिति में कोई गबन हाल में पकड़ा गया है ?

श्री मंगलाप्रसाद—जी नहीं, कोई गबन नहीं पकड़ा गया।

*५१—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि इस गबन की जिम्मेदारी किसके ऊपर निश्चित की गई है ?

श्री मंगलाप्रसाद—यह प्रश्न नहीं उठता है।

*५२—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि उक्त गबन करने वाले के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी है ?

श्री मंगलाप्रसाद—यह प्रश्न भी नहीं उठता है।

कानपुर नगर महापालिका के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*५३—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ) तथा श्री बुद्धी सिंह (जिला मुरादाबाद)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर नगरमहापालिका के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध जनवरी, १९६१ से अप्रैल, १९६१ के बीच में और ४ जनवरी को स्वायत्त शासन मंत्री को पुस्तिका के रूप में या अन्य प्रकार से लिखित शिकायतों की सूचना प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—नगर महापालिकाओं के सम्बन्ध में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं और उन पर यथावश्यक कार्यवाही की जाती है। जब तक शासन को यह न सूचित किया जाय कि किस विषय पर और किन अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों की जानकारी वांछित है तब तक इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है।

*५४—श्री रामशरण यादव तथा श्री बुद्धीसिंह—क्या यह सही है कि गत २१ अप्रैल को ग्रीन पार्क में हुई मुख्य मंत्री की मीटिंग में कानपुर नगरमहापालिका के अधिकारियों के विरुद्ध उक्त शिकायतों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री से बात करने के लिये समय मांगते वक्त किसी व्यक्ति को पागल कह कर गिरफ्तार कर लिया गया था ? यदि हां, तो क्या उसका डाक्टरी मुआइना कराया गया ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—दिनांक २१ अप्रैल, १९६१ को सायंकाल साढ़े सात बजे ग्रीन पार्क में श्री भगवतीप्रसाद नामक एक व्यक्ति को जो पागलों की तरह व्यवहार कर रहे थे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। दूसरे ही दिन उन्हें डाक्टरी मुआइने के लिये भेजा गया। डाक्टर ने उन्हें १२ दिन तक निरीक्षण में (under observation) रखा और ४ मई, १९६१ को रिपोर्ट दी कि उक्त व्यक्ति में पागलपन के लक्षण तब तक नहीं प्रतीत हुए। अतः दूसरे ही दिन मजिस्ट्रेट की आज्ञा से उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया।

सीतापुर जिले में नव निर्वाचित प्रधानों को चार्ज न देने वाली ग्राम सभायें

*५५—श्री मूलचन्द—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सीतापुर जिले में ग्राम प्रधानों के चुनाव पूरे हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या उन नवनिर्वाचित प्रधानों को चार्ज मिल गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। जिला सीतापुर की १,७५९ गांव सभाओं में से १,७०३ गांव सभाओं के नव निर्वाचित प्रधानों को चार्ज मिल गया है।

*५६—श्री मूलचन्द—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिले में नव निर्वाचित प्रधान किन-किन गांवों के हैं जिनको अभी तक चार्ज नहीं मिल सका है और ऐसा क्यों है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—४५ गांव सभाओं जिनक नाम परिशिष्ट 'अ' में अंकित है के प्रधानों को चार्ज इसलिये नहीं मिल सका है क्योंकि उन गांव पंचायतों के दो तिहाई सदस्यों का निर्वाचन न होने के कारण उनका संगठन ही नहीं हो सका है। शेष ११ गांव सभाओं जिनके नाम परिशिष्ट 'ब' में अंकित हैं के भूतपूर्व प्रधानों ने नव निर्वाचित प्रधानों को चार्ज नहीं दिया है और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २८३ पर)

कायमगंज विकास क्षेत्र में पंचायती चुनाव संबंधी पर्चों की बिक्री में गबन की शिकायत

*५७—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज विकास क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत चुनावों के समय ग्राम सभाओं के सभापतियों तथा सदस्यों के मनोनीत पर्चों का बिक्री के सम्बन्ध में १,९८० रु० के गबन के सम्बन्ध में प्रदेशीय सरकार या पंचायतराज निदेशक के पास जुलाई मास, १९६१ में शिकायती प्रार्थना-पत्र आये हैं ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसा कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र नहीं आया है। अतः किसी कार्यवाही के करने का प्रश्न नहीं उठता।

फर्रुखाबाद जिले में निवास स्थान से २५ मील के अन्दर तैनात पंचायत मंत्री

*५८—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में कितने ऐसे पंचायत मंत्री हैं जो २५ मील से कम दूरी पर हैं और क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला फर्रुखाबाद में ७४ पंचायत मंत्री ऐसे हैं जो कि अपने निवास-स्थान से २५ मील से कम दूरी पर कार्य कर रहे हैं और इनको स्थानान्तरित न किये जाने का कारण यह है कि इनमें से २४ पंचायत मन्त्रियों का कार्य अच्छा पाया गया और रोकने के लिये क्षेत्र विकास अधिकारी एवं पंचायत निरीक्षक ने संस्तुति की थी। पंचायतों के तृतीय सामान्य निर्वाचन के फलस्वरूप बहुधा प्रधान नये हो गये थे जिन्हें पंचायत कार्य प्रणाली का ज्ञान न था। ऐसी दशा में पंचायत मन्त्रियों के भी उस स्थान में नये होने के फलस्वरूप कार्य संचालन में बाधा पड़ती। इसके अतिरिक्त सामान्य निर्वाचन के कारण शेष पंचायत मन्त्रियों का भी स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं समझा गया।

स्थानीय निकायों में काम करने वाले मेहतर

*५९—श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की महानगरपालिकाओं, नगरपालिकाओं तथा अन्य स्थानीय निकायों में जो सफाई कर्मचारी (मेहतर) वर्तमान समय में सेवा कर रहे हैं उनकी संख्या पब्लिक हेल्थ मैनुअल के अनुसार सही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उसका कारण बताने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आवश्यक सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २८४ पर)

सहकारी समितियों में अन्तरिम जिला परिषदों का प्रतिनिधित्व

*६०—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अन्तरिम जिला परिषदों तथा विकास क्षेत्रों में सहकारी समितियों को जो विकास की एक आवश्यक इकाई है, प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जहां तक अन्तरिम परिषदों का सवाल है उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ की अनुसूची के प्रस्तर २ (१०),(११) तथा (१४) के अधीन कोआपरेटिव बैंक का मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेन्ट फेडरेशन तथा जिले की समस्त शुगरकेन मार्केटिंग सोसाईटीज का एक एक प्रतिनिधि अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य होते हैं ।

हां, वर्तमान खन्ड विकास समितियों में सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व नहीं है । कारण यह है कि इन समितियों के स्थान पर उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ के अधीन क्षेत्र समितियों की स्थापना शीघ्र ही होने वाली है और उन क्षेत्र समितियों में सहकारी समितियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है अतः यह आवश्यक नहीं समझा गया कि इस थोड़े से समय के लिये वर्तमान खन्ड विकास समितियों के संगठन में हेर-फेर किया जाय ।

सुमेरपुर विकास क्षेत्र में निवास-स्थान से २५ मील के अन्दर तैनात पंचायत मंत्री

*६१—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुमेरपुर विकास क्षेत्र, जिला उन्नाव में ऐसे कितने पंचायत मंत्री हैं जो अपने निवास स्थान से २५ मील से कम दूरी पर हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—विकास क्षेत्र सुमेरपुर, जिला उन्नाव में ७ पंचायत मंत्री ऐसे हैं जो अपने निवास स्थान से २५ मील से कम दूरी पर हैं ।

*६२—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इनमें से कितने ऐसे हैं जो एक ही स्थान पर ५ वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इनमें से ४ पंचायत मंत्री ऐसे हैं जो उसी क्षेत्र में ५ वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ।

ग्राम सभा लउवा सिंहनखेड़ा में प्रधान के चुनाव के समय गड़बड़ी

*६३—श्री परमेश्वरदीन वर्मा (जिला उन्नाव)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उन्नाव जिले की पुरवा तहसील के अन्तर्गत लउवा सिंहनखेड़ा ग्राम पंचायत के गत सभापति के चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई थी जिसके कारण निर्धारित तिथि को पूरा चुनाव नहीं हो सका था और मतदान बन्द हो गया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ग्राम सभा लउवा सिंहनखेड़ा में पंचायत निर्वाचन (प्रधान) के दिन दिनांक २०-१-६१ को पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा तथा मारपीट हो जाने के कारण निर्वाचन सम्पन्न नहीं किया जा सका था । यह निर्वाचन पुनः ७ फरवरी, १९६१ को बिना किसी बाधा के सम्पन्न हुआ था ।

*६४—श्री परमेश्वरदीन वर्मा—यदि हां, तो क्या वहां के प्रेसाइडिंग आफिसर ने कोई रिपोर्ट पुलिस में या अन्य अधिकारियों को की थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्रेजाइडिंग अफसर श्री वीरेन्द्रकुमार सिंह ने दिनांक २०-१-६१ को एक लिखित रिपोर्ट विकास खन्ड हिलौली के निर्वाचन अधिकारी (बी० डी० ओ०) को दी थी जो कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसी दिन स्टेशन इन्चार्ज, मौरावां को प्रेषित कर दी गई थी ।

*६५—**श्री परमेश्वरदीन वर्मा**—क्या सरकार को यह भी शिकायत प्राप्त हुई है कि वहां के प्रेसाईडिंग आफिसर से जबर्दस्ती रिपोर्ट में कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम लिखा लिये गये हैं जो इस गड़बड़ी करने में शरीक नहीं थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—परगनाधीश पुरवा ने इस सम्बन्ध में magistrial enquiry की। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में यह भी सूचित किया है कि यह शिकायत पुलिस ने जबरदस्ती दबाव डालकर रिपोर्ट लिखा ली, जिसमें श्री जमुना सिंह, श्री मुन्नीलाल सिंह और श्री कन्हैया बक्श सिंह को शरीक किया गया था उनको धमकाया गया, गलत पायी गयी।

बीसलपुर–बिलसंडा सड़क पर कटनी के पुल का ठेका

*६६—**श्री सुरथ बहादुरशाह** (जिला खीरी) तथा **शिवप्रसाद नागर**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला पीलीभीत में बीसलपुर–बिलसंड़ा सड़क पर पुल का ठेका कितने समय को दिया गया था और क्या सरकार का विचार उक्त पुल को निःशुल्क खोलने का है अथवा नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—पीलीभीत जिले में बीसलपुर–बिलसंडा सड़क पर कटनी पुल का ठेका राजकीय स्वीकृति से जिला बोर्ड पीलीभीत ने २३ वर्ष के लिये १ अक्टूबर, १९४० से दिया था। इस ठेके की अवधि ३० सितम्बर, १९६३ को समाप्त होगी। अतः शासन द्वारा अन्तरिम जिला परिषद्, पीलीभीत को आदेश दे दिया गया है कि ३० सितम्बर, १९६३ के बाद ठेका पुनः न दे।

*६७–६८—**श्री जोखई** (जिला इलाहाबाद)—[४थे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १५५–१५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

सिंगसियापुर ग्राम सभा के चुनाव में कथित अनियमितता

*६९—**श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत अकबरपुर विकास क्षेत्र की ग्राम सभा सिंगसियापुर के २२ सदस्यों में से १५ सदस्य ऐसे चुने गये हैं जिनके ऊपर बकाया टैक्स है और पंचायत सेक्रेटरी तथा नामिनेशन अधिकारी ने उनके परचे खारिज नहीं किये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह गलत है कि कानपुर जिले के अन्तर्गत अकबरपुर विकास क्षेत्र की ग्राम सभा संगसियापुर के २२ सदस्यों में से १५ सदस्य ऐसे चुने गये हैं जिनके ऊपर बकाया टैक्स है। पंचायत मंत्री को पर्चे खारिज करने का अधिकार नहीं है। यह सही है कि सहायक निर्वाचन अधिकारी ने पर्चे खारिज नहीं किये क्योंकि इसके बारे में किसी ने कोई आपत्ति नहीं की।

*७०—**श्री रामदुलारे मिश्र**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री उस हल्के के पंचायत सेक्रेटरी और पंचायत के नामिनेशन अधिकारी के उक्त कार्य की जांच कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्या कठिनाई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—क्योंकि पंचायत मंत्री को पर्चे खारिज करने का अधिकार नहीं है और सहायक निर्वाचन अधिकारी के सामने किसी ने आपत्ति नहीं की अतः जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

लोहरिया साल मल्ला तथा बिठौरिया नं० २ ग्राम सभाओं का चुनाव

*७१—**श्री खुशीराम** (जिला अल्मोड़ा)—क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल में ग्राम सभा लोहरियासाल मल्ला व बिठौरिया नं० २ के पंचायती चुनाव माह मई, १९६१ में न किये जाकर माह अगस्त में किये जाने का क्या कारण था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ग्राम सभा लोहरियासाल मल्ला तथा बिठौरिया नं० २ के पुनःसंगठन का प्रश्न निदेशक, पंचायतराज के विचाराधीन था। जिस समय मई, १९६१ में चुनाव प्रारम्भ हुये, उस समय तक उनके पुनः संगठन के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया था। अतः इन ग्राम सभाओं में चुनाव मई, १९६१ में न होकर अगस्त, १९६१ में समाप्त हुये।

*७२---**श्री खुशीराम**---क्या यह सही है कि जिला पंचायतराज अधिकारी नैनीताल ने दिनांक ६ मई, १९६१ को सिर्फ ४ दिन का नोटिस देकर ग्राम सभा बिठौरिया नं० २ की बैठक को बुलाया और इस बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिलाधीश नैनीताल ने की। यदि हां, तो यह कार्यवाही किस नियम से की गई?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ग्राम पन्याली तथा बजूनिया हदू को ग्राम सभा लोहरिया साल मल्ला अथवा बिठौरिया नं० २ में से किस ग्राम सभा में सम्मिलित किया जाय---इस प्रश्न पर जांच हेतु अतिरिक्त जिलाधीश, नैनीताल ने प्रशासकीय दृष्टिकोण से ग्राम सभा बिठौरिया नं० २ के वयस्क सदस्यों को पूर्व सूचना देकर उनकी सम्मति जानने के लिये बुलाया था और उसकी अध्यक्षता स्वयं की थी। यह बैठक गांव सभा की बैठक नहीं थी और न पंचायतराज अधिनियम अथवा नियमावली के अन्तर्गत ही बुलाई गई थी।

अन्तरिम जिला परिषदों के अध्यक्षों के दौरे पर व्यय

*७३---**श्री श्री कृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)---क्या सरकार को मालूम है कि अध्यक्ष अन्तरिम जिला परिषद को दौरे आदि के खर्च के लिये ढाई सौ रुपया माहवार दिया जाता है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां।

*७४---**श्री श्री कृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार ने अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्षों के लिये माहवारी या सालाना दौरे के कि वह कितने दिन कम से कम दौरा करेंगे, दिन नियत कर दिये हैं? यदि नहीं किये हैं, तो क्यों नहीं किये और इस सम्बन्ध में क्या कोई कदम उठाये जा रहे हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां। अन्तरिम जिला परिषद के अध्यक्षों को नियमानुसार कम से कम माह में १० रोज दौरा करना आवश्यक है। पहाड़ी जिलों के अध्यक्षों को वर्ष में १२० दिन दौरा करना आवश्यक है।

*७५---**श्री श्री कृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन जिलों में भूतपूर्व जिला बोर्ड के अध्यक्षों के पास कार थीं अब वे अन्तरिम जिला परिषदों के अध्यक्षों को वापस कर दी गई हैं? क्या उन्हें बेच कर नई कारें खरीदी जायेंगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी नहीं, केवल वे ही अन्तरिम जिला परिषदें जिनकी गाड़ियों की अवस्था कार्य योग्य नहीं, नई गाड़ियां खरीद सकती हैं।

*७६---**श्री गजेन्द्रसिंह** (जिला इटावा)---[६ मार्च, १९६२ के लिये प्रश्न १३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*७७---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---[हटा दिया गया।]

*७८-८०---**श्री ऊदल**---[हटा दिये गये।]

बर्डपुर, दुलहा दरमियानी आदि ग्राम सभाओं में पंचायत अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

*८१—श्री दुर्योधन (जिला बस्ती)—क्या सरकार को यह सूचना है कि बस्ती जिले की ग्राम सभा बर्डपुर, दुलहा दरमियानी, दुलहा शुमाली तथा ककरहवा बाजार आदि में पंचायत राज ऐक्ट की धारा ११२ (१—घ) का उल्लंघन निरन्तर होता चला आ रहा है और ब्लाक अधिकारी तथा जिला पंचायत अधिकारी इस सम्बन्ध में सूचना पाकर भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इन अधिकारियों की लापरवाही के कारणों पर प्रकाश डालेगी तथा यह भी बतायेगी कि इनके विरुद्ध वह क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री चतर्भुज शर्मा—निर्धारित समय के भीतर वांछित सूचना एकत्र करना सम्भव नहीं हो सका है।

*८२—श्री दुर्योधन—[६ मार्च, १९६२ के लिये प्रश्न १३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

ग्राम सभा पंचायत दुलहा से स्वीकृत प्रस्ताव

*८३—श्री दुर्योधन—क्या यह सही है कि बस्ती जिले के बर्डपुर ब्लाक की ग्राम सभा पंचायत दुलहा से अगस्त, १९६० में ग्राम सुधार से सम्बन्धित तथा अन्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करके सम्बन्धित पंचायत अधिकारी के पास गये थे? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक सरकार की ओर से क्या कार्यवाही तथा कब-कब की गई है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—निर्धारित समय के भीतर वांछित सूचना एकत्र करना सम्भव नहीं हो सका है।

हैबतपुर बस्ती ग्राम के प्रधान के विरुद्ध शिकायत

*८४—श्री श्रीनाथ (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि ग्राम हैबतपुर-बस्ती, थाना मधुबन, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के प्रधान के विरुद्ध गत वर्ष अगस्त, १९६० में जिला पंचायत अधिकारी ने गांव सभा के कोष के गबन रजिस्टार आडिट रिपोर्ट तथा गांव सभा से सम्बन्धित अन्य कागजात अपने कब्जे में किये तथा धन के दुरुपयोग आदि का गम्भीर आरोप लगाया और आडीटर की रिपोर्ट भी उक्त प्रधान के विरुद्ध है? यदि हां, तो उक्त प्रधान के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

*८५—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि उक्त प्रधान के विरुद्ध कई मामले धारा ३७९, ३२३, १४७, १४९, १०७/११७, २११, ३२१ भारतीय दंड विधान के अनुसार आजमगढ़ जिले में चल रहे हैं? और उक्त प्रधान अभी तक अपने पद पर बना है निलम्बित भी नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

*८६—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या इस सम्बन्ध में इस वर्ष मुख्य मन्त्री उत्तर प्रदेश एवं जिलाधीश आजमगढ़ के पास इस विषय में उक्त प्रधान के विरुद्ध तात्कालिक विभागीय कार्यवाही करने के विषय में कोई आवेदन-पत्र दिया गया था? यदि हां, तो उक्त आवेदन पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—निर्धारित समय के भीतर वांछित सूचना एकत्र करना सम्भव नहीं हो सका है।

फर्रुखाबाद जिले में सहकारी समितियों द्वारा भट्टों के ठेके

*८७—श्री रामशरण यादव—क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५८-५९ व १९५९-६० में जिला फर्रुखाबाद में किन-किन सहकारी सोसाइटियों ने भट्ठे लगवाये ?

*८८—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भट्ठे सहकारी सोसाइटीयों ने स्वयं लगवाये या ठेकेदारों को ठेका दिया गया था ? यदि ठेकेदारों को ठेका दिया गया था तो किन-किन ठेकेदारों को ?

*८९—सहकारी सोसाइटियों को भट्ठों से हानि हुई या लाभ और कितना ?

श्री मंगलाप्रसाद—निर्धारित समय के भीतर सूचना एकत्र करना सम्भव न हो सका।

अतारांकित प्रश्न

सलेज फार्म, लखनऊ में घाटे की जांच

१—श्री ऊदल—क्या सरकार १० फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४० के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेगी कि सलेज फार्म, लखनऊ में गबन के सम्बन्ध में जो जांच हो रही थी क्या वह पूरी हो गई ? यदि हां, तो कितने रुपये का गबन पाया गया और उसके लिये कौन-कौन फार्म के अधिकारी जिम्मेदार हैं ? क्या जांच की एक प्रति सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—लखनऊ सलेज फार्म के सिलसिले में गबन की कोई शिकायत नहीं आई है और न उस विषय में कोई जांच हुई है। सलेज फार्म में वर्ष १९५७-५८ के पहले के वर्षों में होने वाले घाटे के सिलसिले में अवश्य जांच की गई है और वह जांच पूरी हो चुकी है। उस जांच से यह पता चला है कि सलेज फार्म में १३६३ फसली तक लगभग रुपये १,६१,५४४.३२ नया पैसे बकाया थे जो कि मियाद बाहर हो गये और इसलिये वसूल नहीं किये जा सके। इसका मुख्य कारण कतिपय अधिकारियों की लापरवाही थी जिसकी वजह से हिसाब ठीक तरह से नहीं रक्खा गया। उनमें से कुछ अधिकारी रिटायर हो गये हैं या नौकरी छोड़ कर जा चुके हैं। एक क्लर्क के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है परन्तु यह कार्यवाही पूरी नहीं हुई है। पर विभाग के अध्यक्ष के विरुद्ध भी अनुशासन की कार्यवाही की गई थी। और वे भी अब रिटायर हो गये हैं।

यह रिपोर्ट इस समय महापालिका के विचाराधीन है और चूंकि इस सम्बन्ध में अब पूरा जूरिसडिक्शन महापालिका का है अतएव इस समय रिपोर्ट की कापी सदन की मेज पर रखना सरकार उचित नहीं समझती।

२—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त फार्म में सन ५७ से लेकर अब तक प्रतिवर्ष कितने रुपये की आय हुई और कितना रुपया प्रतिवर्ष व्यय हुआ और वह कितने एकड़ का है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस फार्म पर १९५७ से जून, ३०, १९६१ तक हुये आय-व्यय का विवरण (सूची एक) संलग्न है। यह फार्म ११७६ एकड़ है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २८५ पर)

३—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त फार्म का कितने किसानों के नाम कितने-कितने रुपये में पट्टा दिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसका विवरण सूची २ में संलग्न है।

(देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ २८६ पर)

झांसी नगरपालिका के अध्यक्ष व सदस्यों के विरुद्ध आरोप

४—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या स्वायत शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि झांसी म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन व मेम्बर के खिलाफ किस-किस प्रकार के कितने मामले जनवरी, १९५७ से ३१ मार्च, १९६१ तक फैसले के लिये सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—नगरपालिका झांसी के अध्यक्ष तथा सदस्यों के विरुद्ध जनवरी, १९५७ से ३१ मार्च, १९६१ तक की कुल ३० शिकायतें विचाराधीन हैं जिनमें से २५ शिकायतें अध्यक्ष के विरुद्ध तथा ५ सदस्यों के विरुद्ध हैं—

अध्यक्ष के विरुद्ध

(१) अध्यक्ष द्वारा अधिक दामों पर पुरानी पिकअप नम्बर यू० एस० जे० ९६४४ खरीदने के विषय में।

(२) श्री बच्चू लाल पटसारिया को अनियमित रूप से जमीन देने के सम्बन्ध में।

(३) कांग्रेस मेम्बर भर्ती के लिये बोर्ड कर्मचारी व कार लगाना।

(४) अखबारों में भारी विज्ञापन देने के सम्बन्ध में अधिक व्यय ।

(५) सड़कों के अनियमित ठेके देने के विषय में।

(६) खन्ती खाद का गबन।

(७) वाटर मीटर्स की चोरी।

(८) चुंगी चोरी।

(९) कर्मचारियों की अवैधानिक नियुक्तियां।

(१०) अध्यक्ष द्वारा पद व रुपयों का दुरुपयोग तथा अन्य अनियमिततायें जैसे—वार्षिक रिपोर्ट तथा बजट का विलम्ब से भेजा जाना, बिना कुटेशन के सामान खरीदना, सब कमेटी बनाने में देर, कर्मचारियों की नियुक्तियों में पक्षपात।

सदस्यों के विरुद्ध

(१) श्री तुलसीराम राय तथा श्री ब्रह्मानन्द शर्मा सदस्यों के विरुद्ध रूई खरीदने में गोलमाल करने के सम्बन्ध में ।

(२) श्री रामबट्टा, सदस्य के विरुद्ध अवैधानिक नियुक्तियों तथा विज्ञापन के सम्बन्ध में।

(३) श्री रामेश्वरसिंह छिलबार सदस्य के विरुद्ध अध्यापिका से नाजायज सम्बन्ध व छेड़छाड़ (दो शिकायतें)।

(४) श्री लखपतराम शर्मा के विरुद्ध कार्यवाही धारा ४०(१) म्युनिसिपल ऐक्ट।

५—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या स्वायत शासन मन्त्री बतायेंगे कि पिकअप नं० ९६४४ यू० एस० जे० के सम्बध में सी० आई० डी० की जांच जो चेयरमैन नगरपालिका झांसी के विरुद्ध १९५५ से १९६० के बीच हुई थी उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सी० आई० डी० की जांच रिपोर्ट के आधार पर अध्यक्ष नगरपालिका, झांसी के विरुद्ध इस सम्बन्ध में एक आरोप लगाया गया और उनसे उसका स्पष्टीकरण मांगा गया। उनका स्पष्टीकरण शासन को प्राप्त हो गया था किन्तु चूंकि उक्त आरोप का विषय सिविल कोर्ट के विचाराधीन था, अतएव इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही स्थगित कर दी गई है ।

६—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या स्वायत शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है कि झांसी नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा करीब सवासौ आदमियों को अनियमित रूप से नौकर रख कर जनवरी, १९५८ से मार्च ३१, १९६१ तक पेमेंट किया गया और इसकी शिकायतें वहां के एकाउन्टेंट तथा नगरपालिका के सदस्यों ने जिलाधीश और कमिश्नर झांसी से की ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की और कितना रुपया इस प्रकार वहां अनियमित रूप से व्यय हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, इस प्रकार की शिकायतों पर यह विदित हुआ था कि अध्यक्ष द्वारा अनियमित रूप से ८० नियुक्तियां की गई थीं। नगरपालिका के अध्यक्ष से मिली सूचना के अनुसार इन नियुक्तियों की पुष्टि बोर्ड ने यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज एक्ट की धारा ७०(बी) के अनुसार कर दी है। ये नियुक्तियां कहां तक अनियमित हैं, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

सहकारी सुपरवाइजर प्रशिक्षार्थियों का परीक्षाफल

७—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रान्तीय सहकारी यूनियन उत्तर प्रदेश, लखनऊ (पी० सी० यू०) द्वारा सरकारी सुपरवाइजर वर्ग के शिक्षार्थियों का परीक्षाफल कितने दिन अथवा समय के बाद घोषित किया जाता है ?

श्री मंगलाप्रसाद—सहकारी सुपरवाइजर पद के प्रशिक्षार्थियों का परीक्षाफल साधारणतः ८—१० मास के अन्दर घोषित कर दिया जाता है।

८—श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अगस्त, सन् १९५८ में उन सहकारी सुपरवाइजर वर्ग के शिक्षार्थियों का जो ग्राम सेवक बैच से लिये गये हैं तथा जिनको सहकारी सुपरवाइजर की ट्रेनिंग दी गई है उनका परीक्षाफल कब घोषित होगा ?

श्री मंगलाप्रसाद—इन ग्राम सेवकों को सहकारी सुपरवाइजरों के लिये ६ सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया था जिसे रिजर्व बैंक की सेंट्रल कमेटी ने पर्याप्त नहीं समझा। अतः परीक्षा फल घोषित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्माण-कार्य के सम्बन्ध में अन्तरिम जिला परिषदों के अधिकार तथा अल्मोड़ा जिले में प्रस्तावित पुलों के निर्माण का स्थगन

९—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या सरकार ने अन्तरिम जिला परिषदों को यह अधिकार दिया है कि योजना में स्वीकृत निर्माण कार्यों का जैसे नया पुल, नई सड़क आदि निर्माण न कर योजना के बाहर के कार्य करवायें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—पंचवर्षीय योजनाओं में पुल तथा नई सड़कें आदि बनाने के कार्यों के विषय में मुख्यतः स्थानीय निकायों और स्थानीय कार्यकर्ताओं की ही सलाह से योजनाओं का निर्माण किया गया था। जो नये पुल तथा नई सड़कें योजनाओं के अन्तर्गत रक्खी गई हैं वह अन्तरिम जिला परिषदों की सलाह से ही रक्खी गई थीं। सरकार की राय में जहां तक सम्भव हो इन योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहिये और बिना पर्याप्त कारणों के नई योजनाओं को नहीं उठाना चाहिये। परन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट है कि बहुत सी परिस्थितियों में इन मामलों में योजनाओं से बाहर जाने की आवश्यकता भी हो सकती है। चूंकि जिला परिषदों ने ही इन योजनाओं का निर्माण किया था अतएव ऐसी परिस्थिति में जिला परिषदों को ही यह अधिकार भी होना चाहिये कि समय-समय पर इसमें आवश्यक परिवर्तन भी वह कर सकें। चूंकि जिला परिषदें स्थानीय लोगों द्वारा चुनी हुई संस्थायें हैं जिनको कि स्थानीय विषयों का अच्छी तरह ज्ञान भी रहता है और चूंकि उनसे यह आशा की जाती है कि वह जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगी अतएव साधारणतः सरकार यह उचित नहीं समझती कि इस विषय में जो निर्णय परिषद् करे उसमें सरकार किसी प्रकार हस्तक्षेप करे।

इस विषय में सरकार द्वारा जिला परिषदों को अधिकार दिये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जिला परिषदों को अधिकार जिला परिषद अधिनियम द्वारा दिये गये हैं और उन्हीं अधिकारों के अन्तर्गत जिला परिषदें काम करती हैं। इस अधिनियम के प्राविधान के अनुसार जिला परिषदें अपने जिले में सड़कों आदि के रखरखाव व निर्माण के विषय में काफी स्वतन्त्र हैं। सरकार इस स्वतन्त्रता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप तब तक करना उचित नहीं समझती जब तक उसके लिये कोई बहुत ही विशेष कारण न हो।

१०—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या सरकार का ध्यान अंतरिम जिला परिषद्, अल्मोड़ा के १८ जुलाई, १९६१ के प्रस्ताव संख्या ३७ की ओर गया है जिसमें (१) भुंइयां का दमौला (४) पाली रानीखेत के ग्राम इनाण और मनोरा के बीच सिरौज नदी का पुल व (५) सिलोर महादेव के पास पिपोला ग्राम के निकट के योजना के बाहर के पुल बनाने का प्रस्ताव किया गया है और जिलाधीश अल्मोड़ा द्वारा योजनान्तर्गत मन्जूर शुदा पुल हटा दिये गये हैं? अगर हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सत्य है कि जिलाधीश अल्मोड़ा द्वारा ६ पुलों के बनाने के हेतु १,७५,००० रुपये की धनराशि दिये जाने की सिफारिश आई थी। तदनुसार सरकार ने अल्मोड़ा जिले में पुलों के बनवाने के लिये १,७५,००० रुपये की धनराशि दिनांक १० मार्च, १९६१ को स्वीकृत की थी। परन्तु यह धनराशि किन्हीं विशेष पुलों के नाम से नहीं थी बल्कि यह प्रविधान रक्खा गया था कि अन्तरिम जिला परिषद् जिन पुलों को बनवाना चाहे उनके विषय में अपनी सिफारिश भेजे। तदनुसार अन्तरिम जिला परिषद् ने अपनी सिफारिश ६ पुलों के विषय में अपने प्रस्ताव संख्या ३७, दिनांक १८, जुलाई १९६१ में भेजी है। इसमें दो पुल तो ऐसे हैं जो कि इससे पहले की रिपोर्ट में जिलाधीश ने भी भेजे थे, परन्तु चार पुल ऐसे हैं कि जिन्हें जिलाधीश ने नहीं लिखा था और अन्तरिम जिला परिषद् ने अब लिखा है।

जिन तीन पुलों की चर्चा प्रश्न में की गई है उनमें भुंइया का दभोल का पुल ऐसा है जिसकी सिफारिश जिलाधीश ने भी की थी और अन्तरिम जिला परिषद् के प्रस्ताव में भी है। यह पुल सरकार की सूचना के अनुसार परिषद् की तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी सम्मिलित है। प्रश्न में उल्लिखित बाकी दो पुल अन्तरिम जिला परिषद् के दिनांक १८-७-१९६१ की सिफारिश में हैं परन्तु जिलाधीश ने इनके विषय में नहीं लिखा था। सरकार की सूचना के अनुसार ये पुल तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी सम्मिलित नहीं हैं।

अपनी वर्तमान नीति के अनुसार सरकार इस समय यह उचित समझती है कि इस विषय में अन्तरिम जिला परिषद् की सिफारिश को ही मान्यता दी जाय।

झांसी नगरपालिका में कथित अनियमिततायें

११—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि झांसी म्युनिसिपैलिटी के ओवरसियर की मेजरमेन्ट बुक सन् १९६०-६१ में गायब हुई फिर भी उन्हें कई हजार रुपये का पेमेन्ट कर दिया गया, यदि हां, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं। झांसी नगरपालिका में ओवरसियर की कोई मेजरमेन्ट बुक सन् १९६०-६१ में नहीं खोई।

१२—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि झांसी नगरपालिका की सरकारी ग्रांट में करीब १० विषयों पर बिना जिलाधीश व कमिश्नर की आज्ञा या जानकारी से हजारों रुपया अनियमित रूप से सन् १९६०-६१ में खर्च कर दिया गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

१३—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि एकाउन्टेन्ट झांसी नगरपालिका को सन् १९६०-६१ में ए० डी० एम० जे० के न्यायालय में हर्जा व खर्चा बोर्ड विरोधी पक्ष द्वारा तारीखें बढ़वाये जाने पर कितने मामलों में दिलाया गया तथा किन-किन तिथियों में वह बोर्ड में जमा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में एकाउन्टेन्ट नगरपालिका झांसी को एक मात्र अपील में विपक्षी द्वारा तारीख बढ़वाने के संबंध में पांच रुपये हर्जे व खर्च के रूप में प्राप्त हुए जो २-९-६० को बोर्ड में जमा कर दिये गये ।

अन्तरिम जिला परिषदों के अन्तर्गत अस्पतालों के डाक्टरों का वेतन बढ़ाने पर विचार

१४—श्री उदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या अन्तरिम जिला परिषदों की डिस्पेंसरियों में सामान्यतः दवाओं तथा साज-सज्जा का काफी अभाव रहता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां । अन्तरिम जिला परिषदों की सामान्यतः आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है अतः अस्पतालों में दवाओं एवं साज-सज्जा का अभाव हो जाना स्वाभाविक है ।

१५—श्री उदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अन्तरिम जिला परिषदों के अस्पतालों में जो डाक्टर कार्य कर रहे हैं उनको तनख्वाह कम मिलती है ? यदि हां, तो क्या उनको भी जो देहात में सरकारी डाक्टर हैं उनके मुकाबले की तनख्वाह तथा डी० ए०, डी० ए० व अन्य एलाउन्स देने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां । तनख्वाह के संबंध में विचार हो रहा है । डी० ए० तथा एलाउन्स के संबंध में अभी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

सासनी अस्पतालों में यंत्रों की कमी

१६—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह सासनी अस्पताल जिला अलीगढ़ में एक एक्सरे मशीन तथा ड्राईथर्मी, ब्लड प्रेशर मापक यन्त्र और मरीजों को ले जाने के लिये पहियेदार स्ट्रेचर की व्यवस्था कराने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सासनी का चिकित्सालय अन्तरिम जिला परिषद्, अलीगढ़ द्वारा संचालित है। इस प्रश्न में कथित यन्त्रों में ब्लड मापक यन्त्र के अतिरिक्त, सभी विशेष यन्त्र हैं जो कि साधारणतः बड़े-बड़े अस्पतालों में विशेषज्ञों की निगरानी में कार्यान्वित किये जाते हैं और ऐसे छोटे चिकित्सालयों में नहीं दिये जाते । ब्लडप्रेशर यन्त्र के संबंध में जिला परिषद् का ध्यान इस कमी की ओर आकर्षित कर दिया गया है ।

झांसी के लिये सामूहिक जल संभरण योजना

१७—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार मेरे तारांकित प्रश्न संख्या १७, दिनांक ६ मार्च, १९६१ के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेगी कि माताटीला व सुकुवां ढुकवां (झांसी) बांधों से झांसी शहर, कैन्टोनमेन्ट व रेलवे एरिया में पानी सप्लाई की सामूहिक योजना के संबंध में जो (Project) जून, सन् १९६१ तक बनने वाले थे उनमें से कौन सा बनाया जाना निश्चित हुआ और उसके संबंध में क्या प्रगति हो रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—माताटीला बांध से झांसी शहर, कैन्टोन्मेन्ट व रेलवे एरिया में पानी की सप्लाई के लिये एक सामूहिक योजना तैयार करने के पश्चात यह विदित हुआ है कि सुकुंवां ढकुवां बांध से बनी हुई योजना से माताटीला बांध की योजना विशेष लाभप्रद है। सुकुवां ढुकुवां बांध से पानी झांसी तक लाने में पम्पिंग की तथा उसके लिये बिजली की आवश्यकता पड़ती

जब कि माताटीला से पानी ढलाव के कारण स्वयं आ सकता है। इसी कारण माताटीला की योजना चलाने में सस्ती भी ज्ञात हुई। अतः माताटीला बांध की योजना की ही बनाने का निश्चय कर इसे केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के पास (Technical) स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का १९६१–६२ का अनुपूरक वित्तीय लेखा

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं इलेक्ट्रीसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८, की धारा ६१ की उपधारा (५) के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के वर्ष १९६१–६२ के अनुपूरक वित्तीय लेखा सदन की मेज पर रखता हूं।

द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति का चतुर्थ कार्य-लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति का चतुर्थ कार्य-लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन जो उत्तर प्रदेश कांस उत्पादन योजना से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमन्, आपको जानकारी है ही कि जब से हमने वर्क आडिट का कार्य शुरू किया था तब से ३ रिपोर्टें, माताटीला, सिंचाई वर्कशाप्स और सेंट्रल डेयरी फार्म, अलीगढ़ की, वर्क आडिट के संबंध में यहां प्रस्तुत हुई। आज कांस उत्पादन से संबंधित रिपोर्ट, जिसको ८० लाख रुपया मिला है, सदन की मेज पर प्रस्तुत है। मुझे भरोसा है कि इस प्रकार की रिपोर्टें भविष्य में भी हमारी समिति की ओर से प्रस्तुत होती रहेंगी। इस रिपोर्ट के तैयार करने में जिन अधिकारियों ने हमारा हाथ बंटाया मैं उन सबके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और विश्वास करता हूं कि सरकार इस रिपोर्ट पर भी उसी प्रकार सक्रिय रूप से ध्यान देगी जैसे, माताटीला बांध के संबंध में हमारी रिपोर्ट पर दिया था।

भावी कार्य-क्रम के विषय में जानकारी

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, कल का कार्यक्रम जानना चाहता था।

श्री अध्यक्ष—यह तो स्पष्ट है ही कि प्रश्नों के उत्तर होंगे। नियम ५२ के अनुसार ध्यान आकृष्ट करने के विषयों पर मंत्री जी वक्तव्य देंगे। तीसरे, जो विधेयक आज पारित होगा, विनियोग विधेयक, वह परिषद् में जायगा और वहां से एक सूचना आती है जो मौजूदा सदन के सदस्यों के पास पहुंचना चाहिये। कल के बाद सदन बैठेगा नहीं, इसलिये दूसरा रास्ता यह हो सकता था कि पत्रों द्वारा हम सूचना दे देते। लेकिन वह अब संभव नहीं है। इसलिये कल हमको बैठना है ही। इसी सदन को वह सूचना दे दी जायगी। वह ३, ४ बजे के बाद मिलेगी। इतना काम तो जरूरी है ही।

अगर बीच में समय रहता है तो मैं सदन के नेता से कहूंगा कि कल आखरी दिन होते हुए कुछ ऐसी भी प्रथा रही है, सन् ५२ में, कि कुछ थोड़े से भाषण हो जाते हैं परस्पर प्रशंसा पर निन्दा पर नहीं।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्र भानु गुप्त)—मैं इसे स्वतः तो स्वीकार करता ही हूं लेकिन वह तभी होगा जब कि राजनारायण जी रजामन्दी देंगे। मैं नहीं चाहता कि अन्तिम दिन कोई अनप्लैजेंट बात हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं बहुत विनम्रता के साथ आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी के भाव को साकार स्वरूप प्रदान करने की कोशिश करूंगा। केवल एक शर्त है कि हमारे उत्तर और उनके भावों को साकार स्वरूप प्रदान करने की सदिच्छा में कहीं असत्य का सहारा लिया गया तो थोड़ी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि हम प्राचीन पद्धति और नवीन पद्धति सब का अवलोकन किये हैं इसलिये सत्य को असत्य का पर्दा डाल कर नहीं छिपाया जाना चाहिये। यों तो आपकी आज्ञा पालन करने के लिये हम तैयार ही हैं।

उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर धुर-धारा का निर्णय न होने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---आज आगे का विषय है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर होने वाले धुरधारा के निर्णय के संबंध में राजस्व मंत्री अपना वक्तव्य देंगे। इसके अलावा कल एक ध्यान आकृष्ट करने के लिये एक प्रश्न आया था वह स्वीकार हुआ और आज एक श्री गेंदा-सिंह का गन्ने के बारे में स्वीकार किया गया है। ये दोनों प्रश्न कल लिये जायेंगे। उनके संबंध में मंत्री जी कल अपना वक्तव्य देंगे।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)---श्रीमन्, रेवेन्यू मैनुअल के अनुसार प्रति वर्ष धुरधारा का निर्णय किया जाता है। फरवरी और जून महीनों के दरमियान बलिया, शाहाबाद और सारन के कलेक्टर उसका मिल कर निर्णय करते हैं। घाघरा दरिया की धुरधारा का वैरीफिकेशन ०१ अप्रैल सन् ६१ को हो गया था मगर गंगा की धुरधारा का निर्णय नहीं हो सका। बहुत लिख-पढ़ी के बाद बिहार की गवर्नमेन्ट ने उसको १३ जून को लिखा, लेकिन इतने में बारिश के शुरू हो जाने के कारण उसको बन्द कर देना पड़ा। इसमें बिहार गवर्नमेन्ट की तरफ से कुछ लापरवाही भी हुई है। नवम्बर ६१ में यह होने वाला था, लेकिन कलेक्टर शाहाबाद ने कोई डेट फिक्स करने में कोताही की और ऐसा न हो सका। बाद में एडीशनल कलेक्टर आरा ने बाद में लिखकर भेजा कि जनरल इलेक्शन्स के बाद किया जायगा। इसलिये नवम्बर ६१ में भी यह न हो सका। अब यू० पी० गवर्नमेन्ट बिहार गवर्नमेन्ट को बराबर लिख रही है कि इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाय। आशा है हमें शीघ्र ही इसमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन ऐसा आभास होता है कि बिहार गवर्नमेन्ट जानबूझ कर इसमें ढिलाई कर रही है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ठ (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच जो बातें हुईं उनमें कितना राजीनामा हो गया और अब कितना क्षेत्र ऐसा है जिसके बारे में अभी विवाद चल रहा है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---अभी राजीनामा कहां हुआ है ? अभी तो वह आर्बिट्रेशन के लिये प्राइम मिनिस्टर को रिफर हुआ है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि प्रति वर्ष नियमानुसार फरवरी के महीने में, रबी की कटाई के पहले धुरधारा का निर्णय हो जाता था। लेकिन पिछले वर्ष गंगा की धुरधारा का निर्णय नहीं हुआ और इस वर्ष भी फसल की कटाई नजदीक आ रही है तो मंत्री जी उसके बारे में जल्दी निर्णय कराने के लिये क्या कोई ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि शीघ्र ही उसका निर्णय हो जाय ? और क्या केन्द्रीय सरकार या सीधे जवाहर लाल जी को लिख रहे हैं कि इसका निर्णय शीघ्रातिशीघ्र करें ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---प्राइम मिनिस्टर को रिफर करने में तो और देरी ही होगी। हमारा ख्याल है कि बिहार सरकार को ही मजबूर करके हम जल्दी ही इसका निर्णय करा लेंगे ?

श्री गौरीशंकर राय---जैसा कि प्रश्न में लिखा है कि पिछले साल धुरधारा का निर्णय न होने के कारण बलवे और कत्ल हुए और अब फिर रबी की कटाई प्रारंभ होने जा रही है। ऐसी स्थिति में क्या सरकार समझती है कि केन्द्रीय सरकार से बिला लिखा-पढ़ी किये ही यह मामला तय हो जायगा ? और रबी की कटाई के पहले ही बिहार सरकार से इसका निर्णय करा लेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हमारा प्रयास यह होगा और अगर नहीं होगा तो हम सेन्टर को रिफर करेंगे, मामला छोड़ेंगे नहीं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस संबंध में हर साल बलवे और हत्यायें होती हैं और चूंकि यह कहा जा रहा है कि अगर बिहार की सरकार से कामयाबी नहीं हुई तो मामला प्रधान मंत्री को रिफर करेंगे इसलिये क्या सरकार इस समय कोई ऐसा कदम उठा सकती है कि जो खेत झगड़े के हैं उनकी बुवाई कटाई पर झगड़ा न हो उसके लिये मेरा जो सुझाव है कि यहां की पुलिस और बिहार की पुलिस मिलकर ऐसे क्षेत्रों की लिस्ट बना ले कि जो खेत बोये हुए हैं उनको न बलिया के लोग काटें और न छपरा के लोग, एक दूसरे के खेतों को न काटें और इन खेतों की कटाई पुलिस कर्मचारियों की देखरेख में हो जाय और बाद में जो मालिक मुकर्रर हो उसको फसल दे दी जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसा तो संभव नहीं मालूम होता, रकबा बहुत बड़ा है थोड़ा नहीं है और जब तक दोनों सरकारों की पुलिस एकराय होकर ऐसा न करे, ऐसा संभव नहीं मालूम होता।

श्री गौरीशंकर राय---क्या मंत्री जी को जानकारी है कि पिछले साल कई हजार एकड़ जमीन की फसल धुरधारा निश्चित न होने के कारण लोगों के द्वारा लूटी गई और इस साल जो रबी की फसल तैयार है उसके बारे में क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बाउन्डरी तय न होने से जिस चीज की फिर आशंका है उसको बचाने का सरकार प्रयास करेगी और अगर करेगी तो कैसे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हर इमकानी कोशिश की जायगी।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी जो कहा गया कि बिहार गवर्नमेन्ट टालमटोल कर रही है तो क्या कोई बातचीत फिर हुई है कि जिसकी बिना पर वह कह रहे हैं कि हम उन्हें राजी कर लेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---आज ही हम वहां के रेवेन्यू मिनिस्टर से बात करने जा रहे हैं ?

श्री राजनारायण---मेरा निवेदन है कि जैसा कि माननीय गौरीशंकर राय जी ने कहा कि वहां पर तमाम तरह के मसले उठ रहे हैं और कत्ल, बलवे और वैमनस्यता बढ़ रही है तो ऐसी विशेष परिस्थिति में विशेष कदम उठाना भी आवश्यक है इसलिये सरकार कोई ऐसा कदम उठाये कि वह लूट, हत्या आदि की परिस्थिति न उत्पन्न हो, इस विषय में सरकार क्या सोच रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मुस्तकिल बाउन्डरी कायम करने की कार्यवाही हो रही है, इस मामले में प्राइम मिनिस्टर को भी एग्री किया गया है और टर्म आफ रिफ्रेन्स तय किया जायगा।

श्री अध्यक्ष---वह जानना चाहते हैं कि हर साल जो लूट तथा कत्ल होते हैं उनको रोकने के लिये क्या इन्तजाम है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस विषय में हम बिहार गवर्नमेन्ट को कन्टैक्ट कर रहे हैं कि वह इस मसले को वेरिफिकेशन करा के तय कर दे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, परस्पर विरोधी वक्तव्य है कि एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू को मुकर्रर करके मामला तय कराया जायगा और दूसरी तरफ कहा गया कि हम बातचीत करने जा रहे हैं, तो कौन सी बात ठीक है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---दोनों बातें ठीक हैं, जहां तक परमानेन्ट बाउन्डरी का मामला है वह मामला प्राइम मिनिस्टर को रेफर कर रहे हैं और बातचीत उसकी कार्यवाही जो हो रही है उस सिलसिले में है ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार इस पर बिचार करेगी कि जिस प्रकार यू० पी० बिहार की सीमा के विषय में नेहरू जी की मध्यस्थता की बात सोची जा रही है उसी प्रकार क्या यह प्रश्न भी उनको रिफर किया जायगा कि वह इन्टरवीन करके ऐसा तरीका निकालें कि जिससे हजारों एकड़ जमीन की फसल की लूट खसोट न हो ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---रिफ्रेन्स तो दोनों पार्टियां ऐग्री होती हैं तो होता है बाकी हम तो सभी कार्यवाही करने को तैयार हैं ।

१९६२-६३ के लिए लेखानुदान का प्रस्ताव (क्रमागत)*

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था आपसे जानना चाहता हूं । यह एक प्रस्ताव है और जब प्रस्ताव है तो इसमें संशोधन भी हो सकता है । अतः आप हमें संशोधन प्रस्तुत करने की आज्ञा दें और जब प्रस्ताव है तो इसका विरोध भी होगा ।

श्री अध्यक्ष---अभी तक प्रथा यह रही है, मैं तो प्रथा चालू रखूंगा, बराबर १९५२-५७ और ६१ में यही प्रथा रही है कि प्रस्ताव जब इस तरह के पेश होते हैं तो चूंकि विरोधी दल के नेता ने इस बात को स्पष्ट कहा था कि बजट जब आयेगा उस वक्त बहस उसकी नीतियों के बारे में और सभी तरह की बातें जो कहनी होंगी उस वक्त कही जा सकती हैं । लिहाजा जो आवश्यक खर्चे के बारे में लेखानुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव आया है उस पर बहस न हो कर सदन में केवल राय ले ली जाय । तो वह प्रथा चालू कर दी गई । अतः मैं संशोधन वगैरह की इजाजत नहीं दूंगा और न उसके ऊपर विरोध का भाषण होगा । विरोध केवल इस तरह से होगा कि आप उस के खिलाफ राय दें । बस यही बात हो सकती है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मैं एक प्रश्न व्यवस्था का उठा रहा हूं । प्रक्रिया नियमावली के नियम १९४ (२) में लिखा हुआ है जो लेखानुदान के बारे में ही है संपूर्ण अनुदान को कम करने के लिये अथवा जिन मदों से मिलकर अनुदान बना हो उनके कम करने या निकाल देने के लिये संशोधन प्रस्तुत किये जा सकेंगे । इसके बाद उपखंड (३) में दिया हुआ है---"प्रस्ताव पर या उसमें प्रस्तुत किये गये संशोधनों पर सामान्य रूप---"

श्री अध्यक्ष---आज तक जो प्रथा रही है वह सदन की स्वीकृति से चली है और बराबर चली आ रही है कि लेखानुदान पर बहस न की जाय, समय बरबाद न किया जाय । उसी के अनुसार यह बात मैंने आपसे कही । नियम में तो यह है कि यदि अनुदान का प्रस्ताव आयेगा तो रकम कम करने के लिये कटौती का प्रस्ताव आ सकेगा । परन्तु तीन बार से सर्वसम्मति से इसी सदन में १९५२-५७ और १९६१ में एक दम से प्रस्ताव को रख दिया गया और माननीय त्रिलोकी सिंह जी का इस संबंध में भाषण भी है कि वोट आन एकाउन्ट के सिलसिले में क्या होना चाहिये । उसका उद्धरण यह है---"प्रैक्टिस यह है कि वह बिना किसी वाद विवाद के ही स्वीकार किया जाता है । मैं आपसे और आपके द्वारा सदन से कहूंगा कि इसी नीति का हमें

---

* २ मार्च, १९६२ की कार्यवाही से ।

भी अनुसरण करना चाहिये। उसका कारण बिल्कुल साफ है। लेखानुदान की प्रथा इसलिये रखी गई है कि बजट पर वाद विवाद करने का पूरा मौका सदन को है। इस वर्ष तो हमारे यहां असाधारण परिस्थिति है। नये चुनाव हुए हैं, नई सरकार बनेगी इसलिये इस सदन के लिये जो अपनी अवधि समाप्त कर चुका है यह मुनासिब न होगा वह अगले पूरे साल के लिये बजट पास करे। इसके अतिरिक्त हमारे पास समय भी नहीं है। यह मुझे मालम है कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट में पार्लियामेन्ट में वोट आन एकाउन्ट के सिलसिले में वाद विवाद हुआ। मेरी समझ में नहीं आया कि यह विवाद क्या माने रखता है इसलिये कि अगले वर्ष जो सरकार होगी और उसकी जो जिम्मेदारियां होंगी उस जिम्मेदारी को आयद करना किसी तरह से भी मुमकिन नहीं है क्योंकि आगे चल कर बजट पास किया जायगा। इंगलैन्ड में भी यह प्रेक्टिस है कि बजट ३१ मार्च तक पास नहीं होता और हमेशा अधिक समय लग जाता है। इसलिये मैं आपसे और सदन से निवेदन करूंगा कि इस सिलसिले में कोई वाद विवाद न करें और इसको ऐसे ही पास कर दें जैसे हाउस आफ कामन्स में किया जाता है, यानी बिना बजट वाद विवाद हम इस वोट आन एकाउन्ट को स्वीकार करें। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसकी ताईद करता हूं" इस भाषण के बाद मैंने सदन की राय ले ली। १९५७ और १९६१ में यही हुआ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, क्या ऐसी कोई परम्परा आप बता सकेंगे जब कि आम चुनाव हो चुके हों और उसके कारण ऐसे सदन में लोग बैठे हों जो हारे भी हैं, वित्त मंत्री जी हारे, हम भी हारे हैं जो बहस के लिये तैयार हैं। तो ऐसी कोई परम्परा आप बतायें जिसमें आम निर्वाचन के बाद पुराना सदन जो नहीं छांटा गया है, उसके द्वारा कोई इस तरह से वोट आन एकाउन्ट हो।

श्री अध्यक्ष—१९५२–५७ में यही बात हुई चूंकि नया बजट जब पूरा आयेगा...

श्री राजनारायण—वह भी प्रस्ताव उस सदन ने पास किया था जो बिल्कुल जायज था, यानी चुनाव के बाद नहीं था।

श्री अध्यक्ष—दोनों लेखानुदान चुनाव के बाद हुये।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, अभी जो वोट आन एकाउन्ट की प्रार्थना के बारे में चर्चा हुई जब वोट आन एकाउन्ट की प्रथा जैसा आप कहते हैं चली आ रही है कि उस पर विवाद नहीं होता है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार को भी कुछ प्रथाओं के बारे में जानकारी हो तो ज्यादा अच्छा है। हाउस आफ कामन्स में यह भी होता है कि वोट आन एकाउन्ट जब होता है तो उस जमाने में उस संबंध में न तो कोई बजट भाषण होता है और न कोई ह्वाइट पेपर सरकार की तरफ से ईशू होता है सिर्फ एक ५ लाइन का प्रस्ताव आ जाता है। अगर बजट भाषण होता है और राज्य की वित्तीय स्थिति सदन के सामने रखी जाती है ह्वाइट पेपर की शक्ल में तो फिर यह लाजिमी होता है कि यहां से भी संशोधन मान लिये जायं। प्रथा सरकार की ओर से ही टूटती है। हाउस आफ कामन्स में तो ५ लाइन का प्रस्ताव ही आता है।

श्री अध्यक्ष—तो यह प्रस्ताव भी तो ५ ही लाइन का है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—बजट स्पीच माननीय वित्त मंत्री जी परसों दे चुके हैं और कम से कम यह ३१ पेज का ह्वाइट पेपर भी ईशू हो चुका है। अगर सिर्फ सूचना होती तो उसमें गड़बड़ न होती।

श्री अध्यक्ष—तो वह भी सूचना के लिये ही तो दे दिया था। बजट के वक्त फिर उनका पूरा भाषण होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहूंगा कि हाउस आफ कामंस में प्रथा क्या है। क्या ऐसी प्रथा है जिसका कि पालन वित्त मंत्री जी ने किया है?

श्री अध्यक्ष---इस वक्त इस बात का प्रश्न नहीं है । प्रश्न इस बात का है कि क्या हमारे यहां यह प्रथा है या नहीं कि हम लेखानुदान पर कोई वादविवाद नहीं करते । वह हम नहीं करते बल्कि जो मांग की गयी है लेखानुदान में उसको प्रस्ताव के रूप में सरकार रख देती है और उस पर मतदान हो जाता है । जिनको विरोध करना है वह अपना विरोध वोट के द्वारा जाहिर कर देते हैं । यह प्रथा चली आ रही है और मैं उसको कायम रखना चाहता हूं ।

जहां तक मंत्री जी के भाषण का संबंध है तो जिस वक्त वह भाषण दे रहे थे, आप अ पत्ति उठाते तो मैं भाषण बन्द करवा देता अगर आवश्यक होता लेकिन उस भाषण का अर्थ इतना ही है कि वह सूचनार्थ था ।

प्रथा के बारे में तो मैं उसको स्टडी करके बता सकता हूं कि हाउस आफ कामन्स में क्या होता है लेकिन जब यह चीज इस सदन द्वारा स्वीकार हो चुकी है, ५२ में भी और ५७ में भी, पुराने हाउस के सामने लेखानुदान आया, खाली उसके ऊपर उतना वोट कर दिया और चले गये, फिर नया सदन जो आयेगा, नये सदस्य जो आवेंगे और नयी गवर्नमेंट आयेगी तो वह अपनी नीति बतायेगी और उस पर वह नया हाउस बहस करे यही प्रथा रही है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मेरी बात तो सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष---मैं निर्णय तो दे चुका, अच्छा कहिये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---अभी आपने बताया कि प्रक्रिया नियमावली में नियम के रहते हुए उसके ऊपर प्रथा है १९५२ में भी और १९५७ में भी ऐसा हुआ तो क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था बतायेंगे कि प्रक्रिया नियमावली में स्पष्ट नियम के रहते हुए भी कोई ऐसी प्रथा जो अनरिस्टेन है उसको आप मान्यता देंगे और वह प्रथा भी जो कि विरोधीदल के नेता के भाषण के उपरान्त बनी और जिसके लिये न हाउस में कोई प्रस्ताव ही पास हुआ । प्रक्रिया नियमावली में कोई संशोधन भी नहीं किया गया । तो यह कहां तक मान्य होगा कि एक ऐसी प्रथा चलती जावे जो नियमावली में न आवे और जिसके कारण हम आज उस पर बहस न कर सकें ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---दो शब्द, श्रीमन्, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं । श्रीमन्, इंटरप्रिटेशन आफ स्टैटयूट्स पर बहुत सी किताबें हैं और बहुत बड़ी बड़ी अथारिटीज मैक्सवेल वगैरह की हैं । उनमें यह क्लियरली लेड डाउन है कि कस्टमरी ला के ऊपर अगर कोई क्लियर प्राविजन आफ ला हो तो क्लियर प्राविजन आफ ला उसमें बाध्य होगा हमेशा न कि कस्टमरी ला । एक हाई कोर्ट नहीं, बल्कि कई हाई कोर्ट्स की नजीरें इस संबंध में हैं । इसके अलावा जैसा अभी श्रीमन्, ने फरमाया कि माननीय त्रिलोकीसिंह ने अपने भाषण में यह बात कही, उसमें यह रिफरेंस है कि सेंट्रल पार्लियामेंट में यह हो चुका है । वहां कोट प्रान एकाउंट होता है और भाषण भी होते हैं । तो प्रथा का जहां तक संबंध है अगर यह आदरणीय सदन हाई कोर्ट है तो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट है । पार्लियामेंट की प्रिसिडेंस को यहां भी लागू करना चाहिये । इस आदरणीय सदन ने रूल्स बड़े सोच विचार कर रखे हैं और सन् १९५७ के बाद वे पारित हुए हैं । यह आदरणीय सदन चाहता तो उसी वक्त उसे डिलीट कर देता । अगर वे प्राविजन्स डिलीट नहीं हुए हैं और अभी तक विद्यमान रहते हैं तो जब तक वे निलम्बित नहीं किये जाते तब तक उनको मान्यता मिलनी चाहिये । फिर वित्त मंत्री का चाहे उतना लम्बा भाषण न हो और वे अपनी नीतियों पर बाद में प्रकाश डालेंगे जब बजट भाषण करेंगे लेकिन जो इशारे संक्षेप में इस समय किये हैं तो हमें भी उनकी पिछली नीतियों को क्रिटिसाइज करने का मौका मिलना चाहिये । फिर टाइम भी काफी है ।

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---माननीय नारायणदत्त तिवारी ने जैसा कहा वह कोई भाषण नहीं था । उसमें सिर्फ यही कहा गया था चूंकि चुनावों के बाद एक नई सरकार बनेगी उसी समय नीतियों का निर्धारण होगा जब बजट पेश होगा तभी उस समय वादविवाद हो सकेगा । केवल जो आंकड़े थे वे रख दिये गये थे । इसको चाहे भाषण कहिये या जो चाहे कहिये, किन्तु वह भाषण के रूप में भाषण नहीं दिया गया था ।

श्री नारायणदत्त तिवारी––मैं माफी चाहता हूं । इसमें लिखा है अगले साल में रेवेन्यु का घाटा १० करोड़ ९० लाख होगा । सारे वित्तीय वर्ष का घाटा बतलाया गया है । यह भी बतलाया है कि पूरे साल की आमदनी इतनी होगी और कर्जा भी १० या ९ करोड़ लेंगे । सारे वर्ष की बातें बतलाई गयी हैं । इस व्हाइट पेपर में यह सब लिखा हुआ है । प्रथा यह जरूर रही है कि वोट आन एकाउन्ट पर बहस नहीं होती, लेकिन वह कौन-सा वोट आन एकाउंट है, जिसमें सारे वित्तीय वर्ष का चित्रण नहीं होता ?

श्री अध्यक्ष––आपकी मांग यही हो सकती है कि यह जो वित्त मंत्री का भाषण था उसमें से कुछ अंश निकाल दिया जाय ।

श्री राजनारायण––मात्रा भेद से गुण भेद भी होता है । यह देख लिया जाय कि ७० करोड़ का बजट है और ७० करोड़ का बजट ३ महीने के लिये है । यह बजट हमको यह भी संकेत कर रहा है कि आगामी आने वाले करों की क्या रूप रेखा होगी । माननीय हरगोविन्द सिंह जी कहते हैं कि वह उनका बजट भाषण नहीं है, लेकिन ऊपरी पृष्ठ पर ही लिखा है "श्री हरगोविन्द सिंह का बजट भाषण" । बड़े मोटे अक्षरों में यह लिखा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष––आपकी मांग का निष्कर्ष यही निकलता है कि वह उसे विदड्रा कर लें ।

श्री राजनारायण––साथ ही आप यह भी आज्ञा दें कि जहां ७० करोड़ रखा है वहां १० करोड़ कर दें ।

श्री अध्यक्ष––मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री हरगोविन्दसिंह––वोट आन एकाउन्ट का प्रस्ताव और बजट भाषण यह दोनों संबंधित चीजें हैं, क्योंकि मैं बजट पेश नहीं कर रहा था इलेक्शंस की वजह से । इसलिये क्या वास्तविक स्थिति है प्रान्त की वह बतला दी गयी । इसलिये वोट आन एकाउन्ट और आंकड़े जो रखे गये हैं स्थिति को बतलाने के लिये इन दोनों को जोड़ना ही गलत बात है । वह एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते, लेकिन अगर उसे वापस कर लेने की बात है तो मैं वापस कर लेता हूं, लेकिन इन दोनों का कोई संबंध नहीं है ।

श्री अध्यक्ष––मेरा खयाल यह है कि अभी जो प्रथा रही है उसी को कायम रखना उचित होगा । नियम का तो यह है कि नियम होते हैं और अगर सदन इसको स्वीकार कर लेता है कि अमुक प्रथा कायम करनी है तो मैं कोई प्रस्ताव के रूप में नहीं रखता हूं बल्कि यह पूछ लेता हूं कि क्या सदन की राय है और सदन की सहमति होने पर उसके ऊपर प्रथा बनती है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी––कहीं लिखी भी तो हो वह प्रथा ।

श्री अध्यक्ष––कार्यवाही में वह दी है । इसलिये उस प्रथा के अनुसार मैं केवल इसके ऊपर वोट ले लेता हूं ।

श्री राजनारायण––यह एक नयी चीज होने जा रही है । कांस्टीट्यूशन में स्पष्ट प्राविजन है कि हमारे वही प्रविलेजेज होंगे जो हाउस आफ कामन्स में हैं, किन्तु जहां तक हमारे कांस्टीट्यूशन ने नियमित रूप से नियम नहीं बना रखे हैं । जहां हमारे नियमित रूप से नियम बन चुके हैं वहां प्रथायें नियमों पर हावी नहीं होंगी । इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसी व्यवस्था न दें जिससे ये नियम हमारी किताब में रखे ही जायं और जब कोई चाहे तो उन्हें तोड़ दे ।

श्री अध्यक्ष––मैं मानता हूं कि नियम तो रहते हैं और रहेंगे, लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि सन् १९६१–६२ में भी यही प्रथा आपने कायम रखी । तो प्रथा जब चल गयी तो आप एक प्रथा बनायें और स्वयं उसको तोड़ दें यह बात जरा अनुचित सी होगी और वह सदन जो उठ रहा हो वही अपनी बनाई हुई प्रथा को तोड़ दे, यह ठीक नहीं होगा । मैं समझता हूं कि यह प्रश्न

[श्री अध्यक्ष]

अगले सदन के लिये ओपेन रहेगा । अगर वह सदन इस प्रथा को तोड़ना चाहे और दूसरी कायम करना चाहे तो करे, लेकिन इस उठते हुए सदन को यह उचित नहीं मालूम होता है कि वह अपनी चलायी हुई प्रथा को एकदम से तोड़ दे । इसलिये मैं यह कह रहा हूं कि आज तो हम वही प्रथा कायम रखेंगे जो अभी तक रही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---प्रथा तो आप रूलिंग से ही कायम रख सकते हैं, इसके लिये सदन का वोट लेना ज्यादा उचित नहीं होगा । संविधान के आर्टिकल २०२ के आधार पर वार्षिक विवरण पत्र केवल एक होता है और आर्टिकिल २०६ के आधार पर, जिसमें वोट आन एकाउन्ट की व्यवस्था है, केवल ग्रांट इन ऐडवांस के रूप में कुछ निश्चित समय के लिये रुपया मांगा जा सकता है । तो यह जो बजट स्पीच वित्त मंत्री जी ने दी है यह सारे वर्ष के लिये है । चूंकि ऐनुअल फाइनेन्शियल स्टेटमेंट एक ही हो सकता है दो नहीं, इसलिये यह व्यवस्था आप कर दें भविष्य के लिये कि वोट आन एकाउन्ट जब भी मांगा जाय तो कोई बजट भाषण न हो, कोई व्हाइट पेपर न हो, केवल ग्रांट इन ऐडवांस के रूप में उस समय के लिये मांगा हो और उसका रेस्ट्रिक्टेड फाइनेन्शियल स्टेटमेंट जरूर हो ।

श्री अध्यक्ष---वित्त मंत्री के भाषण में जो साल भर से सम्बन्धित चीज हो और वोट आन एकाउन्ट के बाहर की चीज हो उतना हिस्सा जांच के बाद हम हटा सकते हैं, बाकी भाषण रहेगा । आइन्दा के लिये भी यही प्रथा रखेंगे जब तक कि नये सदन द्वारा यह बदली न जायगी । जो बात दो तीन बार स्वीकार हो चुकी हो उसे इस उठते हुए सदन के समय बदल दें यह जरा अनुचित मालूम होता है । नया सदन बदल दे तो बदल दे । प्रथा बदलने का सदन को हमेशा अधिकार रहेगा प्रस्ताव द्वारा और लोगों की राय ले कर । तो मैं इतना कह कर राय लेता हूं ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मंत्री जी ने जो कहा कि मैं भाषण वापस लेने को तैयार हूं तो हाउस से फाइनल विदड्रा हो जाय ।

श्री अध्यक्ष---अब यह तय हुआ है कि इसमें से वे चीजें चैक कर ली जायंगी जो पूरे साल भर के सम्बन्ध में होंगी ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---वह तो पूरा छपा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष---वह तो हमारे दफ्तर का काम है । हम देख लेंगे ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, जैसी कि आप ने व्यवस्था दी कि इस पूरे बजट भाषण को चेक किया जायगा और इसमें से वह अंश निकाल दिया जायगा जो पूरे साल भर के लिये हो । उसमें खर्चे भी होंगे तो वे निकाल कर कितना पया रह जायगा ?

श्री अध्यक्ष---७० करोड़ ही रहेगा ।

श्री राजनारायण---तो फिर चेकिंग किस बात की होगी ?

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि उन्होंने साल भर का जिक्र कर दिया जो बातें उस सम्बन्ध में होंगी, जो लेखानुदान से संबंधित न हों वे काट दी जायेंगी ।

श्री राजनारायण---मतलब यह है कि जो रकम इसमें दी जा रही है वह प्रभावित नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष---जी हां ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मेरी व्यवस्था का प्रश्न यह है और उम्मीद है कि भविष्य के लिये भी आप व्यवस्था देंगे. . . . .

श्री अध्यक्ष---कोई भी अध्यक्ष उठते हुये सदन में भविष्य के लिये व्यवस्था दे दें यह गलत बात होगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा---श्रीमन्, संविधान के अनुच्छेद २०६ में लिखा हुआ है कि "किसी राज्य की विधान सभा को---

(क) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिये प्राक्कलित व्यय के बारे में किसी अनुदान को, उस अनुदान के लिये मतदान करने के लिये अनुच्छेद २०३ में विहित प्रक्रिया की पूर्ति लम्बित रहने तक तथा उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद २०४ के उपबन्धों के अनुसार विधि के कारण के लम्बित रहने तक," हमारी व्यवस्था का प्रश्न यह है कि लेखानुदान जब रखे जाते हैं तो उनमें टैक्सेज भी इंवोल्व होते हैं।

श्री अध्यक्ष---टैक्स नहीं आते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---श्रीमन्, टैक्स इसमें इन्वोल्व हैं। उन्होंने लिखा है कि दस करोड़ का ऋण लेंगे। तो यह सदन जिसकी अवधि समाप्त हो रही है और यह जनता की इच्छा का दर्पण नहीं रह गया है तो यह सदन इन खर्चों को स्वीकार करे यह कहां तक उचित है और प्रजातंत्र की परम्परा के अनुकूल है।

श्री अध्यक्ष---यह आपत्ति निरर्थक है। जब तक यह डिजोल्व नहीं होता है यह सदन है। यह दूसरे सदन को बांध नहीं सकता है नई चीजों में, लेकिन ऐसे खर्चे होते हैं, जैसे पुराने टैक्स लगे हुये हैं, पुराने खर्चे चले आ रहे हैं, उनके लिये जब तक बजट पास न हो जाय नये सदन के आने के बाद, तब तक के लिये ऐसे जितने खर्चे हैं उनकी मंजूरी के लिये यह चीज होती रही है और यह उचित प्रथा है। मैं इस आपत्ति को वैधानिक नहीं समझता हूं।

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन महीनों में इसके साथ नत्थी अनुसूची में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो ६९,००,७६,००० रुपये से अधिक न हो।

श्री राजनारायण---मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। दो चार मिनट तो देने चाहिए।

श्री अध्यक्ष---इस पर भाषण नहीं होंगे।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---११४,

विपक्ष में---५०।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६२

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६२ को प्रस्तुत करने के लिये सदन की आज्ञा मांगता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं। इस पुरःस्थापन के स्टेज पर भी तो विरोध होता है। अनुज्ञा देने का मैं विरोधी हूं। आप देख लें, पहले भी ऐसा हुआ है। अनुज्ञा देने का प्रस्ताव आया है तो उसका विरोध हुआ है।

श्री अध्यक्ष---लेकिन उसमें आप भाषण नहीं दे सकते।

श्री राजनारायण---तो हमारे विरोध पर आप वोट ले लें।

श्री अध्यक्ष---राय तो मैं लेने ही जा रहा हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---प्वाइंट आफ आर्डर, श्रीमन्, मैं इस पुरःस्थापन का विरोध संविधान की धारा २०६ के अन्तर्गत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह जो एप्रोप्रियेशन बिल है यह वोट आन एकाउंट के लिये आना नहीं चाहिए। इसी संविधान की धारा २०६ में लिखा हुआ है ---

"(2) to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in Article 203 for the voting of such grant and the passing of the law in accordance with the provisions of Article 204 in relation to that expenditure."

तो धारा २०४ का जो विधान है यह एप्रोप्रियेशन बिल के लिए है और यह तभी आ सकता है जब कि सारी धारा का वोटिंग हो, जब पूरा बजट सामने आ जाय तभी एप्रोप्रियेशन बिल सामने आ सकता है। हाउस आफ कामन्स में व्यवस्था यह है कि ऐसे समय कंसालिडेटेड फंड बिल पास होता है। एप्रोप्रियेशन ऐक्ट वर्ष में एक ही पास होता है, जब कि फाइनन्स बजट पास होता है। तो सरकार जो यह एप्रोप्रियेशन बिल ला रही है यह बिलकुल संविधान के अनुकूल नहीं है क्योंकि यह बाद को आयेगा। इसी आर्टीकिल २०६ में कंसालिडेटेड फंड की व्यवस्था भी है। उसमें यह लिखा हुआ है---

....."and the Legislature of the State shall have power to authorize by law the withdrawal of moneys from the Consolidated Fund of the State for the purposes for which the said grants are made."

तो श्रीमन्, इसका नाम होना चाहिए था कंसालिडेटेड फंड, विदड्राअल आफ मनी, बिल। यह हाउस आफ कामन्स की परम्परा भी है और इसके लिये मैं हाउस आफ कामन्स का जो इसी सम्बन्ध में प्राविधान है उसे आप की इजाजत से सामने रखना चाहता हूं। डिलिबिरेशन कंसिडरेशन इन कमेटी जहां दिया है वहीं यह सारी बातें पूरे विस्तार से लिखी हुई हैं कि किस प्रकार कंसालिडेशन फंड बिल इसके लिए आता है। तो श्रीमन्, इसलिए आप यह आदेश देने का कष्ट करें कि यह बिल वापस लिया जाय और इसका नाम फिर बदला जाय और कंसालिडेटेड फंड विदड्राअल आफ मनी या ग्रान्ट इन ऐडवांस के नाम से फिर से इसको पुरःस्थापित किया जाय, क्योंकि संविधान में ही लिखा हुआ है पेंडिंग दी कम्प्लीशन आफ दी प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड इन आर्टिकिल २०३ तो जब तक पूरे साल का बजट नहीं आता है तब तक २०६ के अनुसार यह एप्रोप्रियेशन बिल नहीं आ सकता है।

श्री हरगोविन्दसिंह---श्रीमन्, २०६ (२) में ही यह है कि उसका एप्रोप्रियेशन बिल आयेगा, तो मेरी समझ में तो यह आया नहीं कि उसमें क्या आपत्ति है?

श्री अध्यक्ष---मैं आपको बताता हूं। इसमें २०६ अनुच्छेद में जो पैरा २ है उसमें दिया हुआ है कि---

"The provisions of Articles 203 and 204 shall have effect in relation to the making of any grant under clause (1) and to any law to be made under that clause as they have effect in relation to the making of a grant with regard to any expenditure mentioned in the annual financial statement and the law to be made for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the State to meet such expenditure."

तो यह स्पष्ट दिया हुआ है कि जो प्राविजन है आर्टिकल २०३ और २०४ का उससे भी सम्बन्ध रहेगा।

अब सवाल यह है कि आपका कहना है कि इस बिल को वापस करके कंसोलिडेटेड फंड से विदड्रा करने के लिये बिल आवे और उसको एप्रोप्रियेशन बिल न कहा जाय, लेकिन हम लोग

हमेशा इसको एप्रोप्रियेशन बिल ही कहते आये हैं । इससे कोई नतीजा नहीं निकलता है कि फंड कहां से निकाला जाय । इसमें सवाल स्पष्ट है । यहां पर कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल में नहीं कहा गया है इसलिये एप्रोप्रियेशन करने के बारे में २०४ में यही कहा गया है ।

"As soon as may be after the grants under Article 203 have been made by the Assembly, there shall be introduced a Bill to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of all moneys required to meet."

अगर 'एप्रोप्रियेशन' शब्द वहां पर आया है तो वही शब्द यहां पर भी इस्तेमाल किया गया इसलिये इसको एप्रोप्रियेशन बिल कहना अनुचित नहीं होगा । इसलिये मैं समझता हूं कि यह आपत्ति निरर्थक है ।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६२ को पुरः स्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१०४,
विपक्ष में--४८।)

श्री हरगोविन्दसिंह--मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६२ को पु:स्थापित करता हूं।

(कुछ ठहर कर)

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाय ।

(इस समय १२ बजकर ५६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरसेन पीठासीन हुए ।)

श्री राजनारायण--श्रीमान्, मैं इस प्रस्ताव का सख्ती के साथ विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जरा इसका उद्देश्य और कारण देखा जाय जो आपत्ति यहां प्रकट की जा चुकी है उसी को यहां जगह दी जा रही है । इसमें है 'राज्य की संचित निधि में से १९६२-६३ के वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिये राज्य सरकार के अनुमानित व्यय के संबंध में संचित निधि पर भारित व्यय तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा किये गये अग्रिम अनुदानों की पूर्ति के लिये राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित धनराशियों का विनियोग करने की व्यवस्था करने के निमित्त यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है ।

१ अप्रैल, १९६२ को आरम्भ होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिये यह विधेयक है । अब वित्त मंत्री महोदय ने इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा है कि हम कितने समय के लिये इसे ला रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि हम इसे पूरे वर्ष के लिये ला रहे हैं । आगे देखा जाय ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो १ अप्रैल, १९६२ को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सिलसिले में करने पड़ें, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से जिन सब का कुल योग ८६,०८,८८,००० रुपये होता है, अधिक न हो । अब यहां ८६ करोड़ आ गया जब कि अभी तक हमको ७० करोड़ के लगभग बतलाया जा रहा था ।

श्री अधिष्ठाता--चार्जड एक्सपेंडिचर को आप भूल गये ?

श्री रामनारायण—अब उसमें चार्ज्ड भी जुड़ेगा। अभी उस चीज को लेकर माननीय अध्यक्ष महोदय के सम्मुख यह व्यवस्था आयी थी कि क्या उनका भाषण होते हुये हम इस पर बहस या उनका भाषण निकाल कर उसमें बहस हो।

माननीय अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी थी कि हमारे कार्यालय द्वारा उसको चेक कर लिया जायेगा और जो अनावश्यक अंग होंगे उनको निकाल दिया जायेगा। हम उससे अवगत नहीं होंगे कि उसमें से क्या निकाला गया और क्या नहीं निकाला गया और पता नहीं कि उसमें से निकाला भी जायेगा या नहीं। अब जो विवाद करना होगा उसके लिये तो हम समझते हैं कि यह सभी है।

श्रीमान्, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जब मैं इस विषय पर निवेदन करने जा रहा हूं तो उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां विराजमान हैं। हमें अन्देशा था कि शायद इस अवसर पर वे यहां मौजूद न रहें मगर उनको यहां बैठे देख कर हमें बड़ी खुशी है। श्रीमन्, कोई भी परम्परा, कोई भी मर्यादा या सीमा ऐसी होनी चाहिये जिसको सामने रख कर हमें इस पर विचार करना चाहिये। मैं बिलकुल निश्चित मत का हूं जो लेखानुदान आज सरकार आम निर्वाचन के फलस्वरूप यहां प्रस्तुत कर रही है उसके संबंध में उसे निश्चित रूप से विचार करना चाहिये था कि क्या आम निर्वाचन के बाद जो स्थिति हुई है उसके फलस्वरूप इस सरकार को यह हक हासिल है कि वह मर्यादित ढंग से इस धनराशि को व्यय करे? पुराने आडिटर्स की जो रिपोर्ट आई है उनको देखने से मालूम होगा कि १५ जनवरी, १९६२ तक ६० करोड़ से ज्यादा की रकम अनियमित ढंग से खर्च हुई है जिसमें करीब २३ करोड़ सिंचाई विभाग में है, करीब १९ करोड़ बिजली विभाग में और १२ करोड़ सार्वजनिक विभाग में। आडिटर्स चिल्ला रहे हैं मगर सरकार अपनी हटवादिता के कारण अनियमितता करने पर तुली हुई है और कह रही है कि हम अनियमितता करेंगे चाहे हमारा तुम कुछ कर लो। तो यह देखा जाना चाहिये था कि सही माने में क्या इस सरकार के पास साधु सत्ता है या असाधु सत्ता है। आज दो तरह की प्रवृत्तियों का वर्णन मुझे करना है—एक तो हिरण्य कश्यप की और दूसरी प्रहलाद की प्रवृत्ति है। विश्व का जब सर्वप्रथम सत्याग्रह हुआ उस समय प्रहलाद ने अपने पूज्य पिता हिरण्यकश्यप के काले कानूनों का सख्त विरोध किया और उसके लिये प्रहलाद को नाना प्रकार की यातनायें भुगतनी पड़ीं। उसी तरह आज जिसे नाना प्रकार की यातनायें भुगतनी पड़ी हैं वही अपराधी करार दिया जा रहा है और जो हिरण्यकश्यप की गति पर चल रहा है वह आज येनकेन प्रकारेण अपने हाथ में सत्ता लेकर जनता की आकांक्षाओं को धूल में मिलाने की कोशिश कर रहा है।

श्रीमन्, क्या जब हम इस सरकार को ७० करोड़ रुपयों को खर्च करने का अधिकार दे रहे हैं तो क्या हमें उन सारी अवस्थाओं पर विचार करना नहीं होगा जिनके फलस्वरूप आज सरकार पुनः सत्ता में आ रही है। मैं समझता हूं कि अगर यह सदन उन सारी बातों पर गौर किये बिना सरकार को ७० करोड़ रुपयों को व्यय करने का अधिकार देता है तो वह अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करता। इसलिये सदन के कर्त्तव्यों की पूर्ति के लिये मैं आज एक एक बात को सदन के सामने रखना चाहता हूं।

हमारे प्रदेश में आम निर्वाचन हुये हैं और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और उनके सहयोगियों को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उनके इस राज्य में मुझे भी मात खानी पड़ी है। मैं अपनी हार पर माननीय सी० बी० गुप्ता जी को बधाई देता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने हमको हराया, उन्होंने डाक्टर लोहिया को हराया, उन्होंने माननीय त्रिलोकी सिंह को हराया, इसके लिये वे प्रसन्न हो लें, मगर क्या इससे जनता की किसी आकांक्षा की पूर्ति होगी? लगातार १५ सालों से कांग्रेस सरकार शासन में है, लेकिन क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात पर भी विचार करेंगे गम्भीरतापूर्वक कि उनकी शक्ति का भी दिन प्रति दिन ह्रास होता चला जा रहा है, २८८ के स्थान पर २४८ होते जा रहे हैं, ४२ प्रतिशत वोटों के स्थान पर ३३-३४ प्रतिशत वोट ही मिले हैं, लेकिन आज भी इस प्रदेश की जनता पर शासन करने के लिये तुले हुये हैं। कहां

जा सकता है कि अगर आप के साथ अनियमिततायें बरती गई हैं तो आप एलेक्शन पेटीशन में चले जाइये। एलेक्शन पेटीशन तो कानून का विषय है, लोग जांयगे जिनको जाना होगा, वह किसी के रोकने से नहीं रुकेंगे। लेकिन मेरे पास प्रमाण हैं उनको मैं आप की सेवा में रखना चाहूंगा कि यह देश कहां जा रहा है? भारत के प्रधान मन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू के विरुद्ध डा० लोहिया चुनाव लड़े हैं। १५० पोलिंग स्टेशन्स की लिस्ट है। पोलिन्ग स्टेशन नं० २ पर नेहरू को १७८ वोट और लोहिया को २२२। पोलिंग स्टेशन नं० ३ पर नेहरू को १७० और लोहिया को २४५। नं० १९ पर नेहरू को १४८ और लोहिया को २४८ और नं० १५५ पर लोहिया को २८६ और नेहरू को २४....

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं इस विषय का यहां पर कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री राजनारायण—मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधान मन्त्री को किसी-किसी पोलिंग स्टेशन पर केवल ५ वोट ही मिले हैं.....

श्री अधिष्ठाता—इन बातों का यहां पर कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री राजनारायण—आज जब हमसे यह सरकार ७० करोड़ रुपया खर्च करने के लिये मांग कर रही है तो यह वस्तुतः सरकार है ही नहीं, मैं इसको सरकार मानने के लिये तैयार ही नहीं हूं।

श्री अधिष्ठाता—आप जिस सरकार का जिक्र कर रहे हैं वह यहां है ही नहीं।

श्री राजनारायण—नेहरू के वहां पर कई लाख खर्च हुये और हमारी केवल १५ दिन की मेहनत। १५० पोलिंग स्टेशंस पर जहां हम सघन कार्य कर पाये वहां भारत के प्रधान मंत्री को मात खानी पड़ी तो क्या उनके लिये इस्तीफा देना जरूरी नहीं है. . . .

श्री अधिष्ठाता—जो बातें आप कह रहे हैं उनका सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट से ताल्लुक़ है।

श्री राजनारायण—चुनाव तो इसी सरकार ने करायें हैं, इसकी जिम्मेदारी भी संलग्न है।

श्री अधिष्ठाता—चुनाव में यह सरकार तो केवल माध्यम थी।

श्री राजनारायण—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि यह सरकार जनशक्ति को अपने पास न पाते हुये भी कानूनी आवरणों को लेकर शासन में जमी हुई है। यह विचारणीय प्रश्न है। इस चुनाव में नयी-नयी व्यवस्थायें हुईं। इसके पूर्व के निर्वाचनों में अध्यापकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता था, लेकिन इस अवसर पर जो अध्यापक जहां पढ़ाता था वहीं पर पोलिंग स्टेशन का कर्मचारी बन गया। जिन जिला परिषदों में कांग्रेसी अध्यक्ष थे उनकी ओर से अध्यापकों को परिपत्र गये कि वह सत्ता का साथ दें। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो बनारस तहसील का अध्यापक चंदौली तहसील में काम करने जाता था और चंदौली का बनारस आता था। तो फिर इस चुनाव में नयी व्यवस्था क्यों की गई? क्या सरकार ने यह पहले से नहीं भांप लिया था और इसीलिये उन अध्यापकों को उन्हीं क्षेत्रों में रखा जिससे उनको तरक्की, तनज्जुली आदि की धमकी देकर उनके द्वारा वोट प्राप्त किये जा सकें। जरा मैं हाउस को बता देना चाहता हूं कि कैसे-कैसे प्रीसाईडिंग आफिसर रखे गये थे। एक पोलिंग स्टेशन पर मैं स्वयं गया और देखा कि एक शख्स बैलट पेपर लेकर उस पर बाहर मुहर मार रहा है। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि बाहर क्यों मुहर मार रहे हो। उसने बताया कि मैं तो यहां का प्रीसाईडिंग आफिसर हूं। जब हमको यह मालूम हुआ कि यह प्रीसाईडिंग आफिसर है, हमने उसको पुलिस के हवाले करना चाहा। उसने हमारे पैर पकड़ लिये। शरण में आया समझ कर हमने उसको क्षमा कर दिया। उसको क्षमादान किया और वह बैलट पेपर कैंसिल कराया। २५ तारीख की बात है। गया प्रसाद जी जो बेचनराम जी गुप्ता को हरा कर यहां आये हैं, वे मेरे मकान पर दौड़े हुये

[श्री राजनारायण]

आये। उसी वक्त एक चपरासी आता है और कहता है कि बक्से तोड़े जा रहे हैं। रिटर्निंग आफिसर और ऋषि नारायण जी वहां हैं और सभी चपरासियों को वहां से हटा दिया गया है। मैं दौड़ा हुआ वहां गया और रात के साढ़े दस बजे रिटर्निंग आफिसर को वहां पाया। वहां त्रिपाठी जी भी मौजूद थे। मैंने उनसे वहां आने का कारण पूछा तो बताया कि कल काउन्टिंग होने वाला है उसका अरेन्जमेंट देखने आया हूं। हमने कहा कि हमारी ही काउन्टिंग देखने कैसे आये थे और क्या ऋषि नारायण शास्त्री भी यहां आये हुये हैं? उन्होंने कहा कि हां, आये थे पोलिंग एजेन्ट का नाम देने के लिये। जब हमने पूछा कि किसको नाम दिया तो बताया कि इलेक्शन आफिसर को नाम दे गये हैं। बस हमने सोच लिया कि, 'अब लों नसानी, अब न नसैहों' हमने तय कर लिया कि हमारे तीन आदमी वहां सोयेंगे। हमारे तीन आदमी उसके बाद वहां रहे। रिटर्निंग आफिसर और पोलिंग आफिसर में एक जगह झगड़ा होता है, वह कांग्रेस के बैल पर मोहर लगा रहे थे और फिर पोलिंग आफिसर को निकाल दिया गया। यह क्या हो रहा है? मैं मांग करता हूं कि यह सदन कोई कमेटी बनाये जिसमें भूतपूर्व जज रखे जायं और वे आम तौर पर उत्तर प्रदेश में जहां-जहां इस प्रकार की शिकायतें हैं वहां-वहां जांच करें वरना इसी प्रकार से शक्ति में रह कर अनुचित साधनों को इस्तेमाल कर के जनता द्वारा चुने जाने का नाटक खेला जाता रहेगा। ऐसी सरकार को हम किसी भी प्रकार से तीन महीने के लिये ७० करोड़ रुपया देने के लिये तैयार नहीं हैं और अगर इस प्रकार से मैं इजाजत देता हूं तो अपने कर्त्तव्य की अवहेलना ही करूंगा।

आज तक की परम्परा हमें याद नहीं है। इसीलिये अदब के साथ कहता हूं, मंत्री जी सामने बैठे हुए हैं, जरा बता दें कि क्या सन् १९५७ में कोई इस प्रकार का विनियोग विधेयक पास हुआ था? और यह भी बता दिया जाय कि वह चुनाव के बाद हुआ था या चुनाव के पहले? पुरानी असेम्बली ने किया था या नयी असेम्बली ने?

श्री अधिष्ठाता—पुराने सदन ने ही इस प्रकार के विधेयक को पास किया था और २६ मार्च, १९५७ को किया था। इलक्शन्स ९ मार्च को समाप्त हो गये थे। नया हाउस ९ अप्रैल से मिट गया था।

श्री हरगोविन्दसिंह—पहले तो धोके से आ गये थे।

श्री राजनारायण—यह ठीक है, लेकिन सभी जानते हैं कि कौन धोके से आया और कौन नहीं। मैं समझता हूं कि मन्त्रिमण्डल का कोई सम्मानित सदस्य हमारे लिये यह धृष्टता न करेगा ऐसा कहने की। लेकिन सारी तिकड़म और खुराफात के बाद भी वह नहीं जीते। लेकिन कोई बात नहीं इस्तीफा देकर चाहे तो लड़ लो। क्या बात कहते हो, मन्त्री रहते हुये हारे हो फिर भी शर्म नहीं आती बोलते हुये, बेहयाई वह जो सिर पर चढ़कर बुलाये। वाह, वाह धन्य है। अब मैं नतमस्तक हूं आपके द्वारा श्री हरगोविन्दसिंह के सामने, सही में नतमस्तक हूं। ऐसे पुरुष शायद ही विरले देखने को मिलेंगे। धन्य है महाराजा। मेरा कहना है कि आप जरा हमें अपनी साधु वाणी से अपने साधु आचरण से ये बता दें कि इस सरकार को ७० करोड़ रुपया इस तरह से देना कौन सी मर्यादा है। रामराज्य की चर्चा की जाती है, माननीय मुख्य मन्त्री और कांग्रेस के सभी लिखे-पढ़े लोग रामराज्य की चर्चा करते हैं। आप प्राचीन ग्रन्थों का अवलोकन करें तो केवल एक ही देवता ऐसा है कि जिस के नाम के साथ "मर्यादा पुरुषोत्तम' लगा हुआ है और किसी देवता के साथ मर्यादा या सीमा की बात नहीं है। अब माननीय चन्द्रभानु जी गुप्त जरा अपनी छाती पर हाथ रखकर सोते समय सोचें कि राम ने किस प्रकार अपने लिये सीमा बांधी, मर्यादा बांधी कि इससे आगे हमें जाना ही नहीं है चाहे जो कुछ भी हो जाय, इसके आगे नहीं जायेंगे और दूसरे जो देवता हैं वह कोई सीमा रखते ही नहीं जैसे स्वार्थसिद्धि होगी वैसे ही कर लेंगे। अब राम की मर्यादा को ही लेकर उसी आदर्श पर पूज्य बापू ने देश का निर्माण किया। लेकिन आज उनके अनुयायी अपनी

सारी तिकड़म, छल कपट को फैला कर देश का सत्यानाश कर रहे हैं। माननीय चन्द्रभानु जी गुप्त, आप मुख्यमन्त्री हैं, यह हम कैसे कह दें कि आप मुख्य मन्त्री नहीं हैं और आगे भी शायद बन जांय, समाचार-पत्रों का संकेत है और ऐसा लगता है कि आगे भी आप मुख्य मन्त्री बन जांय, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आज आप क्या हैं ? आप चाहते हैं कि कानूनी तरीके से तानाशाही लाई जाय ? क्या आप इससे सहमत नहीं हैं कि इस चुनाव में पैसे ने जनता की इच्छाओं पर काबू पा लिया है ? मैं ईमानदारी से बतलाता हूं कि चुनाव की रात को १४–१४ हजार और बीस-बीस हजार रुपया दिया गया है कांग्रेस के द्वारा और जिनको दिया गया है वह खुलकर बक्कार रहे हैं और रो भी रहे हैं कि पैसा लेकर हमने पाप किया है। इस तरह से अनुचित साधनों के द्वारा यदि आज सरकार बनेगी तो क्या वह अच्छा काम कर सकती है? जब आम चुनाव में ही मर्यादाओं और सीमाओं को तोड़ा जा रहा है तो क्या सरकार सही काम कर सकती है? बापू ने साध्य और साधन की एक मर्यादा निश्चित की थी, लेकिन आज किस प्रकार के साधन अपनाये जाते हैं यह सर्व विदित है, वह अपने स्वार्थ के लिये गलत से गलत साधन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमेशा साधन मर्यादित रहते तो वाकई में जनता के सामने सही मानों में सही बात आती। इसलिये मैं विनम्रता के साथ कहूंगा कि किसी से छिपाने की जरूरत नहीं है हम हारे, लेकिन हमारी हार में सत्य की हार है, हमारी हार में इन्साफ की हार है और यह भी सत्य है कि श्री चन्द्रभानु गुप्त की जीत में सत्य की हार है। इन दोनों चीजों की भी विवेचना होनी चाहिये। माननीय चन्द्रभानु गुप्त की जीत पर हमें आश्चर्य है और हमारी हार पर भी लोगों को आश्चर्य है। श्री हरगोविन्द सिंह भी जीत जाते तो आश्चर्य न होता, लेकिन वह नहीं जीते इस पर हमें आश्चर्य है। श्री हरगोविन्द सिंह जी हार गये हैं, अब उन के पास कौन आता है ? वही लाइसेंस होल्डर वही ठेकेदार और मिल मालिक और उन के नुमाइन्दे आते हैं।

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य व्यक्तिगत बातें न कहें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, वह मेरे बीच में बोले थे इसलिये मैंने कह दिया।

श्री अधिष्ठाता—आप अपने भाषण को उपस्थित विषय तक ही सीमित रखें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मेरा तो विषय ही बन रहा है कि जो भी कांग्रेस के लोग रिटर्न हुए हैं वे अनुचित साधनों का उपयोग कर के आये हैं और इसलिये उनको भी पैसा खर्च करने की इजाजत नहीं देना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—आप व्यक्तिगत आक्षेप न करें।

श्री राजनारायण—मेरा तो उन से पुराना प्रेम है इसलिये थोड़ा व्यक्तिगत कह दिया। ऐसे-ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि जहां पर बैलेट पेपर खत्म होने के कारण डेढ़ घंटे तक के लिये पोलिंग बन्द रखा जाय और बाद में भी फिर समय नहीं दिया जा रहा है। कहा जाता है कि इलेक्शन पेटीशन में जाइये, लेकिन उसके लिये भी पैसा चाहिये। हम गरीब हैं, असहाय हैं हमारे पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है। फिर हम करें क्या ? फिर वही मूल प्रश्न आता है कि जनतंत्र के लिये आर्थिक विषमता का मिटाया जाना भी जरूरी है। अगर जनतंत्र कामयाब करना है और प्रतिष्ठित करना है तो वर्तमान आर्थिक विषमता जनतंत्र के लिये काल है, उसके गले पर छुरा चलाना है। इसको खत्म करने के लिये सरकार ने क्या किया ? फिर आगे संकेत किया है केन्द्रीय कर क्या आयेगा क्या नहीं आयेगा। तो मैं कहूंगा कि साढ़े ६ एकड़ तक की जोत अलाभकर है और इस बात को मानते हुये भी सरकार ने कुछ नहीं किया। फिर क्यों पैसा दें सरकार को ? १,००० रुपये महीने से जिनकी ज्यादा आमदनी है, चाहे सरकारी कर्मचारी हों या गैर-सरकारी, उस आमदनी को सरकार क्यों नहीं लेती। क्यों आगे कर लगाने का संकेत है ? मेरा विश्वास है कि अगर १,००० रुपये से ज्यादा जिनकी आमदनी है वह अगर ले ली जाय तो १,५०० से २,००० करोड़ तक की रकम

[श्री राजनारायण]

बचती है। अगर केवल उत्तर प्रदेश का हिसाब लगायें तो वहां भी करीब ५०० करोड़ की रकम बचेगी। लेकिन यह नहीं करेगी सरकार बल्कि तीन आने की जो छूट थी उसको भी सरकार ने चुनाव के मौके पर लागू कर दिया। साढ़े तीन हजार आदमी जेल गये, डाक्टर राम-मनोहर लोहिया जेल गये, लेकिन हाई कोर्ट से छूटे, २ लाख रुपया सरकार ने जुर्माने के रूप में ले लिया और उधर तीन आने की छूट को समाप्त भी कर दिया। तो ऐसी सरकार को क्यों रुपया दें ?

श्री हरगोविन्दसिंह---श्रीमन्, कुछ समय भी होगा।

श्री राजनारायण---इसमें कोई सीमा नहीं है। अब तो हम जा ही रहे हैं मगर हम समझते हैं कि सरकार के मंत्रियों को यह विश्वास है कि ज्यादा दिन तक उनका संबंध इस सदन से छूटा नहीं रहेगा।

हम बहुत ही चोटिल हैं और घायल हैं। इसलिये नहीं कि २, ४ सीटें उनकी घट गईं या बढ़ गईं, बल्कि इसलिये कि आज हमारे देश में होने क्या जा रहा है ? हम नाम लेते हैं हरिजनों का, अभी सबेरे प्रश्न था कि हरिजनों की बस्तियां गंदी हैं वह मानवोचित ढंग से रह नहीं पा रहे हैं, उनकी बस्तियों का पुनः निर्माण हो। सरकार कहती है यह योजना उसके पास नहीं है। क्यों नहीं है ? आज हरिजन बस्तियों के लिये सरकार रुपया मांगे तो हम देने के लिये तैयार हैं, अगर सरकार हमसे कहे कि हम उचित ढंग से रुपया इन कामों पर व्यय करेंगे तो हम चन्दा तक करने के लिये तैयार हैं, सरकार को रुपया देने को तैयार हैं, हम कोई हठधर्मी नहीं हैं। अब चूंकि सरकार ने आज तक कोई ऐसा संकेत हमारे सामने नहीं रखा, इसलिये इस सरकार को एक पैसा देना पाप है। अब मैं प्राचीन श्लोकों को क्या कहूं। जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं इनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिये सरकर के पास पैसा नहीं है। हमारे बच्चों की फीस के बारे में इसी सदन में सरकार ने कहा, १९५७ में चुनाव के बाद हमने सत्याग्रह किया था तो सरकार ने कहा था कि दर्जे दर्जे तक बच्चों की फीस माफ करने के सिद्धान्त को हम मानते हैं। इस साल छठे दर्जे तक कर रहे हैं, आगे ७ वें और आठवें की फीस माफ करेंगे। मगर इस सरकार ने सात और आठ की कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों की फीस माफ नहीं की, इस सरकार ने बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य नहीं किया, यह सरकार काहे के लिये पैसा मांग रही है, वह पैसा किस पुण्य काम में खर्च करेगी ? आज हमें इस सवाल को देखना पड़ेगा। पूज्य बापू के शब्दों में एक सभ्य सरकार क्या करेगी ? एक सभ्य सरकार का कर्तव्य होगा कि देहातों में औरतों के लिये पाखाने का निर्माण कराना। सारे देश और सारे प्रदेश का स्वास्थ्य जर्जर हो रहा है। आप देहात की औरतों को देखें कि आध आध घंटे तक वह खड़ी रह जाती हैं और पाखाना जा नहीं पातीं मारे लज्जा के। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने देहातों में औरतों के लिये पाखाना बनवाने की क्या कोशिश की जो पूज्य बापू ने कहा था ? देहात में औरतों के लिये पाखाना निर्माण कराने के लिये हमसे पैसा मांगा जाय तो हम देंगे। कहीं संकेत नहीं है इसमें कि हम देहातों में औरतों के लिये पाखानों का निर्माण करायेंगे। कहीं इसमें संकेत नहीं है कि हरिजनों की बस्तियां निर्माण करायी जायंगी, कहीं संकेत नहीं है कि सातवें और आठवें दर्जे तक पढ़ने वाले बच्चों की मुफ्त शिक्षा होगी, कहीं संकेत नहीं है कि छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहों में वृद्धि की जायगी, कहीं संकेत नहीं है कि कन्या पाठशालायें अधिक खोली जायंगी या स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रसार करने के लिये कुछ किया जायगा। यह नहीं कहते हैं कि इन बातों के लिये पैसा दो। क्या है ? वही रफ्तार बढ़ेगी जो पहले थी वह अब भी है। वही शहरों की सड़कें चौड़ी होंगी, कचेहरियों के पास गोलम्बाकार बनेगा, मगर देहात उजड़ेंगे, देहात की जो सड़कें हैं वह वही रहेंगी, देहातों में स्कूलों की दीवालें उजड़ी पड़ी हैं उनकी दीवालों के निर्माण के लिये पैसा नहीं मांगा जायगा। माननीय गुप्ता जी और माननीय हरगोविन्दसिंह जी कह सकते हैं कि अब तुम क्या बोलते हो, जनता ने फिर हमारे पास अपना विश्वास रखा है, फिर कांग्रेस

के द्वारा हम बहुमत में चुनकर आये हैं, इसलिये यह कांग्रेस की सरकार जैसा चाहेगी करेगी और तुम्हारी वाणी का कोई असर हम पर नहीं है। मगर मैं कहना चाहता हूं कि क्या सत्य और असत्य को अल्पमत और बहुमत में कसकर आंका जायगा ? इस सवाल का जवाब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से बहुत ही विनम्रता के साथ जानना चाहूंगा । यह हमारा आज मूल प्रश्न है। क्योंकि आज हम एक आम निर्वाचन से गुजरकर यहां आये हैं । छोड़ दें व्यक्तियों को मगर व्यापक तरीके से उन कारणों को बतावें कि आज १९५२ और ५७ की जो परम्परायें थीं वह क्यों तोड़ी गयीं ? क्यों इस साल जो जिला परिषद् के अध्यापक थे उनको सरकारी कर्मचारियों की तरफ से नियुक्त किया ? जो सेक्रेटरी पंचायत के थे उनको उन्हीं स्थानों पर जहां थे वहीं पर क्यों रखा गया जहां उनकी चुनाव में आवश्यकता थी ? मैं कहना चाहता हूं कि सरकार एक लिस्ट तैयार करे कि कितने सरकारी कर्मचारियों ने चुनाव के समय छुट्टी ली, किन-किन क्षेत्रों में छुट्टी ली । क्या यह सब चीजें देखी जायेंगी ? क्या इस पर कभी प्रकाश नहीं पड़ेगा ? मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन कर्मचारियों के विरुद्ध मूल शिकायतें आ रही हैं आम निर्वाचन में या गांव पंचायतों के चुनाव में पंचायत डाइरेक्टर के पास, उन्हीं के द्वारा क्या क्या हैवक नहीं क्रियेट कराया जा रहा है । यानी कुटिल साधनों का प्रयोग करके बहुमत को अल्पमत में परिवर्तित कर देना क्या यह शरम की बात नहीं है ? क्या यह जनतंत्र पर कुठाराघात करना नहीं है ? निश्चित ही है । आज जनतंत्र कांप रहा है । निश्चित रूप से कांप रहा है । इसके एक नहीं अनेक प्रमाण हैं, दिये जा सकते हैं, दिये जाते हैं, सदन के बाहर भी दिये जा रहे हैं तो मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार बहुत कुछ काम कर चुकी है १४ वर्षों में, प्रदेश की राज्य भाषा को बदलकर अंग्रेजी लाने की बात, जब हम लोग यहां उठे थे १७ नवम्बर को, उस समय सदन में कही गयी थी । तो क्या हम इस सरकार को पैसा दें जो पुनः अंग्रेजी को इस प्रदेश में प्रतिष्ठित करने की नापाक कोशिश करे ? जो सरकार बापू की वाणी, उनकी आत्मा को कुचल देने को तैयार हो उस सरकार को ७० करोड़ की भारी रकम को देने के लिये हम तैयार हों ? ऐसा हम नहीं कर सकते । आज यह सरकार सत्ता के मद में जो जनहितकारी, लोक कल्याणकारी कार्य हैं उनकी अवहेलना भले ही करे, लेकिन इतिहास बतलायेगा कि चन्द्रभानु गुप्त जी, आप मुख्य मंत्री रहे, लेकिन आपके मुख्य मंत्रित्व में लोक कल्याणकारी कार्यों ने स्थान नहीं पाया । तो फिर कैसे हमसे कहा जाता है कि ७० करोड़ रुपये इनको दे दें ?

माननीय वित्त मंत्री स्वतः किस रीति से वित्त मंत्री के पद पर आये थे । फिर आम निर्वाचन में सारी शक्ति, प्रभुता तथा अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी शिकस्त खा गये और उन्हीं के कर कमलों द्वारा यह बजट हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और हमको कानन की बारीकियों में फंसा कर कहा जा रहा है कि तुम्हें मत देना पड़ेगा । आज मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कोई परम्परा या व्यवस्था है कि जो वित्त मंत्री हार गया या उसी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया हो ? ऐसी कोई नजीर हो तो हमें बतलाई जाय । जब कि उनकी अवस्था संदिग्ध हो, जब कि यह बात नहीं कही जा सकती कि वह पुनः वित्त मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस समय हम से यह कहा जा रहा है कि उन्हें ७० करोड़ रुपया दे दो । यह संविधान की हत्या नहीं है, यह उचित मान्य साध्य परम्पराओं की हत्या नहीं है, यह संसदीय परम्पराओं को कतरब्योंत करने के समान नहीं है ?

श्रीमन्, माननीय अध्यक्ष महोदय यहां नहीं हैं । आप अधिष्ठाता के रूप में यहां विराजमान हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय मित्तल जी, सचिव विधान सभा, यहां विराजमान हैं । हमें कोई नजीर दी जाय कि हारे हुये वित्त मंत्री के द्वारा इस प्रकार का लेखानुदान प्रस्तुत किया गया हो । मैं समझता हूं कि ऐसी कोई नजीर नहीं होगी । है जानकारी में ? नहीं है । मित्तल जी कह रहे हैं कि नहीं है ।

माननीय मुख्य मंत्री जी हर समय हमारी बात का हवाला दे कर कहते हैं कि राजनारायण मान जायं तो हम कल एक विदाई का आयोजन करा दें । हमसे क्या मनवाना चाहते हैं ?

[श्री राजनारायण]

हमसे वह यही मनवाना चाहते हैं कि हम असाधु, अमर्यादित कर्मों के सामने घुटने टेकें। हमने यह सीखा नहीं है। मुड़ना नहीं जानते, टूटना जानते हैं। आज तक हमने किसी को गुमराह नहीं किया है, चाहे हमसे किसी को रंज हो गया हो, उसको हम बर्दाश्त करते हैं। आज हमारा समाज विभिन्न अवस्थाओं तथा परिस्थितियों में बटा हुआ है। आज सुबह एक इटावा के रहने वाले का मैं पत्र देख रहा था। उसमें लिखा था कि "आप क्या सोचते हैं। पिछड़ी तथा हरिजन जाति को तुमने १० वर्ष तक उत्तर प्रदेश विधान सभा में खिदमत की और उसी पिछड़ी जाति ने आपको हराया।" उसमें लिखा था कि "गौतम बुद्ध को याद करिये। जिस क्षत्रिय वंश में वह पैदा हुआ था और जिसकी वाणी देश देशान्तर में अमर हो गयी, उसी वंश ने उसका नाम मिटा दिया था। क्या उसकी पुनरावृत्ति नहीं की जा रही है ?" यहां बैठकर हमारे वित्त मंत्री कह रहे हैं हे, हे।

श्री अधिष्ठाता---मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह संसदीय भाषा का प्रयोग करें।

श्री राजनारायण---क्या असंसदीय भाषा है ?

श्री अधिष्ठाता---इस तरह से बोलना उचित नहीं है।

श्री राजनारायण---कोई असंसदीय नहीं है। आप कहते हैं कि असंसदीय काम हों, असंसदीय वाणी नहीं। यह चाहते हैं क्या आप ? जनतंत्र में असंसदीय कर्म पर छूट दी जा रही है। यह सदन असंसदीय वाणी पर अंकुश लगाता है जब कि वह असंसदीय है नहीं। अब मैं जनतंत्र की मर्यादा को बतलाता हूं। जनतंत्र की मर्यादा है 'वाणी निरंकुश हो और कर्म अंकुश में हो' अगर हमारी वाणी पर अंकुश लगाते हो तो फिर अल्पमत बहुमत में परिणत नहीं हो सकता। अंकुश होना चाहिये कर्म पर, वाणी शिष्ट होनी चाहिये।

एक बात मैं पूज्य गांधी जी की कहना चाहता हूं। गांधीजी का कहना था कि परस्पर विरोधी सिद्धान्तों का संघर्ष शिष्ट व्यवहार और मधुर वाणी से टाला नहीं जा सकता। इस समय परस्पर विरोधी सिद्धान्त हैं हमारे और कांग्रेस के। दोनों एक दूसरे के ६३ नहीं हैं, ३६ हैं। दोनों के मुंह का चुम्बन नहीं हो रहा है, बल्कि दोनों की पीठ एक दूसरे से टकरा रही है। फिर आप क्या सोचते हैं ? क्या ये केवल हमारी साधु वाणी से मान जायेंगे ? अब साधु वाणी सुनिये। अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मैं करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि लोकहित के नाम पर इस ७० करोड़ के लेखानुदान को वापस ले लो। इससे शिष्ट भाषा कोई होगी ? मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्रीजी से पुनः विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हे माननीय मुख्य मंत्रीजी, हरिजन बस्तियों को पुनः निर्मित कराने में इस धन का उपयोग करो और आज ही प्रस्ताव पास करो कि पहले हरिजन बस्तियों का पुनः निर्माण होगा, उनके लिये पानी पीने के लिये कुंओं का इन्तजाम होगा, उनके बच्चों को पहले नौकरी में प्राथमिकता दी जायगी। क्या कोई ऐसा प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी आज पास करेंगे ? मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि हे माननीय मुख्य मंत्री जी, जो समाज का पिछड़ा हुआ अंग है, उसमें मैं औरतों को भी शामिल करता हूं। आज शूद्र नाम से जो लोग जाने जा रहे हैं उनको भी शामिल करता हूं, आदिवासी नाम से पुकारे जाने वाले लोगों को भी शामिल करता हूं, दबे हुये गरीब मुसलमानों को भी शामिल करता हूं, अल्पसंख्यकों को भी शामिल करता हूं, क्यों माननीय मुख्य मंत्रीजी उनको ६० प्रतिशत जगहें देने के लिये तैयार हैं ? मैं सादर, साग्रह निवेदन करूंगा आपके द्वारा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी इस व्यवस्था को चलायें। मैं आपके द्वारा विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि हे माननीय मुख्य मंत्रीजी, अंग्रेजी को पुनः लादने की कोशिश न करो। ऐसी कृपा अकृपा होगी। मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी हमारी इस भावना को साकार रूप प्रदान करने की ओर बढ़ेंगे ? नहीं बढ़ेंगे। तर्क देंगे कि हमारे बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी। और नौकरी कौन देता है ? सरकार ही न ?

उस नौकरी को तो राजनारायण व्यक्ति देगा नहीं। हम कहते हैं कि अंग्रेजी सरकारी भाषा नहीं, सार्वजनिक भाषा न हो। जब अंग्रेजी सार्वजनिक भाषा नहीं रहेगी तो अंग्रेजी का पढ़ना नौकरी पाने के लिये भी आवश्यक नहीं माना जायगा। अंग्रेजी तो तब आवश्यक मानी जा रही है जबकि सरकार ने अंग्रेजी की शर्त लगा रखी है। क्या श्रीमन्, हमारे मत के समर्थन में पूज्य बापू खड़े नहीं हैं ? क्या उनका वह वाक्य आप भूल जायेंगे कि जो हिन्दुस्तानी माता पिता अपने बच्चों को शुरू से अंग्रेजी में लिखना और बोलना सिखाते हैं वे उनके और देश के साथ द्रोह करते हैं ? क्या मैं आपके द्वारा कह सकता हूं पूज्य बापू के वाक्य में कि आज सरकार का अंग्रेजी लादने का कार्य एक तरह के देश द्रोह के समान होगा ? मैं किस वाणी का प्रयोग करूं ? आपके द्वारा माननीय गुप्ताजी से निवेदन करता हूं। क्या यह हमारी वाणी असंसदीय है, अशिष्ट है ? क्या आज किसानों की लूट नहीं हो रही है ? तीन आने की छूट जो आज सरकार ने बढ़ा दी वह किस आंकड़े के आधार पर बढ़ा दी।

कहां, किसानों के घर में गल्ला बढ़ा, कहां पैदावार बढ़ी, आपने जो ३ आने की छूट दे रखी थी उसको पुनः लागू करने की बात क्यों करते हो, इसको आप क्यों करते हो ?

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य नई बातें कहें।

श्री राजनारायण—जी हां, नई बातें ही हम कह रहे हैं। आज गन्ना हमारे प्रदेश में सूख रहा है। गन्ना पैदा करने वालों को आज दाम मिल मालिक नहीं दे रहे हैं। क्या सरकार उनको उचित कीमत दिलाने की कोई व्यवस्था कर रही है ? क्या सरकार उनके खेतों में पड़े हुये गन्ने की उचित कीमत दिलाने की बात करेगी ? मैं सरकार से जितनी विनम्रता हो सकती है, विनम्रता के सारे भंडार को रखकर कहना चाहता हूं कि माननीय चन्द्रभानु जी गुप्त प्रदेश के गन्ना बोने वाले किसानों की दयनीय अवस्था पर विचार करें और दो रुपये मन गन्ने की कीमत दिलाने का प्रयास करें।

इसके अतिरिक्त श्रीमन्, देखा जाय कि अब यह सदन उठेगा, सरकार उठेगी और इस सरकार की जगह दूसरी सरकार आयेगी। चाहे इस सरकार की कुछ मूर्तियां उसमें जगह पा जायें मगर वह दूसरी सरकार होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां ७० करोड़ पय के बजट की बात कही गई है उसके बजाय कोई ऐसी चीज नहीं पेश की जा सकती थी कि अपने प्रदेश में जो जीवनोपयोगी आवश्यक सामग्रियां हैं उनकी उचित कीमत निश्चित कर दी जाय और जो औद्योगिक आवश्यक वस्तुयें हैं उनमें संतुलन और क्षमता की बुनियाद कायम हो। श्रीमन्, हमारे प्रदेश में मिट्टी के तेल की बोतल आज क्या भाव बिक रही है ? शायद आपको मालूम न हो यहां बिजली में रहने वालों को मालूम न हो। मुझे मालूम नहीं कि आप देहात के रहने वाले हैं या शहर के। पांच आने बोतल बिक रही है। इस मिट्टी की बोतल में केवल तीन पैसे खर्च होते हैं। इसको सरकार ५ आने में बिकवा कर हम से ७० करोड़ रुपया स्वीकार कराने की नापाक कोशिश कर रही है। अगर हम इसकी स्वीकृति दे दें तो क्या यह देहात में रहने वाली जनता की कमाई की लूट नहीं है ? क्या यह जनता के धन की चोरी नहीं है ? चोर क्या करता है ? यही तो करता है कि बिना आपकी आज्ञा के चुपके से आपके धन को चुरा लेता है। क्या यह सरकार इस तरह से जनता के धन की चोरी नहीं कर रही है ? हम क्या करें हम तो जनता के धन के चौरीकदार हैं। हम तो चौकीदारी कर रहे हैं। अब प्रश्न यह आता है कि जो लोक कल्याण की बातें हैं उन पर विचार करना चाहिये।

चुनाव के अवसर पर हमने अपने मित्र प्रतापसिंह जी का बयान पढ़ा था। सीमा का सवाल है, मैं आश्चर्य चकित हूं। सभी लोग कहते हैं कि यह राष्ट्रीय सरकार है और राष्ट्र की सुरक्षा कर रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हमारे प्रदेश का हिस्सा है जो बद्रीनाथ से लेकर खोली मठ तक ३० मील दूर है। वहां हमारी सीमा की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है ? जनता के प्रतिनिधि सदन में बैठ कर कुछ नहीं कर सके। आज माननीय चन्द्रभानु गुप्त जो इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं वे कह रहे हैं कि मैकमोहन रेखा हमारी सीमा

[श्री राजनारायण]

रेखा होगी। इसको यदि मानें तब तो सर्वदा के लिये हम कैलाश पहाड़, मानसरोवर झील और मनसर गांव को चीन के हवाले कर रहे हैं। मनसर गांव २५ मील दूर है और ८५ मील कैलाश पहाड़ है आठ मील दूर हमारी मानसरोवर झील पड़ती है। जो मैकमोहन रेखा को सीमा रेखा मानते हैं क्या वह राष्ट्रहित पोषक हैं ?

श्री अधिष्ठाता--मैं समझता हूं।

श्री राजनारायण---हम व्यापक नहीं जा रहे हैं। यह कांग्रेस की सरकार है। माननीय मुख्य मंत्री ने मैकमोहन रेखा को सीमा रेखा मान लिया है। इसमें यह भी है कि केंद्रीय सरकार कहां-कहां पैसा इस सरकार को देगी। सुरक्षा की दृष्टि से हमारे ऊपर टैक्स बढ़ाया जाता है। काहे को हम टैक्स दें ? यहां का विषय नहीं है, लेकिन जानकारी के लिये बता दूं। १९४८-४९ में सुरक्षा पर जितना व्यय हो रहा था उससे जो हर साल बढ़ी हुई रकम है १९५८-५९ तक वह ६ सौ करोड़ है और यह हमारी सुरक्षा हो रही है।

क्या यह संविधान की हत्या नहीं हो रही है ? संविधान में दिया हुआ है "हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावलि को आत्मसात् करते हुये जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उस के शब्द-भंडार के लिये मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः वैसी उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुये उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्त्तव्य होगा। हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करना यह संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन यह सरकार हिन्दी की जगह अंग्रेजी को बढ़ाने जा रही है।"

श्री अधिष्ठाता---मेरा खयाल है कि फिर रिपीटीशन कर रहे हैं।

श्री राजनारायण---जो सरकार हिन्दी की जगह अंग्रेजी को ला रही है उस सरकार को हम पैसा दे दें ?

हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गयी है कि कोई भी राज्य सरकार स्त्रियों के लिये, हरिजनों के लिये, या जो पिछड़े हुये लोग है, उनके लिये विशेष सहूलियत देगी और इसका कानून बनायेगी। यह हमारे संविधान में है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से बहुत ही नम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि क्या वर्तमान कांग्रेसी सरकार ने समान अवसर का सिद्धांत नहीं मान लिया है ? जब समान अवसर का सिद्धांत होगा तो हरिजनों को विशेष अवसर कैसे दिया जायगा, पिछड़े वर्ग को विशेष अवसर कैसे दिया जायगा, गरीब मुसलमानों को विशेष अवसर कैसे दिया जायगा, महिलाओं को विशेष अवसर कैसे दिये जायेंगे ? यह समान अवसर को मानने वाली सरकार है। तो किस जगह कहां हम और यह एक हैं ? फिर हम दोहरा देना चाहते हैं कि जो सीमा नीति में हमसे विरुद्ध, भाषा नीति में हमसे विरुद्ध, दाम नीति में हमसे विरुद्ध, जाति नीति में हमसे विरुद्ध, टैक्स नीति में हमसे विरुद्ध तो वह हैं कहां ? आज इस कांग्रेस सरकार की सीमा नीति, भाषा नीति, जाति नीति, टैक्स नीति, समाज सुधार नीति, सब लोकहित की उपेक्षा करके चल रही है, अहितकारी है। इसलिये ऐसी सरकार को एक पैसा भी खर्च करने की इजाजत देना अपना स्वतः अपमान करना है, अपने कर्त्तव्यों को तिलांजलि देना है और इस सदन से जो दिलवाने की कोशिश करते हैं वह इस सदन को उसके अधिकार को इस्तेमाल नहीं करने देना चाहते हैं। इसलिये मैं आपके द्वारा इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हमें भावावेश में नहीं आना चाहिये। हमें जो एक सामयिक चमक-दमक है उसी सामयिक चमक-दमक में नहीं आना चाहिये और मैं आपके द्वारा माननीय चन्द्रभानु जी गुप्त से भी कहना चाहता हूं कि हे चन्द्रभानु गुप्त जी, मुख्य मंत्री, आप

इसके एक साकार सबूत हो, अगर इस सदन में आज कोई सरकारी कुत्सित साधनों के दुष्प्रयोग से, चन्द वोटों से हार गया तो उसकी बात की उपेक्षा न करें। वह तो सात-सात और दस-दस हजार वोटों से हारे हैं, इसी सदन से ठुकराये गये हैं, मगर आज विराजमान हैं मुख्य मंत्री के पद पर। तो हमारे लिये यह कसौटी नहीं है। हमारे लिये कसौटी यह है कि हम किन उपकरणों का, किन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिये हम इस सदन के अधिक समय को न लेते हुये आपके द्वारा पुनः निवेदन करेंगे कि सरकार स्वतः अपने को मर्यादित करे और अपने को मर्यादित करके जो यह ७० करोड़ के करीब की रकम इस सदन से लेकर के आगामी समय में खर्च करने की व्यवस्था करने जा रही है, उससे बाज आये। अगर सरकार उससे बाज नहीं आती तो मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा, विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि सदन के सम्मानित सदस्य निश्चित रूप में दृढ़ता के साथ, साहस के साथ सरकार के इस विधेयक को पास न होने दें, क्योंकि सरकार का यह विधेयक असाधु है, सरकार का यह विधेयक अलोक कल्याणकारी है, अमर्यादित है, अजनतांत्रिक है। आज तक दुनिया के जनतंत्र के इतिहास में कोई प्रमाण, कोई ऐसी परम्परा, हमें नजर नहीं आयी है कि जब सदन में बजट प्रस्तुत किया गया हो, लेखानुदान प्रस्तुत किया गया हो, उस व्यक्ति या उस मंत्री के द्वारा जो उसी निर्वाचन में हार चुका हो। हर प्रकार से संयम, साधुता, मर्यादित जनतंत्र सभी की दुहाई देकर के मैं कहता हूं कि सदन सरकार के इस विधेयक को ठुकरा दे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं और आपको पुनः अपनी ओर से कृतज्ञता प्रकट करता हूं, इसलिये कि आपने बहुत ही मर्यादित ढंग पर इस विधेयक के समय इस सदन की कार्यवाही को चलाया। पता नहीं अब आगामी समय किस तरीके से व्यतीत हो, किन्तु हम इतना आपसे जरूर कह देना चाहते हैं कि हम इस सदन के बाहर रहें या भीतर, हमारी जितनी सेवायें हो सकेंगी जनकल्याणकारी कार्यों के लिये वह हम देते रहेंगे और एक बात मैं आपसे और कह देना चाहता हूं कि विधान सभा का सदस्य रहते हुये मैं अपने को जितना मजबूत नहीं समझता था उससे ज्यादा मजबूत अपने को अब मैं समझ रहा हूं। उससे हमारी शक्ति और ज्यादा बढ़ी है और और ज्यादा अपार होगी। यह इसलिये मैं कह देना चाहता हूं कि कोई मंत्री कहीं यह समझ करके कोई छेड़खानी करने का दुस्साहस न करें, क्योंकि एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि हमने पानी में आग लगा दी है। कांग्रेस राज को मैं पानी मानता हूं और इस समय जो सोशलिस्ट पार्टी की शक्ति है वह एक प्रज्जवलित अग्नि के समान है। उससे पानी में आग लग चुकी है, उसमें बुलबुले आयेंगे और वह पानी भाप बनकर उड़ेगा। कांग्रेस राज रूपी पानी को सोशलिस्ट पार्टी की शक्ति रूपी अग्नि भाप बनाकर उड़ा डालेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हम अभी जो आंच बढ़ा रहे हैं उससे कोई यह न समझे कि यह पानी पानी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जो आग लगी हुई है उसमें बुलबुले नहीं उठेंगे और भाप नहीं उठेगी और उसमें आग नहीं लगी हुई है। मैं उनको आज बतला देना चाहता हूं कि आग लगी हुई है और लगकर रहेगी और यह कांग्रेस राज रूपी पानी जरूर भाप बनकर उड़कर रहेगा। जयहिंद।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस अनुदान पर, जो सिर्फ तीन महीने के लिये हमसे मांगा गया है, जो राजनारायण जी ने अपने विचार व्यक्त किये और जितनी तफसील में वह गये उसके बाद मैं समझता हूं कि कुछ बात कहने को नहीं रह जाती, लेकिन मैं ऐसा उचित समझता हूं कि अपने उद्गार इस माननीय सदन के सामने रख दूं।

अभी आम चुनाव हुआ है और उस आम चुनाव में कुछ ऐसे लोग भी जिनकी इस सदन में रहने की बड़ी आवश्यकता थी, जिनकी सेवाओं को भी हम मानते हैं, उनको अवसर नहीं मिला। वह नहीं आसके। मैं दो एक बातों की तरफ सदन के लिये संकेत करना चाहता हूं। मैं यह समझता हूं कि जो देश में सब से शक्तिशाली संगठन राजनीति का है उसे उन बातों को ध्यान में रखना चाहिये। उसी शक्तिशाली संगठन की आज सरकार बनी हुई है। उसके हाथ में

[श्री गेंदासिंह]

इस द्रव्य को हम देने जा रहे हैं कि वह खर्च कर सके। उस द्रव्य को किस प्रकार से खर्च किया जाय, देश में कैसी स्थिति उत्पन्न हो उसके लिये सब से अधिक भार किसी की जिम्मेदारी है तो वह उस शक्तिशाली संगठन की है। जो देश की जिम्मेदारी उठाने के लिये तैयार है। और देश ने उस जिम्मेदरी के बोझ को उसे दे रखा है। इस बात को एक मर्तबा उस तरफ के बैठने वालों को अपने दिल पर हाथ रखकर टटोलना पड़ेगा कि उन्होंने चुनाव में क्या किया ? किस तरह से उन लोगों को हराया, जिन लोगों की सेवा की आवश्यकता यहां पर थी। मैं इस विषय में कुछ नहीं कहता। मैं यह नहीं कहता हूं कि उन्होंने क्या-क्या काम किये, लेकिन मैं एक अपील जरूर करना चाहता हूं इस वक्त पर कि वह यह सोचें कि इतने प्रबल बहुमत के रहते हुये, इतनी ताकत के रहते हुये उन्होंने जो कार्यशैली अपनाई, जो पद्धति अपनाई और जो तरीके अपनाये अपने राजनीतिक विरोधियों को हराने के लिये क्या वे उचित थे ? और यदि वह प्रवृत्ति बढ़ती है तो इस मुल्क में क्या वह यह समझते हैं कि.....

(इस समय १ बजकर ५९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने उद्गार आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं और पूछना भी इस सदन में चाहता हूं कृपया वह अपने मन से पूछें कि तब इस प्रदेश में कौन सी प्रवृत्ति बढ़ेगी। अगर शक्ति से किसी गरीब आदमी को कुचला जाय, रुपये के बल पर कुचला जाय, गुंडागीरी के नाम पर कुचला जाय, उनके समर्थकों को शक्ति से कुचला जाय, उनको अपने विचार प्रकट न करने दिये जायं तो उससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी। कुछ भाइयों की तरफ से चिन्ता व्यक्त की जाती है। उससे मैं भी चिन्तित हूं और हर देश के लिये विचार करने वालों के दिल में चिन्ता होगी, लेकिन आखिर क्या वजह है कि एक तरफ दक्षिणपंथी अधिनायकवाद की प्रवृत्ति जगती जा रही है और दूसरी तरफ बामपंथी अधिनायकवाद की शक्तियां बढ़ रही हैं। बीच में वह लोग घुल रहे हैं, पिस रहे हैं जो लोग कि प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले हैं। क्या इस बात पर कभी विचार किया गया ? मैं समझता हूं कि इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। और अगर इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है तो इस तरफ के बैठने वाले हम लोग इस पर विचार करके कुछ अधिक परिणाम नहीं निकाल सकते। इसका परिणाम अगर कोई निकाल सकता है तो जिसके हाथ में शक्ति हो, जो शक्ति को प्रदर्शित करने के लिये उत्सर्ग भी कर सकता हो, त्याग भी कर सकता हो राष्ट्र और मुल्क के नाम पर, वही निकाल सकता है। हमने भी उत्सर्ग किया है और उसके लिये हमको कहा जा सकता है। इस सदन में बैठकर श्रीमन्, जो जितना ही संयमवान और शालीन रहा वह उतना ही नीचे गिरा है। तो संयमवान और शालीन बनाने की जिम्मेदारी किस पर है, ताकि सदन के भीतर और इसके बाहर काम ठीक प्रकार से चल सके ? मैं इस बात को बहुत चिन्ता के साथ व्यक्त करना चाहता हूं। भावुकता के साथ नहीं, बहुत सोच विचार कर यह बात व्यक्त कर रहा हूं।

श्रीमन्, एक दो बात और---आज प्रेरणा क्या है ? आशा की दृष्टि किसकी तरफ ले जायं ? कभी प्रेरणा थी आजादी की, हम स्वाधीनता चाहते थे। आज हर तरफ से यह आवाज निकलती है कि आर्थिक स्वाधीनता हमारी प्रेरणा होनी चाहिये। सामाजिक स्तर हमारा समान हो, यह प्रेरणा होनी चाहिये, लेकिन क्या इस उत्तर प्रदेश में जो हम सारी जिम्मेदारी ले कर बैठे हुये हैं, हमने इस पर कभी सोचा ? इस बजट को पेश करने में रत्ती भर भी क्या इस बात का ध्यान रखा गया कि पिछले वर्षों में जो वर्ग निरन्तर पिछड़ता जा रहा है वह किस प्रकार ऊंचा उठाया जा सकता है ? लकीर पीट रहे हैं प्लानिंग की। एक योजना बना ली और उसी को हम पीटते जा रहे हैं और वह निरन्तर फेल होती जा रही है। अगर कहें कि फेल नहीं हो रहे हैं तो उत्तर दीजिये कि क्या योजना सफल

हुई है ? क्या योजना इसी प्रकार सफल हो रही है कि इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी बढ़ती जा रही है ? लक्ष्य से आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन गरीबी और अमीरी का भेद बढ़ता जा रहा है। सारे देश के निम्न श्रेणी के आदमियों की आमदनी घटती जा रही है और योजना सफल हो रही है, यह क्या है ? मैं अपने मन से यह चीजें नहीं रख रहा हूं। मैं इस तरफ और उस तरफ बैठने वाले सभी साथियों के सामने यह बात रखना चाहता हूं। पिछले १५ सालों में हमारा उत्तर प्रदेश कहां गया है और कहां जा रहा है। तृतीय योजना की जो रूपरेखा है उसके पूरे होने पर हम कहां जायेंगे। क्या भारत में हमारा प्रदेश बंबई, पश्चिमी बंगाल अथवा पंजाब के मुकाबले में पहुंच पायेगा ? कितना आगे जा रहे हैं इस पर हमें विचार करना चाहिये। इस तरफ के लोगों को विचार करना चाहिये या उस तरफ के लोगों को विचार करना चाहिये ? मैं समझता हूं कि आप के हाथ में शक्ति है आपको इस पर विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं कि निरन्तर इस तरह के काम करके हम प्रेरणा का स्रोत बन्द कर रहे हैं। अगर आर्थिक क्षेत्र में समानता की जो प्रेरणा है वह मर रही है, मरझा रही है, तो किस तरफ लोगों का ध्यान जायगा। फिर क्यों न ध्यान दिया जाय जाति-बिरादरी की तरफ ? फिर क्यों न ध्यान दिया जाय साम्प्रदायिकता की तरफ ? हमें देखना है कि हम आर्थिक क्षेत्र में कर क्या रहे हैं ? हम आज हर पढ़े-लिखे व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हारा काम राजनीति से विरत रहने का है, उससे अलग रहने का है। मगर अगर वह उससे अलग होता है तो राजनीति की तरफ फिर कौन देखेगा ? कौन फिर इस आर्थिक क्षेत्र को सम्भालेगा ? उन बातों की ओर ध्यान दिलाते हुये मैं यह कहना चाहता हूं कि जमीन जोतने वाले उन किसानों की ओर, कारखानों में काम करने वाले उन मजदूरों की ओर तथा मध्यम वर्ग के लोगों की ओर हमारा ध्यान नहीं गया है और अगर गया है तो फिर उनका निरन्तर ह्रास क्यों हो रहा है ? उनके निरन्तर ह्रास को देखते हुये यह मानना पड़ेगा कि उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया है। सरकार उस ओर निरन्तर ध्यान भी दे रही है और उनका निरन्तर ह्रास भी हो रहा है, ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। इन पर हमें ठंडे दिल से विचार करना होगा।

मैंने इस बजट भाषण में देखा कि उसमें लिखा है कि हमारी रेवेन्यू रिसीट में कमी होगी खासतौर से एक ही मद में ३ करोड़ ८५ लाख की कमी हो जायेगी। ऐसा क्यों है ? क्या उसका कोई संकेत उसमें है कि वह कमी क्यों होगी ? कमी इसलिये होगी कि काश्तकारों का गन्ना जमीन पर ही छोड़ दिया जायेगा बिना पेरा हुआ। वह सब बरबाद हो जायेगा। इससे ३ करोड़ ८५ लाख का घाटा तो सरकार को होगा मगर कभी इस बात की भी क्या कल्पना की गयी कि जिसको २६ आने मन मिलता है उसको उससे कितना घाटा होगा ? उससे काश्तकार को कितना घाटा होगा ? जब ३ आने मन से सरकार को ३ करोड़ ८५ लाख का घाटा होगा तो फिर २६ आने मन के हिसाब से लाखों किसानों को कितना घाटा होगा ? हमारे हाथ में तो ताकत है नहीं, केवल जबान है, उससे हम कह ही सकते हैं, आर्जू ही कर सकते हैं, आपको समझा ही सकते हैं। मैंने तो जो १०–१२ वर्ष में देखा है और सीखा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि आपका ध्यान उस ओर गया ही नहीं है।

एक उदाहरण और सुन लें। मैं इस सदन से कहना चाहता हूं कि जहां पर लोगों के खाने तक का ठिकाना नहीं है वहां पर टेस्ट वर्क्स खोले जाते हैं और होता क्या है, वहां पर मजदूरों को ४–४ सप्ताह तक मजदूरी नहीं दी जाती। अब सोचिये कि उस आदमी की हालत क्या होगी जिसके यहां खाने तक को नहीं है और चार-चार सप्ताह तक उसको मजदूरी न मिले। मैं सच कहना चाहता हूं कि मैं चन्द्रदेव तिवारी के गांव में गया जहां पर कि बच्चे, बूढ़े तथा जवान सब मिलाकर करीब ६ हजार लोग काम करते हैं। वहां जाकर मैंने उन लोगों से बातचीत की और उनकी दशा को देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि अब हमारे पास खाने को तो कुछ है नहीं, बस अब आपको देखा करें और आपको चाट कर पेट भर लिया करें। मैंने उनसे क्षमा मांगी और यह कहा कि भाई, मुझ से जो कुछ बन पड़ेगा वह मैं करूंगा। उन बेचारों को ६ आने रोज मजदूरी दी जाती है और वह भी ४-४ सप्ताह तक मिलती

[श्री गेंदासिंह]

नहीं। कभी-कभी तो उन लोगों को मूर्छा तक आ जाती है और बेचारों को काम करना पड़ता है। सरकार चन्द्रदेव जी से ही पूछे, मैं कोई दोषारोपण नहीं करता। मैं यह कह रहा हूं कि आज अगर ४ हफ्ते की मजदूरी गेंदा सिंह जी की बन्द हो जाय या ४ हफ्ते का टी० ए०, डी० ए० माननीय वित्त मंत्री का बन्द हो जाय तो कैसे काम चलेगा? किसी की हिम्मत है सेक्रेटेरियट में ऐसा करने की? माननीय राजनारायण जी चाहे जिन शब्दों में कहना चाहें उन पूर्वी लोगों की बात, लेकिन आज वह आंख से ओझल है। अगर ऐसे हालात में कोई सरकार अपनी कुर्सी पर इतनी निश्चिन्त होकर बैठी हो तो उसका क्या होगा? जनता का कोई दोष नहीं है, जनता ने आपको ताकत दी है। मैं चुनाव के झगड़ों में नहीं जाता कि किस तरह से लोग चुनाव जीत कर आते हैं। माननीय वित्त मंत्री उस दिन चर्चा कर रहे थे, मुझे सुनकर आश्चर्य हुआ कि गुंडों और बदमाशों ने यह किया और किस तरह से चुनाव में झगड़े किये और उसकी वजह से क्या परिणाम हुआ। यह एक जगह की बात है, माननीय वित्त मंत्री जी के क्षेत्र की बात है, लेकिन वह ध्यान में रखें कि सारे देश के चुनाव को भी एक मर्तबा उनको अपने ध्यान में रखना चाहिये। अगर आप देश को सही मार्ग देना चाहते हैं तो पिछड़े हुए लोगों और पसीने से कमाई करने वालों की ओर अगर आपका ध्यान नहीं गया तो यह सारा काम आपका विफल होगा। जनता उनको ही नहीं हमको, दोनों तरफ बैठने वालों को दोष देगी।

मुझे अफसोस है कि आप जैसे लोग, हमारे माननीय अध्यक्ष इस सदन में न आ सके, लेकिन आप पब्लिक लाइफ देखें कि उत्तर प्रदेश का नकशा क्या बन रहा है। हम टेक्निकल उन्नति में, उद्योग में, इलेक्ट्रिसिटी में, शिक्षा में, खेती के उत्पादन में, हर चीज के उत्पादन में पीछे जा रहे हैं। इस मुल्क का क्या होगा? हम भले ही अपने हाथ से अपनी पीठ ठोक लें, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी हमको लायकमन्द नहीं मानेगी। मैं वार्निंग के तौर पर कहना चाहता हूं कि अपर प्राइमरी के बच्चों के हाथ में झंडों को देकर के किसी उम्मीदवार को गाली दिलाना इससे क्या अगली पीढ़ी हमारी बनने जा रही है? मैं इसकी जांच जरूर चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने कहा कि अध्यापकों ने झंडे पकड़ा करके उनको गाली देने की शिक्षा दी। क्या वह बच्चे कल कुर्सी पर बैठ करके हरूफ पढ़ेंगे जिनको उन्होंने पढ़ाया है कि गालियां देंगे, फलां को कहो कि मर गये। मैं उन शब्दों का यहां उच्चारण नहीं कर सकता जिनका उच्चारण करवाया गया। तो ठंडे दिल से विचार करना चाहिये। पावर में कोई आवेगा, लेकिन मुल्क को जीना है तो पावर से अपने को विरत करने की बात सोचनी चाहिये। वह बात इधर नहीं आती, पावर से विरक्ति की बात उस तरफ आती है। वह इसका जवाब देना चाहें तो दें, लेकिन इतना जरूर बताना चाहता हूं इस पवित्र मौके पर, मालूम नहीं, कितने साथियों से भेंट नहीं हो पायेगी, मैं नहीं जानता हूं कि पब्लिक लाइफ से कोई आदमी चुनाव में हारने से चला जाता है, लेकिन अगर मुल्क को बनाना है तो बहुत ठंडे होकर इन बातों पर विचार करना चाहिये और प्रेरणा मुल्क के सामने होनी चाहिये, जिससे मुल्क की जनता उसके साथ आगे बढ़ सके और उसके साथ हम लोग भी जा सकें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस लेखानुदान के संबंध में एक श्वेतपत्र मिला है, उसके बारहवें पेज में हम यह भी देखते हैं कि सन् १९६२-६३ के बजट के तखमीने १७७.२० करोड़ हैं और खर्चे १८८.१० करोड़, इस तरह से करीब ११ करोड़ का डेफिसिट दिखलाया गया है। अभी मैंने और श्रीमन् ने भी देखा होगा और आदरणीय सदन के सदस्यों ने भी कि केन्द्रीय सरकार का एक ऐसा डायरेक्टिव आया है कि इस तरह के डेफिसिट दिखलाने की जो परम्परा चल पड़ी है वह अच्छी नहीं है। अच्छा हो कि वास्तविक बजट ही हम पेश करें। इस श्वेतपत्र में पिछले आंकड़े दिये गये हैं और उनका कम्पेरिजन भी है। हम देखते हैं कि १९६०-६१ में बात वास्तविक आंकड़ों के आधार पर जहां पहले २.३३ करोड़ का घाटा दिखलाया गया था वही बाद में ६.३७ करोड़ की बचत

में परिणत हो गया। आगे चलकर हम देखें तो इस संबंध में एक आश्चर्य की बात यह है कि जो ओरिजिनल बजट १३०.९ करोड़ का आया और १३३.२३ करोड़ का खर्चा आया तो वह बढ़ कर १४८.३५ हो गया और साथ ही खर्चा भी बढ़कर १४४.३१ करोड़ हो गया। गरज यह है कि हमारा बजट झूठा हो गया या गलत आंकड़े पेश हो गये १७.४५ करोड़ के। यानी जिस प्रदेश के बजट में शुरूआत में ही इतनी गलती है कि १७.५ करोड़ के करीब फर्क है तो उसका भगवान ही मालिक है। डेफिसिट बजट दिखला करके साढ़े सत्तरह करोड़ की आमदनी बढ़ाना और उस डेफिसिट के पूरा करने के नाते जनता पर मनमाने टैक्स लगना यह किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता और तमाशा यह है कि डेफिसिट को पूरा करने के नाम पर खर्चा भी ११ करोड़ बढ़ जाता है। आमदनी के साथ खर्चे में इतना इजाफा होना जबकि डेफिसिट बजट है, यह शोभनीय बात नहीं है।

यही नहीं, इतना अधिक टैक्सेशन होने के बावजूद आज प्रदेश के लिये यह ऊंचे खतरे की घंटी है कि जो कर्जे का आंकड़ा दिया गया है उसकी ओर विहंगम दृष्टि डालें तो देखेंगे प्रास कर्जा देखें तो १९६१-६२ में ४५,३६,२०,००० है और १९६२-६३ में बढ़ करके ५३,८४,३५,००० हो गया। यानी ऋण सालाना कितने का है? जितना लोन बाहर से लिया है और जितना लोन किसानों और अन्य लोगों ने लिया है, अगर घटा कर देखें तो आंकड़े बड़े भयंकर प्रतीत होते हैं। मार्च, १९६१ को इस प्रदेश में २,८६,९८,०५,००० के ऋण और मार्च, १९६२ में ३,११,२४,२०,००० के हो गये। वही १९६३ में ३,४९,००,७२,०००रु० हो गया। तो अब हमें देखना है कि १९६१-६२ में हमने जो कर्जा लिया उसमें जो इजाफा हुआ वह २४,२६,१५,००० हुआ। १९६२-६३ में ३७,७६,५२,००० कर्जा और बढ़ गया। तो हम कहां जा रहे हैं? अरबों, खरबों में कर्जा बढ़ता जा रहा है। हर साल ३७ और ३८ करोड़ रुपये कर्जे में इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ डेफिसिट फाइनेंसिंग और फिर उसके बाद सर्प्लस बजट। इस तरह से गरीब जनता पर टैक्सेज बढ़ते चले जा रहे हैं और साथ-साथ कर्जा भी बढ़ता चला जा रहा है। इस तरह से हम सात पुश्तों तक आने वाली औलाद को गिरवी रख रहे हैं, अगर मैं इन शब्दों को कहूं तो अतिशयोक्ति न होगी। तो मैं सावधान करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी धनराशि को Cautionsly handle करना चाहिये। जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी और राजनारायण जी ने कहा कि बड़ी अनियमिततायें हुईं, वह क्यों न हों, जिसके हाथ में निरन्तर इतनी बड़ी धनराशि रहे वह क्या नहीं कर सकता?

कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय।
वा खाये बौरात है वा पाये बौराय॥

रुपया ऐसी बुरी चीज है कि यह ज्यादा दिन किसी के पास रहे तो अच्छे खासे आदमी का दिमाग भी फिर जाता है। नीति का वचन है कि अपने को दुरुस्त करने के लिये और स्वच्छ रखने के लिये कुछ दिन देश के हित में और सरकार के हित में यह था कि वह खुद ही अलग हो जाते जैसा कि गेंदासिंह जी ने कहा। लेकिन यह कुर्सी का मद है। शायद हमारी पार्टी भी अगर वहां बैठ जाय तो उसको भी वही मद हो जाय लेकिन इससे देश का भला नहीं होगा। माननीय वित्त मंत्री की कल वाली बात की मैं बड़ी कद्र करता हूं कि किसी भी देश के लिये यह अच्छा नहीं कि एक ही पार्टी के हाथ में शासन रहे क्योंकि काफी दिनों तक पदासीन रहने से उसमें खराबियां आ जाती हैं।

Old order changeth yielding place to new
And God fulfils in many ways. Least one good custom should corrupt the world.

टेनिसन के शब्दों में परिवर्तन का होना अनिवार्य है। पानी की जब एक ही जगह बनी रहती है तो वह सड़ने लगता है, लेकिन जब वह बहता रहता है तो उसमें ताजगी रहती है, जिन्दगी देने की शक्ति आ जाती है। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुये, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि चुनाव में क्या-क्या अंधेर हुआ, जो कुछ भी कहा जाय वह कम है। कितना सरकारी प्रेशर डाला गया, कितना रुपया बांटा गया? मुझे तो इसे जनतंत्र कहने में भी संकोच होता

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

है। इसे यदि धनतन्त्र या शक्तितंत्र या षडयंत्र भी कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी। इस आदरणीय सदन में और लोकसभा के चुनाव में कौन व्यक्ति पराजित हुये? वह व्यक्ति पराजित नहीं हुआ जो जनता का काम नहीं करता था, उसकी हार नहीं हुई जो जनता की ओर पीठ फेरता था चाहे वह कांग्रेस पार्टी का हो या विरोधी पक्ष का। अगर हारे हैं तो अशोक मेहता, डांगे या नेता विरोधी दल। चुन-चुन कर उनको गिराने का प्रयास किया गया जो जनता की आवाज उठाते थे चाहे पैसे के नाते या बल के नाते। इससे आज हमारे जनतन्त्र को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। मुझे डर लगता है कि जिस तरह से आज वर्तमान सरकार चल रही है कहीं या एलेक्शन लास्ट जनरल एलेक्शन न रह जाय। जो नाटक आज जनरल एलेक्शन का रचा गया है जिसमें गुंडों की बन आई है, पैसों की बन आई है और अनियमितताओं की बन आई है कहीं यह अंतिम न रह जाय। पश्चिम की तरफ अयूब और पूरब की तरफ बर्मा में मिलिटरी का शासन कायम हो चुका है। यह सरकार कुर्सी से चिपके रहना चाहती है। जायज और नाजायज हर तरीके अख्तियार करती है, कहीं हमारे यहां के मिलिटरी जनरल्स के दिल में यह अरमान न बढ़ने लगे हों कि दूसरी तरह का शासन होना चाहिये। बड़े दुख की बात है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, केन्द्रीय सरकार में भी कुछ ऐसे वजीर हैं जो आर्मी में इन्डाक्ट्रिनेशन करने की कोशिश करते हैं। जो आर्मी को विशेष पोलीटीकल थाट का बनाना चाहते हैं। तो भगवान ही बचाये। आज उनकी सफलता पर मुझे डर लगता है कि कहीं मिलीटरी कूपन हो जाय और जो आज उनका समर्थन करते हैं वे उनके द्वारा जेल में न डाल दिये जावें।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष (श्री गोविन्दसिंह विष्ट से)—आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मान्यवर, इस श्वेतपत्र में आगामी वित्तीय वर्ष के बारे में जो पहले मेमोरेंडम आते थे वह श्वेतपत्र के रूप में दिया गया है। अगर यह जानकारी पहले ही दे दी गई तो कोई अनियमितता नहीं है। सन् १९६०-६१ में सेल्स टैक्स का जितना हमने तखमीना किया था ओरीजीनल बजट में उससे ज्यादा टैक्सेज वसूल किये गये ४ करोड़ १ लाख। १९६२-६३ में भी जहां डेढ़ करोड़ अधिक वसूल करने की बात थी वहां ३.३ करोड़ ज्यादा वसूल किया गया। उसका रीजन मंत्री जी ने दिया है इवेजन आफ टैक्सों की पकड़ हो सकता है कि कुछ हद तक यह ठीक हो। लेकिन माननीय मंत्रीजी कृपाकर देखें और जांच करें—वह शायद सरकार में रहेंगे नहीं, वह अपने सक्सैसर से कह जावें कि पान और मूंगफली बेचनेवालों को हैरान किया जाता है चाहे इलैक्शन के कारण उन पर टेढ़ी नजर हो भी गई हो।

श्रीमन्, सौभाग्य की बात है कि सरकार ने एक ला कमीशन मुकर्रर किया है। हमारे सेल्स टैक्स कानून में सन् १९४८ के बाद जब यह आया, १६ या १८ संशोधन हुये हैं और पैबन्द पर पैबन्द लगाते रहे हैं। मुझ जैसे नाकिस ने भी कहा था कि यह चीज संविधान के अल्ट्रा वायरस है मगर सरकार ने नहीं माना और हाई कोर्ट के फैसले के बाद मानना पड़ा। ला कमीशन के सामने तो खैर यह जायगा ही, लेकिन प्रायोरिटी इस कानून को देनी चाहिये थी। ला कमीशन रैन्ट कन्ट्रोल के बारे में सोच रहा है। उसमें श्री के० एल० मिश्र जैसे तजुर्बेकार और योग्य व्यक्ति अवश्य हैं मगर देखना यह है कि वे अपनी वकालत से फुरसत पाकर कितना समय दे सकेंगे। उसमें कुछ ऐसे आदमियों को भेजने की आवश्यकता है जो अपना समय देकर ज्यादा काम कर सकें।

एक तरफ तो हमारी कांग्रेस सरकार यह कहते हुये नहीं थकती कि वह इस राज्य में शराब बन्दी करना चाहती है और दूसरी ओर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर आय बढ़ाई जाती है।

१९६०–६१ के ओरीजीनल एस्टीमेट्स से १ करोड़ ९१ लाख का इजाफा हुआ। यह सरकार की नीति की सफलता है या असफलता, इसकी सरकार स्वयं जांच करे। इसी प्रकार १९६१–६२ के रिवाइज्ड ऐस्टीमेट्स में ३ करोड़ ३० लाख का इजाफा हुआ। यानी सरकार शराब-बन्दी कतई नहीं चाहती है। सरकार साफ-साफ क्यों नहीं कहती कि वह गलती से शराब बन्दी की बात कह गई, लेकिन उसे नहीं चाहती है।

श्रीमन्, सरकारी बसों के बारे में इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीयकरण होगा। १९६० के बजट ईयर में ओरीजीनल ऐस्टीमेट्स से ३२ लाख रुपये की कमी हो गई। इसका कारण यह दिया गया कि कुछ रूट्स जो सरकार लेना चाहती थी वे नहीं ले पाई। श्रीमन्, एक कुमायूं मोटर ओनर्स यूनियन है जो उत्तर प्रदेश में शायद सबसे बड़ी कम्पनी है जिसकी बसें अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों में चलती हैं। उसके पास ३००–४०० या इससे भी अधिक गाड़ियां हैं। सरकार ने कुछ नयी सड़कें बनाई, जैसे खैरना, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ वगैरह और यह कहा गया कि उनका राष्ट्रीयकरण होगा। तारीफ की बात है कि सरकारी मोटर तो चलती है उस रूट से जो २६ मील लम्बा है और इस यूनियन की चलती है छोटे रूट से। सन् १९५९ में मेरे प्रश्न के उत्तर में तत्कालीन ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कहा था कि शीघ्र ही उनका राष्ट्रीयकरण हो रहा है। यह अभी तक नहीं हो पाया है। ३ साल पूरे बीत गये। सरकार ने इन सड़कों के बनाने में बहुत रुपया खर्च किया और प्राइवेट बस चल कर उन पर प्राइवेट कम्पनी को फायदा हो रहा है।

इससे प्रकट होता है कि जो सरकार अपने को राष्ट्रीयकरण के पक्ष में कहती है वह केवल शब्दों का जाल ही है। यह क्यों है? चुनाव के जमाने में २,००० पास जारी हुये उस कम्पनी से कांग्रेस वर्कर्स के नाम से, पासों में नाम किसी का नहीं लिखा था, यह नहीं मालूम था कि कौन व्यक्ति कब और कहां उनसे जा सकता है। "वर्कर" शब्द केवल उसमें दिये गये थे। तो ये सब साधन कांग्रेस सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिये, देश का अहित करने के लिये, काम में लाये जाते हैं। हर जगह गवर्नमेंट की प्रापर्टी का दुरुपयोग होता है। स्टार पेपर मिल का जिक्र कई बार यहां आया और सरकार की ओर से कहा गया कि जो लकड़ी इमारती लकड़ी निकाल कर बचती है, गिरी पड़ी होती है, टेढ़ी और बेकार होती है, वह उसे दी जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि आज उल्टा हो रहा है। ७ पैसे फी मन के हिसाब से ऐसी लकड़ी दे दी और आज भी लाखों और करोड़ों मन देने जा रहे हैं जो कि इमारती है और जो १० रुपया फी घन फुट यानी २० रुपया फी मन बिक सकती है। इसका कारण है। मैं फिर अपने उस चार्ज को रिपीट करता हूं कि उस कंपनी के सेठ ने १० लाख रुपया कांग्रेस को चुनाव फंड में दिया। उसी के उपहार स्वरूप उस सेठ को राज्य की यह वन सम्पत्ति दी जा रही है। इस प्रकार से राज्य की सम्पत्तियों का दुरुपयोग किया जाकर चुनाव को जीतने के लिये लोगों से मोटी-मोटी रकमें ली जाती हैं ताकि कांग्रेस सत्ताधारी बनी रहे। भगवान न करे इस प्रकार का कोई प्रीसीडेंस कायम हो और आगे आने वाले उसका अनुकरण करें।

जैसा कि अभी माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि गन्ने के सैस का १९६० में १,१० लाख रुपया कम वसूल किया गया। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम गरीबों के लिये सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कम वसूल करते हैं सेस का रुपया मोटे-मोटे सेठों से। दूसरी तरफ आप देख लीजिये इजाफा होता है रेवेन्यू में। उसमें ७४ लाख रुपया ज्यादा वसूल हुआ है और किसानों से एक एक पाई वसूल की जाती है। उसकी कुर्की की जाती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन मोटे-मोटे सेठों पर लाखों रुपया छोड़ दिया जाता है। उनसे वसूली के लिये न वारंट कुर्की जारी किया जाता है और वारंट गिरफ्तारी। १९६२–६३ के लिये भी सरकार कहती है कि ६२ लाख रुपये का इजाफा भू-राजस्व में हम करके रहेंगे।

अब उद्योगों पर आ जाइये। चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में एक एडीशनल प्लान्ट लगाया गया। कहा गया कि सीमेंट की कमी को वह पूरा करेगा और उससे सीमेंट का भाव गिर जायेगा, लेकिन उसके बाद ही सीमेंट का भाव बढ़ा दिया गया। यह सरकारी फैक्ट्री की एफीशियेंसी

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

है। इस प्रकार से पहले सब्ज बाग दिखाया जाता है और बाद को उसका दाम बढ़ा दिया जाता है। अब आमदनी को देखिये। १९६०-६१ में आमदनी ३२ लाख कम हो गयी। आज फिर हम से कहा जा रहा है कि यह काम हो जाने से हम २२० लाख रुपया अतिरिक्त दे देंगे। लेकिन पहले जब आप वादा खिलाफी करते आये हैं तो आगे क्या वैसा नहीं करेंगे ?

उत्तराखंड के एडमिनिस्ट्रेशन पर २ करोड़ ३ लाख का इजाफा हुआ है। मुझे भी उत्तराखंड में जाने का मौका मिला है, आज हमने वहां देखा कि विकास के नाम पर शराब का विकास हुआ है, सुरापान जरूर बढ़ा है चाहे और विकास हुआ या नहीं। हम ने देखा है कि सरकारी अफसर दिन को वर्किंग आवर्स में अपने पैर ऐसे चलाते हैं लड़खड़ाते हुये यानी मस्ती से झूमते हुये और पूछो कि यह कौन हैं तो पता लगता है कि यह इंजीनियर हैं, यह ओवरसीयर हैं। यह कैसा विकास है ? यह किस चीज का विकास हुआ है ? यह शराब का विकास हुआ है।

दूसरे आपस में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। माननीय नरेन्द्रसिंह जी के क्षेत्र में धारचुला है। वहां पर क्वार्टर्स बनने चाहिये थे पी० डब्लू० डी० के, लेकिन हालत यह है कि एक इलाका हाकिम ने ओवरसीयर की गिरफतारी के लिये वारन्ट निकाल दिया और झगड़ा होने की नौबत आ गई। इस तरह का कोआर्डिनेशन है। तरक्की यह हुई है कि धारचूला सड़क जितनी पहले थी उससे एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी है। यह सड़कें चीन के खतरे के कारण बन रही थीं। चीन ने पेकिंग से लासा व तकजाकोट तक सड़कें बना लीं और अगर अमरीकन पत्रों की बात सही है तो नेहरू जी उन को अक्साइ चीन में बनी सड़क को लीज पर देने तक को तैयार हो गये थे। हमारे यहां उत्तराखंड के विकास के बारे में बड़ा शोर मचा, नये नये एडीशनल कमिश्नर, ३ सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रखे गये, हम समझते थे कि कुछ होगा, लेकिन जो कुछ हुआ वह तो हमारे सामने बल्कि वहां व्यभिचार का अड्डा बन गया है। यह पर तमाम नौसिखिया पहुंचा दिये गये हैं जिन को एस्टीमेट और नक्शे तक बनाना नहीं आता।

उत्तराखंड की सड़कों की हालत यह है कि वहां की जो जरूरी सड़कें हैं उन के बारे में कांग्रेस के और इधर के ४४ सदस्यों ने मिलकर भूतपूर्व और वर्तमान मुख्य मंत्री जी की सेवा में लिखित मेमोरेन्डम दिये कि ये ये सड़कें बनना चाहिये। बाड़ेछीना-बेरीनाग मोटर रोड के बारे में कहा गया, लेकिन वह आजतक न बन सकी और न बनने वाली है। इसे तुरन्त बनाया जाय तथा अल्मोड़ा-पोथार-मोनरोना-पहाड़ पानी मिलाया जाय।

इसके अलावा स्टेट ट्रेडिंग के नाम पर बड़े-बड़े सब्ज बाग दिखाये गये कि इससे यह लाभ होगा वह लाभ होगा, बीसियों फायदे दिखाये गये, लेकिन मैं यह अंग्रेजी में इसके बारे में जो है पृष्ठ १६ पर वह पढ़ देता हूं :—

"For Schemes of State Trading, the original estimate for 1961-62 provided for a gross expenditure of Rs. 18·50 crores with receipts on capital account estimated at Rs. 19·67 crores, indicating a net incoming of Rs. 1·16 crores. In the budget year, however, the estimated expenditure has been taken at Rs. 11.87 crores and the receipts at Rs. 10·58 crores indicating a net expenditure of Rs. 1·29 crores."

यानी हमको बड़ा सब्ज बाग दिखाया कि जनता की बड़ी सेवा हो रही है, बड़ा फायदा हो रहा है और बताया गया था कि खजाने में १ करोड़ १६ लाख का लाभ होगा, लेकिन १ करोड़ २९ लाख का नुकसान हो गया। यह स्टेट ट्रेडिंग का नकशा है। वह कहते हैं कि चूहे खा गये वह बात बनाने में एक्सपर्ट हैं कि चूहे बहुत हो गये वह कहां हो गये, उनके पकड़ने का क्या इंतजाम है ? वह इसमें कमजोर हैं क्योंकि उनमें से जो पकड़ने वाले हैं उनमें भी खुद चूहे विराजमान हैं।

अन्त में मैं इतना और कहूंगा कि आज प्रशासन में ढिलाई है क्योंकि जब सरकार की मशीनरी का इस्तेमाल इसमें हो कि कोई दल विशेष हमेशा के लिये गद्दी पर बना रहे। तो ऐसे अफसर जिनका प्रयोग इस तरह किया जाय वह कब सरकार का कहना मानेंगे ? यहां तक धौंस दी गई है। सेक्रेटेरियट वालों तक को आदेश दिया गया कि अगर कांग्रेस के चुनाव निशान पर मोहर नहीं लगायी तो हमारे पास नम्बर नोटेड हैं उनको हम टैली कर लेंगे और तुम पकड़ में आ जाओगे। आज उनको अपने वोट की स्वतंत्रता नहीं है। जैसा गेंदा सिंह जी ने कहा वह सही है कि अंतरिम जिला परिषद के नाम पर एक नई कांग्रेस कमेटी बनाने का जो ढोंग रचा गया है उसके द्वारा जो नहीं हुआ वह कम है। अगर अध्यापक कांग्रेस का काम नहीं करेंगे तो निकाल दिये जायेंगे। इसका नतीजा यही है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापक तथा बच्चे कांग्रेस के प्रचार का काम करते हैं। अगर यही हाल रहा तो जनतंत्र खतरे में है। अतः मैं माननीय शान्ति प्रपन्न जी से कहूंगा कि अपने नाम को सार्थक बनाने के लिये, इस देश के कल्याण के लिये कम से कम यह प्रथा एकदम खत्म कीजिये। जो प्रथा आज आपने डाली है इससे सरकारी कर्मचारियों का नाजायज इस्तेमाल होगा, धन का दुरुपयोग होगा चुनाव के लिये। यह प्रथा बढ़ती जा रही है, कोई अपवाद नहीं है। अगर उनकी हिम्मत है तो मैं सरकार को चुनौती देता हूं इलेक्शन पेटीशन लड़ना हर एक के बस की बात नहीं है क्योंकि उसमें बीसों झंझट हैं, किसके पास इतना रुपया और साधन है जो सरकार की मशीनरी के खिलाफ लड़ सके। लेकिन मैं कहूंगा कि एक आयोग रिटायर्ड जजेज का सरकार नियुक्त करे जो चुनाव में हुई धांधलियों की जांच करे कि कहां कहां अनियमिततायें हुईं और उस पर अपनी रिपोर्ट दे। मैं जानता हूं इतनी हिम्मत उधर के बैठने वालों में नहीं है। इसलिये मैं कहूंगा कि अगर सरकार जनतंत्र को बचाना चाहती है तो अपना रवैया बदले तभी जनकल्याण हो सकता है। वरना जो हालत आज है उससे देश रसातल को जा रहा है और शीघ्र ही यहां डिक्टेटरशिप कायम होने का खतरा पैदा हो गया है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—उपाध्यक्ष महोदय, पैसे का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है इसके बारे में मैं आपसे क्या कहूं। अभी जैसा गोविन्दसिंह बिष्ट जी ने कहा और वित्त मंत्री का जो मेमोरेन्डम है उसकी अनुदान संख्या २० देखें, इसके पहले भी मैंने उस दिन कहा था कि तीन कालेजेज को, मेरठ कालेज, बी० आर० कालेज और आगरा कालेज को तीन लाख रुपया दिया जा रहा है इसलिये कि कालेज के लोगों ने अपने यहां घाटा बताया है कि हमारे यहां इतना घाटा हो रहा है। इसके लिये सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी जिसने अच्छी तरह से मसले की जानकारी तथा जांच करके रिपोर्ट भी दी है कि यहां के प्रबन्धकर्त्ताओं की वजह से यह गड़बड़ी हुई है। लेकिन इसके बाद भी प्रबन्धकों के लिखने से, और मैं तो यहां तक कहूंगा जैसा लांछन लगाया जाता है, हो सकता है कालेजों के प्रबन्धकों ने कांग्रेस का साथ दिया हो चनाव में और उनके लिखने से, कमेटी की राय के बाद भी, सरकार ने रुपया देना उचित समझा हो और प्रबन्धकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और उनके कहने से आज तीन लाख रुपया इस सप्लीमेंटरी बजट के द्वारा इन कालेजों को दिया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि यह रुपया जो अपनी सरकार को दिया जा रहा है वह भ्रष्टाचारी लोगों को देकर आप जनता के पैसे के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी इस पर गम्भीरता से विचार करें क्योंकि पैसे का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग इसका नहीं होना चाहिये, क्योंकि यह जनता का पैसा है किसी के घर का पैसा नहीं है।

दूसरा सवाल, हमारे सूबे की शिक्षा की हालत के बारे में है। आप लम्बी डींग भले ही ही हांक लें। चुनाव के दौरान में आपने सूचना विभाग को खोल दिया और पत्र पत्रिकायें बांटी कि कांग्रेस सरकार ने यह यह किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सारे देश में जहां ६० फीसदी बच्चे पढ़ रहे हैं वहां हमारे सूबे में ४० फीसदी है और जहां पर ४० फीसदी की संख्या न पढ़ने वाले बच्चों की है उसमें २८ फीसदी हमारे सूबे के बच्चों का है। यह बड़ा गम्भीर सवाल है। लड़कियों की शिक्षा का भी हाल यही है। हमारे देश में साढ़े १३ फीसदी लड़कियां शिक्षा पाती हैं वहां हमारे सूबे में साढ़े ३ फीसदी लड़कियां पढ़ने के लिये जाती हैं। माननीय वित्त मंत्री जी इस पर गम्भीरता से विचार करें।

[श्री ऊदल]

आज हम कहां से कहां जा रहे हैं। हमारे सूबे की जो लोगों की आमदनी है चाहे वह किसान हों, मध्यमवर्ग के लोग हों, देहाती जनता की हो हालत यह है कि उनकी आमदनी दिनों दिन गिरती चली जा रही है। इतना ही नहीं हमारी इनकम नेशनल इन्कम में पांच या छः साल पहले से ५ फीसदी ज्यादा थी अब वह १२ फीसदी कम हो गयी है और भय यह है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के पूरा होते होते १६ फीसदी कम हो जायगी। यह सब मसले ऐसे हैं जिन पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है।

चुनाव की बहुत चर्चा है। मुझे बहुत दुख होता है कि जब मैं देखता हूं कि कुछ लोग जो उपदेश तो कुछ देते हैं और काम उसके बिलकुल उल्टा करते हैं। मैंने देखा कि हमारे यहां ५ इंटर कालेजेज हैं, इनमें पढ़ने वाले लड़कों को किस तरह से चुनाव में इस्तेमाल किया गया, किनके स्वागत में वे जाया गया, किनकी सभाओं में ले जाया गया। हमारे प्रधान मंत्री जी १२ फरवरी को बनारस आये थे। सौभाग्य से बनारस का जो हवाई अड्डा है वह मेरे क्षेत्र में पड़ता है। मैंने देखा कि प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को ले जाया गया। जिन स्कूल के मास्टरों ने इन्कार किया उन पर इस कदर दबाव डाला गया कि उनको भला बुरा तक कहा गया और कहा गया कि अगर तुमको आदेश नहीं है तो भी स्कूल बन्द कर दो। एक तरफ तो उपदेश दिया जाता है कि लड़कों को राजनीति में नहीं पड़ना चाहिये और दूसरी ओर चुनाव सभाओं में लड़कों को ले जाया जाय, जुलूस निकलवाये जायं, यह देश के सामने गम्भीर समस्या है। देश को कैसे इस से बचाया जा सकता है, कैसे बच्चों के भविष्य को बनाया जा सकता है इसके ऊपर सभी लोगों को गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। श्रीमन्, इसके अलावा खेतिहर मजदूरों की हालत यह है कि एक जमाने में २५, ३० फीसदी वे, कर्जदार थे लेकिन अब ७०, ७५ फीसदी तक कर्जदार हो गये हैं। आज से कुछ दिन पहले २८० दिन खेतिहर मजदूरों को खेती का काम मिलता था, लेकिन आज हालत यह है कि साल भर में १८० दिन भी मुश्किल से मिल पा रहा है। इन सब गम्भीर सवालों पर, मैं चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्री जी तथा उन की सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री और उनकी सरकार इन सब मसलों पर गौर करेगी।

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय। हर साल एक ही स्पीच हुआ करती थी और इस साल अब तक चार हो गयी हैं।

श्री उग्रसेन—मैं इसका विरोध करता हूं। मुझे भी मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—इसमें कठिनाई यह है कि विनियोग विधेयक पर यह परम्परा रही है कि हर पार्टी के एक सदस्य को मौका दिया जाता रहा है और मैं अगर ज्यादा सदस्यों को मौका दूंगा तो वह परम्परा टूट जायगी। इसलिये मैं उनका प्रश्न स्वीकार करता हूं।

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, इस छोटे से विधेयक पर जितनी बहस हुई उसे सुनने का अवसर मुझे मिला। श्री राजनारायण जी ने यह आशंका प्रकट की कि पहले तो ६९, ७० करोड़ की मांग थी, लेकिन इसमें ८६ करोड़ की आ गयी। तो शायद इसमें भी उन्होंने यह समझा कि कोई धोखे की बात हो गयी है। ऐसी बात नहीं है। वास्तव में

होता यह है कि कुछ ऐसी मद हैं जो भवन के सामने प्रस्तुत की जाती हैं वोट क लिये । और कुछ ऐसे मद हैं जो भवन के सामने वोट के लिये प्रस्तुत नहीं होते, जिनको वोटेड और चार्ज्ड कहते हैं । तो जो वोटेड है वह तो आता था, लेकिन उसको चार्ज्ड एकाउन्ट में मिला कर के ८६ करोड़ हुआ । इसलिये वह एप्रोप्रिऐशन बिल उतने का होगा ।

मैं, श्रीमन्, नहीं समझता था कि इस अवसर पर जो और बहुत सी बातें कही गयीं वह कही जायंगी । इसके पूर्व मने स्वयं स्वीकार किया था कि यह अवसर और यह स्थान उन बातों के लिये शायद नहीं है । इसके पहले भी चुनाव के बाद ही ये बिल्स आते थे और उस समय जो बातें आज कही गयीं वह नहीं कही जाती थीं । लेकिन चंकि वह बातें कही गयीं इसलिये नामुनासिब समझते हुये भी केवल इस कारण कि ऐसा न मान लिया जाय कि उत्तर न देने पर हमने उन आरोपों को स्वीकार कर लिया मैं भवन और आपके सन्मुख कुछ कहना चाहता हूं । बड़ा शोर किया गया इस बात का कि इस दल की ओर से इतनी अनियमिततायें की गयीं, इतना रुपया खर्च किया गया, इतना जोर डाला गया, इतना सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया गया और शायद इसी कारण हम चुनाव में जीत गये । भूल गये आरोपकर्त्ता कि यदि इसी का आश्रय लिया गया होता तो शायद हमारी संख्या पहले से और अधिक हुई होती । यही इस बात का सबूत है कि जिनकी बिना पर मैं यह कह सकता हूं कि जहां तक इधर के लोगों का सम्बन्ध है, अपेक्षाकृत ज्यादा ईमानदारी से काम लिया गया है ।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—पहले जब आप मंत्री थे तो बाराबंकी में एक फार्म बना लिया था, अबकी मंत्री हुये तो दसरी जगह बना लीजियेगा ।

श्री हरगोविन्दसिंह—आपको मेरी निस्बत ज्यादा मालूम है । मैं आपकी निस्बत नहीं जानता । डेमोक्रेसी का यह बड़ा भारी दुरुपयोग है और बड़े नीचे स्तर की बात है जो एक माननीय सदस्य के मुंह से नहीं आनी चाहिये किसी व्यक्ति के बारे में, लेकिन माननीय सदस्य ने कहा । वे इस बारे में जानना चाहें तो मुझसे आकर पूछ सकते हैं । वे शायद अपने ही माप दंड से सब को नापते हैं । इसमें आदमी गलती कर जाता है । मैं तो उनका मापदंड नहीं जानता, उनकी बातों से समझ सकता हूं । इसलिये मैं यह उचित समझता हूं कि उनकी बात का कोई उत्तर न दूं ।

मैं समझता हूं कि किसी देश में जनतंत्र की सफलता के लिये यह आवश्यक होता है कि जहां तक उत्तरदायित्व का सम्बन्ध है, इधर और उधर, दोनों तरफ के बैठने वाले लोग अपने को बराबर उत्तरदायी समझें । जनतंत्र की सफलता अवश्य होगी, लेकिन यहां ठीक इसका उल्टा है । यहां ऐसा मालूम होता है कि अगर हम उस तरफ बैठते हैं तो हम अपना केवल एक कर्त्तव्य समझते हैं और वह क्या है, चाहे किसी भी प्रकार से सम्भव हो, झूंठ कहने में, गलत कहने में, गलत प्रचार करने में, हम तनिक भी हिचक नहीं खाते बशर्ते कि उसका फल यह हो जाय कि सरकार लोगों की नजर में गिर जाय । एक मुल्क जो गरीब है, जो इतने दिनों तक दूसरे देश के द्वारा लूटा गया है, जिसको बनाने की आवश्यकता है, हम आप और सभी लोग परम आवश्यक समझते हैं । उसमें आवश्यकता इस बात की होती है कि लोगों को प्रोत्साहित करें, लोगों में उत्साह दें कि वे किसी तरह से अपने श्रम के द्वारा, अपनी हिम्मत के द्वारा इस मुल्क को धनवान बनाने की कोशिश करें ।

* **श्री मोतीलाल अवस्थी**—श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि विनियोग विधेयक क तृतीय वाचन में यह भाषण दिया जा रहा है क्या यह विषय के अन्दर आता है या विषयान्तर हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—जो भाषण विरोधी दलों के द्वारा दिये गये हैं उनका जवाब दिया जा रहा ह ।

श्री हरगोविन्दसिंह—श्रीमन्, मुझे खुशी हुई कि जो मैं कह रहा था कि उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मिल गया। जब राजनारायण जी बोल रहे थे तो अवस्थी जी बड़े खुश हो रहे थे और उस समय वे समझ रहे थे कि उसका संबंध इस विधेयक से है। मैंने वैसा कहा और मैं समझता हूं और यदि आप आज्ञा दें तो मैं बैठ जाऊं। लेकिन मैंने यह कहा कि अगर सरकार के पक्ष की ओर से कुछ नहीं कहा जायगा तो यह माना जायगा कि सरकार ने आरोपों को मान लिया। इसी से विवश होकर मैं कह रहा हूं।

मैं यह कह रहा था कि जहां लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत होती है वहां हर एक आदमी यह कहता है कि यह मुल्क पीछे जा रहा है, दुखमय होता जा रहा है और कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि हर एक बात के आंकड़े मौजूद रहते हैं। यह मैं मानता हूं कि अन्य प्रदेशों की अपेक्षाकृत हमारा प्रदेश उतना सफल न हुआ हो जितना कि अन्य प्रदेश हुये हैं। लेकिन यह कहना कि दिनों दिन हम गिरते चले जा रहे हैं, हमारी आर्थिक अवस्था खराब होती जा रही है, यह बिलकुल गलत है और मैं माननीय सदस्यों को दावत देता हूं। यह हो सकता है कि प्रदेश के अनेक विभागों में अनेक पहलुओं से देखने पर यह प्रदेश अन्य प्रदेशों से पीछे हो। यदि ऐसा है तो आवश्यकता इस बात की है कि हम और आप मिलकर प्रयत्न करें कि हम भी इतनी उन्नति कर सकें जितनी कि अनेक प्रदेशों ने की है, लेकिन यह मार्ग अपनाना गलत है, यहां भी और बाहर भी लोगों को हतोत्साह करें और यह प्रवृत्ति न पैदा होने दें कि वे यह समझें कि हम अपने श्रम से उन्नति करके इस देश को और प्रदेश को धनवान बनायें।

चुनाव की बात मैं नहीं कहना चाहता हूं इसलिये कि मुझे भी कुछ अनुभव है इतना ही कहना चाहता हूं कि जो प्रवृत्तियां पैदा हो रही हैं, जिन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिल रहा है, यदि वह राजनीतिक दल जो जनतंत्र में विश्वास करते हैं और उसकी सफलता की आकांक्षा करते हैं, अगर वे सब इस बात का सम्मिलित प्रयत्न नहीं करते हैं कि इस मुल्क को, प्रदेश और जनता को उनसे मुक्ति दिलाएं, तो इस देश का भविष्य जरूर अंधकार मय हो जायगा।

इसलिए इस भवन का और समय न लेकर मैं यही कहूंगा कि आइये एक बनते हुये देश में हम सब सम्मिलित प्रयत्न करें जिससे इस देश का भविष्य उज्ज्वल हो और जो स्वप्न हम और आप इस देश के भविष्य का देखते हैं वह सफल हो सके।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३ तथा अनुसूची

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९६२–६३ के लिए ८६,०८,८८,००० रु० का दिया जाना

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो १ अप्रैल, १९६२ को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सिलसिले में करने पड़ें, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से जिन सब का कुल योग ८६,०८,८८,००० रुपये (छियासी करोड़, आठ लाख, अठासी हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिस-जिस धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का

विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये हैं—

अनुसूची

१	२		३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
			रु०	रु०	रु०
१	वृहत जोत-कर	..	५५,०००	१,०००	५६,०००
२	भूराजस्व (मालगुजारी)	..	१,८७,५७,०००	३,०००	१,८७,६०,०००
३	राज्य आबकारी	..	२४,९५,०००	१,०००	२४,९६,०००
५	बिक्री-कर	..	१२,६६,०००	१,०००	१२,६७,०००
६	अन्य कर और शुल्क	..	२,१३,०००	१,०००	२,१४,०००
७	स्टाम्प	..	२,२१,०००	१,०००	२,२२,०००
८	निबन्धन (रजिस्ट्रेशन)	..	४,९६,०००	१,०००	४,९७,०००
९	राज्य विधान मण्डल	..	४९,००,०००	१८,०००	४९,१८,०००
१०	सामान्य प्रशासन	..	५५,३६,०००	३,५२,०००	५८,८८,०००
११	आयुक्त (कमिश्नर) और जिला प्रशासन	..	२,१४,४८,०००	१,०००	२,१४,४९,०००
१२	गांव सभायें और पंचायतें	..	३३,१६,०००	१,०००	३३,१७,०००
१३	न्याय प्रशासन	..	४२,८८,०००	७,७२,०००	५०,६०,०००
१४	कारागार (जेल)	..	६९,७०,०००	२,०००	६९,७२,०००
१५	पुलिस	..	२,९१,४८,०००	१,०००	२,९१,४९,०००
१६	खाद्य तथा रसद तथा अन्य संगठन	..	१६,०२,०००	१६,०००	१६,१८,०००
१७	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप	..	६,८६,०००	१,०००	६,८७,०००
१८	शिक्षा	..	६,३५,८२,०००	१,०००	६,३५,८३,०००
१९	चिकित्सा	..	१,४४,५८,०००	१,०००	१,४४,५९,०००
२०	जन-स्वास्थ्य	..	१,५०,३३,०००	१,०००	१,५०,३४,०००
२१	कृषि संबंधी विकास	..	१,३६,५७,०००	१८,०००	१,३६,७५,०००
२२	उपनिवेशन	..	२,३९,०००	१,०००	२,४०,०००
२३	पशुपालन	..	६८,१६,०००	१,०००	६८,१७,०००
२४	सहकारिता	..	६५,१४,०००	१,०००	६५,१५,०००
२५	उद्योग	..	२,३१,७८,०००	१,०००	२,३१,७९,०००
२६	नियोजन और एकीकरण (Planning and Co-ordinaiton)		३,१८,९१,०००	१,०००	३,१८,९२,०००
२७	श्रम तथा सेवा-योजन	..	३९,५०,०००	१,०००	३९,५१,०००
२८	सूचना निदेशालय	..	१३,१७,०००	१,०००	१३,७२,०००

१	२		३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
			रु०	रु०	रु०
२९	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां	..	७६,२६,०००	१,०००	७६,२७,०००
३०	समाज कल्याण	..	१४,५८,०००	१,०००	१४,५९,०००
३१	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य	..	२,३६,६३,०००	१,०००	२,२६,६४,०००
३२	सिंचाई अधिष्ठान	..	१,६१ ७१,०००	१,०००	१,६१,७२,०००
३३	अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें	..	१५,२७,०००	..	१५,२७,०००
३४	विद्युत् योजनायें (अधिष्ठान छोड़कर)	..	५८,२२,०००	..	५८,२२,०००
३५	विद्युत योजनायें अधिष्ठान	..	११,८६,०००	१,०००	११,८७,०००
३६	सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	..	१,८९,४५,०००	८५,०००	१,९०,३०,०००
३७	संचार-साधनों का सुधार	..	३८,६२,०००	..	३८,६२,०००
३८	सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान	..	३१,१८,०००	१,०००	३१,१९,०००
३९	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (Grants-in-aid of public Works)	..	२६,९९,०००	..	२६,९९,०००
४०	परिवहन	..	४,५६,९८,०००	२१,०००	४,५७,१९,०००
४१	दुर्भिक्ष सहायता	..	१२,६९,०००	१३,७५,०००	२६,४४,०००
४२	अधिवर्ष भत्ते (Superannuation allowances) तथा निवृत्ति वेतन (पेंशनें)		६७,२४,०००	१,००,०००	६८,२४,०००
४३	राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते	..	५,६४,०००	..	५,६४,०००
४४	लेखन-सामग्री और मुद्रण (Stationery and Printing)	..	४३,१३,०००	१,०००	४३,१४,०००
४५	वन	..	९७,१३,०००	१,०००	९७,१४,०००
४६	प्रकीर्ण व्यय	..	१,६५,३२,०००	२,०००	१,६५,३४,०००

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
	*ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज ..	..	३,४७,८६,०००	३,४७,८६,०००
	*ऋण कम करना अथवा उसका परिहार ..	..	१३,३१,७१,०००	१३,३१,७१,०००
४७	कृषि योजनाओं पर पूंजीगत लागत ..	२,५६,१०,०००	१,०००	२,५६,११,०००
४८	औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत ..	१,०२,५९,०००	१,०००	१,०२,६०,०००
४९	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत ..	३,९९,३२,०००	..	३,९९,३२,०००
५०	विद्युत् योजनाओं पर पूंजीगत लागत ..	७९,२१,०००	..	७९,२१,०००
५१	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों (Public Works) पर पूंजीगत लागत ..	४,३६,०४,०००	१३,०००	४,३६,१७,०००
५२	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत ..	१,३२,५८,०००	३८,०००	१,३२,९६,०००
५३	वनों पर पूंजीगत लागत ..	५,१२,०००	..	५,१२,०००
५४	निवृत्ति वेतनों (पेंशनों) की संराशि (Commuted Value of Pensions) ..	१,७५,०००	९,०००	१,८४,०००
५५	राज्य व्यापार (State Trading) की योजनायें ..	२,९६,८४,०००	१,०००	२,९६,८५,०००
५६	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (Loans and Advances Bearing Interest) ..	५,७१,४५,०००	..	५,७१,४५,०००
	योग ..	६९,००,७६,०००	१७,०८,१२,०००	८६,०८,८८,०००

*प्रभृत विनियोग ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रस्तावना, शीर्षक तथा खण्ड १

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६२

१ अप्रैल, १९६२ को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

अतएव भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त शीर्षनाम

१---यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में---५३,

विपक्ष में---१६ ।)

श्री हरगोविन्दसिंह---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६२ पारित किया जाय ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---थोड़ा समय लीजियेगा ।

श्री उग्रसेन---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर माननीय मंत्री जी का एक लच्छेदार भाषण भी हो गया, जैसा कि हमारे नेता राजनारायण जी ने अभी सदन में कहा था माननीय वित्त मंत्री द्वारा तो यह बजट पेश ही नहीं होना चाहिये था, मैं फिर उसे दोहरा देना चाहता हूं और इस अवसर पर मुझे रामप्रसाद बिस्मिल की एक लाइन याद आ गई, उसे आपको सुना देना चाहता हूं---

वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां,
हम अभी से क्या बतायें क्या हमारे दिल में है ।

तो माननीय मंत्री जी, आप इस पर न जायं कि आपकी सरकार पुनः आ गई । आगे क्या होगा यह हमने सुनाया है और मैंने मार्क्स को पढ़ा है जिसने समाजवाद की पहली कड़ी लिखी है । उसने ऐंजिल्स को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें लिखा था--

"Everything pawnable has been pawned. No Sauce for three days. Children dying out of stravation. Please help."

यानी जितना गिरवी रखने का सामान था वह सब गिरवी रख दिया गया, खाने का कोई ठिकाना नहीं है । बच्चे भूख से मर रहे हैं । तो इस चुनाव में जो हम लोगों पर बीती उसके लिये आपको मैं सोशलिस्ट पार्टी की ओर से बधाई देता हूं। आप बधाई के पात्र हैं और मैं आपको दावत देता हूं हुजूर रखला कि ऐसे ही डंडे तुम हमारे सिर पर मारते रहो । इससे समाजवाद जो अभी ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रहा है वह तह तक पहुंच जायगा और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को खास तौर से बधाई दूंगा कि अन्तरिम जिला परिषदें जो उन्होंने बना दीं, उसके अध्यक्ष अपने पाकेट में स्कूल लेकर चलते थे । देवरिया के गांव-गांव के स्कूलों का यही हाल रहा । तभी तो

समाजवाद उठेगा और उठकर रहेगा। मैं कहना चाहता हूं कि १९६३ और १९६४ आते-आते प्रदेश की जनता को महसूस हो जायगा कि दूसरी योजना इनकी फेल हो गई। उस समय बेकारी और भुखमरी बढ़ेगी, और क्या क्या होगा, यह माननीय मुख्य मंत्री जी रहेंगे तो उसका जवाब देंगे। हम तो अपनी हैसियत जानते हैं---न फातिहा पढ़ा गया, न लाश ही दफन हुई। न कब्र पर दिये जले, न शायरी कफन हुई। हां, लोग कहते थे एक शायर था दुनियां में आया। तो मैं तो समझता हूं कि मरने के बाद हमारे जैसे सोशलिस्ट को कफन नहीं मिलने वाला है।

आपकी वित्तीय नीति कहां रह गई? वह या तो उन्हीं विकास के अंचलों में रह गई है या जौनपुर जिले के माननीय वित्त मंत्री के क्षेत्र में रह गई है। आंध्र या किसी और जगह के दो मंत्री हारे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन हमको डर लग रहा है कि कहीं उस सदन में ये फिर न आ जायं क्योंकि चौड़े दरवाजे से पीछे का दरवाजा कहीं ज्यादा खतरनाक है।

श्री उपाध्यक्ष---व्यक्तिगत बातें आप न करें।

श्री उग्रसेन---इसलिये मैं इन शब्दों के साथ इसका घनघोर विरोध करता हूं। जो यह रुपया दिया जा रहा है यह बिलकुल नहीं दिया जाना चाहिये। सोशलिस्ट पार्टी के पास जितनी ताकत है, अपनी वाणी से, अपनी पूरी ताकत से हम इसका घनघोर विरोध करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री टीकाराम पुजारी से) आप दो तीन मिनट ले लें।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---दस मिनट कम से कम आज तो दे दें। किसी को बुरा भला तो मैं कहता ही नहीं, मैं तो सच्ची बात कहा करता हूं। प्रजातंत्र जो होता है प्रजातंत्र का मतलब दूसरा होता है। यहां तो दूसरा तंत्र है। यहां नेता तंत्र तो खत्म हो गया श्रीमन्, जो मैं कहा करता था। कहां हैं वे नेता क्या हो गया आज उनको?

रंके करोति राजानाम् राजानाम रंकमेवश्च।
धनीनाम् निर्धनम् चैव, निर्धनम धनीनम् विधेयं ॥

ईश्वर एक ऐसी चीज है कि वह जो करता है सही होता है सब लोग कहते हैं समाजवाद समाजवाद। समाजवाद तो हमारे कांग्रेसी भी कह रहे हैं, प्रजा सोशलिस्ट भी कह रहे हैं, सोशलिस्ट भी कह रहे हैं और कम्युनिस्टों की तो मां है समाजवाद। कम्युनिस्ट तो समाजवादी को पैदा ही करते हैं। लेकिन समाजवादियों के ४ नम्बर हैं पहला नम्बर, दूसरा नम्बर, तीसरा नम्बर, चौथा नम्बर समाजवाद तो एक होता है, यह तो आपको पता है। लेकिन यहां प्रजातंत्र है कहां, प्रजातंत्र तो यहां है ही नहीं। प्रजातंत्र दूसरी चीज होती है। प्रजातंत्र में एक विरोधी पार्टी होती है। पार्टियां नहीं होतीहैं। यहां पर बहुत सी पार्टियां हैं। जो शासनकर्ता होता है वह उस विरोधी पार्टी के नेता की इतनी इज्जत करता है जो कि अपने राष्ट्रपति की होती है। जो विरोधी दल का नेता होता है उसकी बहुत इज्जत की जाती है। जो विरोधी दल का नेता भी उसको कहते हैं जो विरोधी पार्टी का नेता होता है। जो सदन का नेता होता है वह उसकी बहुत इज्जत करता है। पं० जवाहरलाल कहते हैं कि जनता जनार्दन है। मैं कहता हूं कि यहां पार्टियां जनार्दन हैं। यही इस सरकार को जिंदा रखती हैं। मैं यह निवेदन करता हूं कि ३४ फीसदी जनता का ही समर्थन जिस सरकार को मिलता हो वह सरकार जनता की नहीं हो सकती। यह बड़े शर्म की बात है कि वह सरकार अपना इस्तीफा नहीं देती। इसलिये जनता जनार्दन नहीं हैं बल्कि यह पार्टियां ही जनार्दन हैं जो इस सरकार को जिन्दा रखती हैं। अब हमारी जनता उस लाइन पर आ गई है और जनता समझ गई है। वह अब किसी के चक्कर में आने वाली नहीं है। थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे कि ऐसी हालत ही यदि शासनकर्ता और विरोधी पार्टियों के बीच रही तो जनता शासन को सम्भाल लेगी। विरोधियों को और शासन कर्ताओं को अलग कर देगी। उस प्रगति को हम किसी तरह से भी रोक नहीं सकेंगे। जनता

[श्री टीकाराम पुजारी]

ही सारी चीजों की स्वामी हो जायगी । यह अब जनता के समझ में आ गया है । जनता जान गई है कि अब:—

सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा ।
हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा ।।
गुरबत में हों अगर हम रहता है दिल वतन में ।
समझो जहां पर हमको दिल हो जहां हमारा ।।
यह प्रावरोद गंगा वह दिन है याद तुमको ।
उतरा तेरे किनारे वह कारवां हमारा ।।
यूनान मिश्र रोमां सब मिट गये जहां से ।
अब भी अगर है बाकी तो नामो निशां हमारा ।।
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं मिटाये ।
सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा ।।

किसान मजदूर आज सब कहते हैं कि यह सरकार निकम्मी है और मैं कहता हूं कि जो खिलाफ पार्टी हैं वह उनसे भी ज्यादा निकम्मी बन गई हैं । यदि वे सच्ची होतीं तो आज प्रजातंत्र सच्चा होता । नेता नेता और पार्टी पार्टी सब अलग हैं । हमारे देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसका प्रभाव सरकार पर पड़ता हो । ये सब अद्धा पीने वाले हैं । तो उनका प्रभाव फिर कैसे पड़ सकता है ? वे अगर पूरी बोतल पीने वाले हैं तो ये अद्धा पीने वाले हैं । जब आपके हाथ में अद्धा रहेगा तो फिर उसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है । जब तक सच्चे आदमी विरोध में नहीं होंगे तब तक वे शासनकर्ता नहीं होंगे ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्तुत बजट का विरोध इसलिये करता हूं कि अभी आपके सामने जो एक जनरल चुनाव समाप्त हुआ है उसका चर्चा हुआ । वित्त मंत्री ने कहा अपने भाषण में कि उत्तर प्रदेश पीछे नहीं रह गया है । मुझे जहां तक मालूम है और आपको भी याद होगा कि सम्पूर्णानन्द जी ने एक सम्मेलन बुलाया था संसदीय सदस्यों का और उसमें उन्होंने खुलकर इस बात को स्वीकार किया था कि हमने पिछले १० साल में उत्तर प्रदेश के लिये कुछ नहीं किया है । इससे बढ़कर और दूसरा सबूत नहीं हो सकता जो बिलकुल आपके कागजों में लिखा हुआ है । उसके लिये अब इस तरह से कहना उचित नहीं है । यह सबूत है । उन्होंने यह भी कहा था कि हमने उत्तर प्रदेश के साथ जिस तरह से व्यवहार किया है अगर आगे सचाई के साथ और ईमानदारी के साथ काम नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश इस देश का एक पिछड़ा भाग बनकर रह जायगा । डा० सम्पूर्णानन्द के ये शब्द आज भी रिपोर्ट के अन्दर लिखे हुये हैं । इसलिये मैं कहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ इलाका है । सवाल इस बात का है कि यह सरकार भी चल रही है और मुख्य मंत्री भी चल रहे हैं और सरकार के सारे मंत्री भी चल रहे हैं चाहे व जीत हों या हारे हों । इसी तरीके से नई सरकार बनने वाली है फिर पूरक बजट भी आपके सामने आगया कहने का मतलब यह है कि आखिर जनतंत्र जिन्दा कैसे रहे ? आपके बगल में दो मार्च को बर्मा में सैनिक शासन हो गया । पाकिस्तान पहले से ही सैनिक शासन में है । क्या आप समझते हैं कि हमारा मुल्क इस से बरी रहेगा ? नहीं रह सकता । इस मुल्क में भी कुछ मंत्री हारे हैं, कुछ जीते हैं और संभव है कि इस जनरल चुनाव के बाद कुछ का मस्तिष्क बिखरा हो, लेकिन यह तो कुछ समय बाद ही मालूम हो सकेगा । इस समय लोगों के वोट देने का तरीका क्या है ? उपाध्यक्ष महोदय, अभी उग्रसेन जी न बतलाया कि देवरिया में ३०० अध्यापकों की जगहें हैं और उन्हें लेकर ८,००० नौजवानों को एलेक्शन में प्रचारक बनाया गया । अध्यापक दूसरों के नाम से पढ़ा रहे हैं और वहां के स्कूल पेड़ों के नीचे लग रहे हैं । आम चुनाव समाप्त हुआ है और अब यह

स्कूल भी समाप्त हो जायेंगे। यह प्रलोभन दिया जाता है कि जितने स्कूल खुलेंगे उतना लोगों को काम मिलेगा और लोग उस प्रलोभन में फंस कर वोट देते हैं और वे किन-किन तरीकों से वोट देते हैं यह कहने की बात नहीं है। सरकार भी चल रही है और सरकार बनाने के लिये चुनाव भी हो रहा है, यह कितना बढ़िया जनतंत्र है। गुप्ता जी यहां मौजूद हैं, चुन कर भी आ गये और जवाहर लाल जी ने फरमान भी निकाल दिया कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेसजनों को उन्हें अपना नेता बना देना चाहिये। क्या ऐसे जनतंत्र में जनता को विश्वास होगा? इस प्रदेश में १५ साल कांग्रेस के शासन में क्या हुआ है, वह कहने की बात नहीं है। अभी पुजारी जी ने बहुत सुन्दर बात कही कि सारे विरोधी दल बिखरे हुये हैं और इसीलिये कांग्रेस की हुकूमत बन जाती है और कांग्रेस वाले यह समझते हैं कि हम अच्छे निकले, लोग हमारी हुकूमत पसन्द करते हैं। इसके लिये उन्हें संतोष रहता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर ६७ में विरोधियों की यही हालत रही और सरकार का यही तरीका रहा तो शायद यहां भी कहीं कोई जनरल अयूब न पैदा हो जायं। मैं गरीब हूं और जनतंत्र में विश्वास रखता हूं। जब तक यह गरीब जनता अमीरों को वोट देती रहेगी उस समय तक इस सरकार की विजय होगी, लेकिन जब गरीब जनता गरीब को वोट देगी तो उसी समय जनरल अयूब की तरह का कोई व्यक्ति यहां पैदा हो जायगा और यह जनतंत्र समाप्त हो जायगा।

यह जो बजट हमारे सामने प्रस्तुत है उतना किसी समय पूरे प्रदेश का वर्ष भर का बजट हुआ करता था। कौन सरकार उलट जाती अगर यह बजट पुराने मंत्रिमंडल से न पास कराया जाता। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये था, गवर्नर यहां का शासन चलाता और जब तक चुनाव होते। अभी तो कांग्रेस की सरकार है इसलिये लोग उसके प्रलोभन में फंस कर लोग वोट दे जाते हैं। यह लोगों को भय दिखा कर, गुमराह कर के वोट प्राप्त कर लेते हैं, क्या यह जनतांत्रिक देश में किसी नेता के लिये, पार्टी के लिये उचित बात है? माननीय मंत्री जी ने कहा कि विरोधियों को मिल-जुल कर काम करना चाहिये। मुझे दुख है और मैं सदन के सदस्य की हैसियत से दो बार यह प्रश्न उठा चुका हूं कि इस उत्तर प्रदेश का जो कृषि कानून है उसमें परिवर्तन होना चाहिये। किसानों को समान अधिकार मिलना चाहिये। लेखपालों की जो तलवार किसानों पर लटकी हुई है काबिज लिखने की, उसे समाप्त किया जाना चाहिये। बड़ी कोशिश के बाद इस सरकार ने एक कमेटी बैठाई थी लेकिन संभव है कि इस सरकार के बाद वह भी समाप्त हो जाय और सारा मामला खटाई में पड़ जाय। इसी नीति का सहारा ले कर यह कांग्रेस सरकार चल रही है। जहां तक यह कहा गया कि हम देश को आगे ले जा रहे हैं इसके सम्बन्ध में भी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द कहूंगा। हमारे यहां टेस्ट वर्क चल रहे हैं। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है गरीबों को टैक्स किया जाय। हमारे यहां बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को खाने तक को नहीं है। वहां पर बच्चे, औरतें और मर्द ६ आने, ८ आने और १० आने रोज पर काम करते हैं। यहां पर इसी माननीय सदन के अन्दर एक ऐक्ट पास हुआ था जिसमें यह पास किया गया था कि किसी भी मजदूर की मजदूरी साढ़े ३७ रुपये माहवार से कम नहीं होगी। फिर कैसे यह सरकार अपने को जनता का प्रतिनिधि कहती है जबकि सरकार उन टेस्ट वर्क में काम करने वालों को ६ आने रोज मजदूरी देती है। उन टेस्ट वर्क में काम करने वाले बच्चे जो कि पढ़ लिख-कर इंजीनियर और डाक्टर बन सकते थे, ६ आने रोज पर वहां मजदूरी करते हैं। आखिर क्यों? सरकार ने जब कानून पास किया कि २० आने रोज मजदूरी मिलनी चाहिये तो ऐसा क्यों हैं? वह बात तो दूसरी है कि १० –१० रोज तक मजदूरी नहीं मिलती, लेकिन अगर प्रदेश में ६ आने या १० आने रोज पर आदमी मिलते हैं तो उससे यह स्वयं सिद्ध है कि प्रदेश में गरीबी है और वह आगे नहीं बढ़ा है। उससे यह समझना चाहिये कि हमारा प्रदेश गरीबी के गर्त में गिरता चला जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। वोट मांगते समय मुसलमानों से कहा जाता है कि अगर तुम कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो याद रखो, कांग्रेस ने ही देश का बटवारा किया है, पाकिस्तान बनवाया है, और जब

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

तक कांग्रेस की हुकूमत रहेगी तभी तक पाकिस्तान का बटवारा वैध रहेगा। इस तरह की बातें कही जाती हैं। किसी भी जनतांत्रिक प्रणाली में, मैं इसे उचित नहीं समझता। अगर मुसलमानों के दिमाग में यह भरा गया कि कांग्रेस को वोट देने से ही पाकिस्तान की वैधता कायम रहेगी तो यह उनके लिये भी उचित न होगा। अगर सरकार स्वयं स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ती, अपने-अपने पदों से इस्तीफा देती, और सभी लोग स्वेच्छा से वोट देते, तो मैं समझता कि यह सरकार डेमोक्रेटिक पद्धति में विश्वास रखती है और जो फासिस्ट आज बढ़ रहा है, वह न बढ़ता। इन शब्दों के साथ मैं यह कहूंगा कि जब नयी सरकार बनने वाली है तो वह जनता को धोखा न दे और इसे वापस ले ले।

श्री अब्दुल लतीफ नोमानी (जिला आजमगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं, जो बिल पेश है उसके सिलसिले में कुछ चन्द बातें गुजारिश करना चाहता हूं। मैं यह नहीं समझता कि विरोधी दल के, छोटे बड़े, जितने भी आदमी तकरीर जब करते हैं उस समय वे अपना दिमाग कहां रख आते हैं .....

एक सदस्य---आपके घर।

श्री अब्दुल लतीफ नोमानी---बहरहाल, यह सही है कि यह बजट नहीं है जैसा कि एक माननीय सदस्य ने अपनी तकरीर में फरमाया। इससे पहले जो सदस्य तकरीर कर रहे थे वे इसे बजट करार दे रहे थे जबकि बजट तो नयी असेम्बली के सामने पेश होगा और इस वक्त तो केवल ३ महीनों के खर्चे के लिये मांग है। यह खर्चा मांगना बिल्कुल जरूरी है। अगर यह खर्चा जाने वाली असेम्बली पास न कर दे, उस वक्त तक का जब कि अगली असेम्बली बजट पास कर सकेगी तो बीच में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और दूसरे जरूरी सरकारी कामों में रुकावट आ जायगी। तो यह तो बहुत ही जरूरी खर्चे की मद है जिसको यह असेम्बली पूरा करके जायगी। अगला बजट फिर आयेगा अगली असेम्बली के सामने। उस पर बहस होगी और नये मेम्बरान की राय ली जायगी।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि खर्चे की बात होते-होते मालूम नहीं कैसे लोगों के दिमाग में चुनाव की बात खलबलाने लगती है। इस मौके पर चुनाव का क्या वास्ता है? मैं समझता हूं कि हमारे सामने जो तजवीज है उसको छोड़कर ऐसी बातें कहने लगना जिनका दुनिया में कहीं पता नहीं, जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और मुसलमानों पर यहां धौंस जमाने की कोशिश करना जिस तरह से कि विरोधी पार्टियों ने चुनाव के मैदान में धौंस जमाने की कोशिश की, बिल्कुल नामुनासिब बात है। यह बात अपनी जगह पर एक हकीकत है कि अंग्रेजों ने जाते-जाते हिन्दुस्तान का बटवारा कराया। इस बटवारे में कौन लोग शरीक थे और कौन शरीक नहीं थे या किन लोगों ने बटवारे में मुस्लिम लीग का साथ दिया, मैं समझता हूं यह कोई सियासी प्लेटफार्म नहीं है कि हम उसकी तफसील में जायं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के बटवारे की जिम्मेदारी साम्प्रदायिक पार्टियों पर है, चाहे वह हिन्दुओं की हों या मुसलमानों की हों और वह पार्टियां मुस्लिम लीग है, हिन्दू महासभा है और जनसंघ है जिसने आज नया रूप धारण कर लिया है। आज कोई पागल आदमी भी यह नहीं समझ सकता कि हिन्दुस्तान में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान से हमदर्दी रखते हैं। पाकिस्तान एक हकीकत है, उसका बनना हमें मंजूर रहा हो या न रहा हो और वह हमारे वोट देने से या न देने से दुनिया के नक्शे से मिटने वाला नहीं है और न उसको मिटाने की हम ताकत रखते हैं। आज अखंड भारत का नारा एक खोखला नारा है, हकीकत से परे है। आज मुसलमान कांग्रेस को सिर्फ इसलिये वोट देते हैं क्योंकि वह समझते हैं कि कांग्रेस के जरिये हिन्दुस्तान का मुस्तकबिल रोशन होने वाला है। जो दूसरी विरोधी पार्टियां हैं, चाहे सोशलिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट, जनसंघ या कम्युनिस्ट, इनसे देश मिट तो सकता है लेकिन देश की तरक्की नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूं कि इस मौके पर, यहां इस तरह की बातें

करना जिनका कोई ताल्लुक न हो, सिर्फ अपने दिमाग के हलकेपन का सबूत ही दना है। और ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं समझता हूं इतना ही काफी होगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मान्यवर, माननीय सदस्य ने हमारे ऊपर भी थोड़ी सी कृपा की है....

श्री उपाध्यक्ष—सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर ही आप एक मिनट कुछ कह सकत हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—हमारे माननीय सदस्य, आजमगढ़ ने जो बात कही वह सत्यता से बहुत दूर है। उन्होंने फर्माया कि जनसंघ ने देश के बटवारे में कार्य किया। श्रीमन्, अगर दोपहर में भी कोई कहने लगे कि आधी रात है तो उसका क्या जवाब दिया जाय, उनकी आंखों को ही दोष दे सकते हैं? शायद नोमानी जी को मालूम नहीं कि भारतीय जनसंघ सन् ५२ में बना जबकि बटवारा सन् १९४७ में ही हो गया था। अगर उनको याद नहीं तो वे अपनी याददाश्त को ताजा कर लें क्योंकि ६० बरस के बाद आदमी की याददाश्त में कुछ फर्क हो जाता है। हो सकता है उन्हें गुस्सा हो। हारा हुआ तो मैं भी हूं लेकिन उन्हें अपनी हार का गुस्सा ज्यादा मालूम होता है। रह गयी देश के बटवारे की बात, उन्होंने यह कहने की कोशिश की कि देश का बटवारा जनसंघ ने कराया। मौलाना आजाद ने अपनी किताब में यह साफ तौर से लिखा है कि उसको कराने वाले कौनसी दो पार्टियां थीं। अभी तो उसके बीस पृष्ठ नहीं खुले हैं। खुदा करे वे बचे रहें और उनको पढ़ने का मौका मिले। उनमें न जाने क्या कयामत बरपा होगी। लेकिन नोमानी साहब ऐसी बातें कर रहे हैं। शायद इसलिये कि एम० एल० सी० के टिकट बंटने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप न करें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—उन्होंने और जो छींटाकशी की वह गलत है। जरा अपने दामन को तो देखें। बलरामपुर में और हरदोई में क्या-क्या हुआ? जनसंघ की मीटिंग्स को खत्म कराया गया। उसके आदमियों को मरवाया गया। आज इस सरकार के हाथ जनसंघ के रक्त से रंगे हैं। उस पर भी इस शोखी की हिम्मत? वहां पर जुडीशियल इंक्वायरी करायी जाय। लेकिन इतनी हिम्मत ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय वित्त मंत्री अब अपना उत्तर देंगे।

श्री हरगोविन्दसिंह—श्रीमन्, मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६२ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—७८,
विपक्ष में—२१।)

(इसके बाद सदन ३ बजकर ४२ मिनट पर मंगलवार, ६ मार्च, १९६२ के २ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्तल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
५ मार्च, १९६२।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९–४० का उत्तर पीछे पृष्ठ २२४ पर)

१—श्री ई० पी० मेगी, जो इस समय यू० पी० जेल हेड क्वार्टर्स में कार्यालय अधीक्षक हैं, सन् १९४६ के जून, १९५८ तक यू० पी० जेल्स सहकारी समिति के अवैतनिक मंत्री रहे ।

२—उक्त समय में ५,००० रुपये गबन हुआ जिसे चार्ज देने के बाद २ किस्तों में दिनांक २६ व २८ जून, १९५८ को जमा किया ।

३—सात व्यक्तियों द्वारा समिति को भेजी गई या समिति में जमा की गई कुल ८९० रुपये की धनराशि कैश बुक में दर्ज नहीं की गई । समिति के तत्कालीन अवैतनिक मंत्री ने अपने पत्र दिनांक २४ दिसम्बर, १९५९ द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी थी । इससे पहले भी एक रिपोर्ट १० अक्तूबर, १९५८ को पुलिस को भेजी गई थी ।

४—२४ दिसम्बर, १९५९ को पुलिस में उक्त दूसरी रिपोर्ट भेजने के पहले ही डिप्टी रजिस्ट्रार श्री एस० डी० पन्त ने अपने पत्र दिनांक २० फरवरी, १९५९ द्वारा पूछा था कि गबन के मामले में जांच क्यों नहीं की गई ? सहायक निबन्धक लखनऊ ने भी अपने पत्र दिनांक २६ अक्तूबर, ६० द्वारा अवैतनिक मंत्री को लिखा कि व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कार्यवाही की जाय, परन्तु पता नहीं कि क्यों, एकाएक उन्होंने दूसरे पत्र द्वारा, कार्यवाही करने से रोक दिया ।

५—अदालत में केवल १० अक्तूबर, ५८ के प्रथम एफ० आई० आर० पर ही मुकदमा चलाया गया है और श्री मेगी को सरकारी गवाह बना लिया गया है ।

६—रजिस्ट्रार को इन सारे गबनों का सन् १९५२ से पता था जबकि कई गबनों का आज तक कोई मुकदमा नहीं चलाया गया ।

७—जेल में चलाई गई आटा चक्की तथा सस्ते गल्ले की दूकान के हिसाब में भारी गड़बड़ है ।

८—श्री एच० पी० सक्सेना, डी० आई० जी० सन् १९४९ से समिति के ज्येष्ठ उपाध्यक्ष हैं यद्यपि उन्होंने कोई हिस्सा नहीं खरीदा है ।

९—मामलों की विशेष लेखा परीक्षा कराई जाय और गबन के मामले सी० आई० डी० को दिये जाने की आवश्यकता है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट के प्रश्न संख्या ४० के उत्तर में कथित विवरण

स्पेशल आडिट रिपोर्ट के अनुसार अपराधी पाये गये व्यक्तियों की सूची :—

नाम व्यक्ति		समिति में पद		जल विभाग में पद
१		२		३
१—श्री ई० पी० मेगी	..	आनरेरी सेक्रेटरी		आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट
२—श्री एच० पी० सक्सेना	..	समिति क्लर्क	..	क्लर्क
३—श्री ए० के० बोस	..	आनरेरी ट्रेजरार		क्लर्क
४—श्री एस० एन० गुप्ता	..	समिति क्लर्क	..	क्लर्क
५—श्री ज्योती प्रसाद	..	आनरेरी ट्रेजरार		क्लर्क

आडिट रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का विवरण

सहायक निबन्धक, लखनऊ ने श्री एच० पी० सक्सेना के अलावा शेष चारों व्यक्तियों का जवाब तलब किया। श्री एच० पी० सक्सेना, विशेष आडिट के पहले ही, पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये थे इसलिये उन पर अभियोग पत्र जारी नहीं किया गया था। चार व्यक्तियों में से सिर्फ श्री मेगी का जवाब प्राप्त हुआ था। सहायक निबन्धक, लखनऊ ने प्रधान कारागार निरीक्षक को, जो समिति के पदेन सभापति हैं—लिखा था कि वह इन चारों व्यक्तियों का मामला प्रबन्धकारिणी समिति के सामने रखकर उचित कानूनी कार्यवाही करें, परन्तु प्रधान कारागार निरीक्षक ने सहायक निबन्धक, लखनऊ को सूचित किया कि अगर वह ऐसा करेंगे तो अदालत की 'मान हानि' में ले लिये जायेंगे क्योंकि समिति के गबन से संबंधित एक मामला अदालत में चल रहा है। अतः मामले में कोई अग्रिम कार्यवाही अदालती मामले में निर्णय होने तक रोक दी गई है।

श्री एच० पी० सक्सेना के विरुद्ध तीन मामले सेंशन अदालत में चल रहे थे। दो मामलों में फैसला हो गया है। अभियुक्त को क्रमशः २ वर्ष का कठोर कारावास और ३०० रुपये जुर्माना व ३ वर्ष कठोर कारावास दिया गया है। तीसरा केस अभी चल रहा है।

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२७ पर)

No. PRE-4982/DE(P)—20-1961.

OFFICE
OF
THE NIRVACHAN NIDESHAK (P)
UTTAR PRADESH.
Dated Lucknow, June 13, 1961.

The DISTRICT MAGISTRATE,
SITAPUR.

Subject : **Election of Members and Pradhans in Gaon Sabhas, Firozpur and Niyamatpur Labarha—Orders under section 12-BB of the Panchyat Raj Act, 1947.**

SIR,

WITH reference to your letter no. 1-1309/(54-K-5)/28--Panch-61, dated May 18, 1961 on the subject mentioned above, I am directed to say that in the circumstances stated therein the Nirvachan Nideshak (Panchayat) has set aside the order of District Magistrate calling upon the Gaon Sabhas to elect members and pradhans of Ferojpur and Niyamatpur Labarha. The Nirvachan Nideshak (Panchayat) has also set aside the elections held in pursuance of their notices and has ordered that steps for fresh elections in these Gaon Sabhas may be taken according to law.

Yours faithfully,
(Sd.) M. C. ARORA,
Deputy Director of Elections
(Panchyat).

संसद सदस्य सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२९ पर)

परिशिष्ट "अ"

१—सुरजनपुर
२—भरथर
३—जमुनाडीह
४—विरासी
५—शिक्टीपुर
६—कंचनपुर राजासाहब
७—नवागांव
८—मोहब्बतपुर
९—खम्हरिया
१०—चान्दपुर सेठ
११—नरापुर
१२—महमदपुर
१३—न्यामतपुर
१४—अकवापुर
१५—मढ़ियासेमरी
१६—पुरैना
१७—परसादीपुर
१८—भगवंतापुर
१९—रेंवा
२०—मीरा
२१—सेहरचा
२२—वजेहरानसीरपुर
२३—रामपुर थेरवा
२४—भगवानपुर
२५—कामयाबपुर
२६—सरेंयामाफी
२७—वडेंला
२८—मानीपुर
२९—सिरसाकलां
३०—सुखवांकलां
३१—शाहजहांपुर
३२—रानापुर कलां
३३—इटौरी
३४—पलौली
३५—वरा
३६—मरथा
३७—दारापुर
३८—चांदी
३९—परवतपुर
४०—मालवेहढ़
४१—अमरनगर
४२—समौदीडीह
४३—सिकरी
४४—ककरहा
४५—पिन्डुरी

परिशिष्ट "ब"

१—बनियामऊ
२—केदारपुर
३—ततरोई
४—देईरामा
५—सुल्तानापुर
६—कोरीयाविशुनवाली
७—ककरहा
८—वहियावहरामपुर
९—सुजौलिया
१०—मुरतजानगर
११—सोनरख

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२९ पर)

प्रदेश की पांच नगर महापालिकाओं में से कानपुर को छोड़कर सब से सूचना प्राप्त हुई है। इन चारों महापालिकाओं में सफाई कर्मचारियों की संख्या पब्लिक हेल्थ मैनुअल के अनुसार सही नहीं है।

प्रदेश की १३२ नगर पालिकाओं में से ५७ नगरपालिकाओं में पब्लिक हेल्थ मैनुअल के अनुसार सफाई कर्मचारियों की संख्या ठीक है और शेष ७५ में सही नहीं है।

प्रदेश की २८ नोटिफाइड एरिया कमेटियों में से २२ से आवश्यक सूचना प्राप्त हुई है जिनमें से १६ कमेटियों में सफाई कर्मचारियों की संख्या पब्लिक हेल्थ मैनुअल के अनुसार ठीक है और शेष ६ कमेटियों में सही नहीं है।

प्रदेश की २९८ टाउन एरिया कमेटियों में से आवश्यक सूचना २२९ टाउन एरिया कमेटियों से प्राप्त हुई है जिनमें से १६७ टाउन एरिया कमेटियों में सफाई कर्मचारियों की संख्या पब्लिक हेल्थ मैनुअल के अनुसार सही है और शेष ६२ टाउन एरिया कमेटियों में सही नहीं है।

प्रदेश की अन्तरिम जिला परिषदों में पब्लिक हेल्थ मैनुअल के अनुसार सफाई कर्मचारियों के रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रत्येक स्थानीय निकाय, जिसमें सफाई कर्मचारियों की संख्या पब्लिक हेल्थ मैनुअल के अनुसार सही नहीं है, धनाभाव ही मुख्य कारण बताया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३४ पर)

सूची १

वर्ष	आय		व्यय		विशेष विवरण
	रु०	न० पै०	रु०	न० पै०	रु०
सन् १९५७–५८					
जुलाई १ से ३० जून तक ।	१,५०,२६५	.४०	३५,९२७	.१९	..
सन् १९५८–५९					
जुलाई १ से जून ३० तक ।	१,३९,६१८	.६१	५१,४६०	.००	छूट ५१,५३७.००
सन् १९५९–६०					
जुलाई १ से जून ३० तक ।	१,५९,९३०	.०६	३५,७६२	.९०	..
सन् १९६०–६१					
जुलाई १ से ३० जून तक ।	६१,७६१	.७०	३५,६१०	.८९	छूट ९०,०००.००
	५,११,५७५	.७७	१,५८,७६०	.९८	१,४१,५३७.००

नोट :—सन् १९५८ के भीषण बाढ़ के कारण शासन द्वारा स्वीकृत ५१,५३७ रुपये की धनराशि किसानों को सन् १९५८–५९ ई० के लगान में छूट दी गई थी तथा सन् १९६० ई० के बाढ़ के अत्यधिक प्रकोप के कारण जो क्षति हुई उसके फलस्वरूप कार्यकारिणी समिति नगर महापालिका न ९०,००० रुपये की धनराशि किसानों के लगान की छूट १९६०–६१ वर्ष के लिये की है ।

विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३४ पर)

सूची २

वर्ष	किसानों की संख्या	वार्षिक धनराशि की डिमान्ड	विशेष विवरण
१	२	३	४
	रु०	रु० न० पै०	
सन् १९५७--५८ ई० फसली १३६५ ..	४५३	१,५३,५४७.४२	
सन् १९५८--५९ ई० फसली १३६६ ..	४६८	१,६५,६०३.१०	
सन् १९५९--६० ई० फसली १३६७ ..	४९५	१,६८,२२८.३१	
सन् १९६०--६१ ई० फसली १३६८ ..	४९६	१,५७,७६५.११	
	१,९१२	६,४५,१४३.९४	

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३०९ एल० ए०—१९६२—८४५।